द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक १६

१ सितम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

168(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जनेवा करार

+

†*७५० { श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा सम्मेलन में संयुक्त सभापति ने जनेवा करार की पूर्ण रूप से कार्यान्विति के लिये पुन: कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि जनेवा करार की पूर्ण कार्यान्विति के लिये जनेवा सम्मेलन के संयुक्त सभापति ने कोई कार्यवाही की या नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या जनेवा सम्मेलन के संयुक्त-सभापति एक और जनेवा सम्मेलन का आह्वान करने का विचार कर रहे हैं जिस से कि करार को लागू किया जा सके ?

†**श्री सादत अली खां** : जी, नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : दक्षिण वियतनाम सरकार ने करार के उपबन्धों को लागू करने की जो जिम्मेदारी ली थी क्या उस के बारे में उनका रवैया बदल गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

168(A) LSD—1.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ; मामूली परिवर्तन हो सकता है और कई बार अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में ऐसा हो जाता है ।

भारी मशीनें बनाने का कारखाना[1]

+

†*७५१ { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस की सहायता से भारी मशीनें बनाने का कारखाना स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : निदेशों का ज्ञापन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये जिन आंकड़ों की जरूरत थी उन में से काफी आंकड़े रूस के मैसर्ज 'हैम्ब्रोम्पोर्ट' को उपलब्ध कर दिये गये थे ।

†**श्री रामकृष्ण** : कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रांची में हतिया गांव के निकट ।

†**श्री रामकृष्ण** : रूस किस प्रकार की सहायता देगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका निर्माण केन्द्रीय सरकार कर रही है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस योजना पर कितनी लागत आयेगी और इस में रूस की सहायता कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस पर ४५ करोड़ रुपये की लागत आयेगी । ५० करोड़ रुबल की जो सहायता दी गई थी उस में से १० करोड़ रूबल इस कारखाने की मशीनें मंगवाने पर खर्च किये जायेंगे ।

†**श्री रंगा** : कितने वर्षों में इसके पूरे होने की आशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि सारा काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होता रहे तो साढ़े चार वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : हतिया और इस के आस पास वातावरण को ठीक रखने के लिये क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पहले अधिसूचना जारी की जाये और फिर भूमि अर्जित की जाये और आज कल का तरीका न अपनाया जाये जिस में बिना प्रति कर दिये भूमि अर्जित कर ली जाती है । वे लोग आपत्ति तो नहीं करते परन्तु वास्तव में यह हो रहा है कि वहां आंतक और झगड़ा पैदा किया जा रहा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[1] Integrated Heavy Machine Building Plant.

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी काम कानून के मुताबिक किया जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : जो कि इस समय नहीं हो रहा है।

वायदा व्यापार

†*७५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृहत्तर बम्बई में अपरिवर्तनीय विशिष्ट प्रदान संविदाओं को वायदा बाजार विनियमन अधिनियम के नियामक उपबन्धों के अधीन लाने के प्रभावों का अध्ययन किया है ; और

(ख) इस उपाय से कपास बाजार की बुराइयों को कहां तक रोका जा सका है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) वृहत्तर बम्बई में कपास के अपरिवर्तनीय विशिष्ट प्रदान संविदाओं के दुरुपयोग को ऐसे संविदाओं के हस्तान्तरण को रोक कर काफी कम कर दिया गया है।

†**श्री वें० प० नायर** : बम्बई में अपरिवर्तनीय विशिष्ट संविदाओं के अधीन कपास का कुल कितना व्यापार किया गया ?

†**श्री कानूनगो** : अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के सौदों का नियंत्रण करने वाले उपनियमों के बारे में ईस्ट इंडिया काटन्स एसोसिएशन ने जुलाई में अन्तिम निर्णय किया था। इसलिये मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं कि कितने सौदों को स्वीकृति दी गई और कितनों को नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा प्रश्न यह था कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यापार की कुल मात्रा जानना चाहते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं केवल अनुमान जानना चाहता हूं। यदि किसी विधि में रूप भेद किया जाता है तो सरकार को इस बात का भी अनुमान होना चाहिये कि किस हद तक धांधली हो सकती है। क्या सरकार को कोई अन्दाजा है कि अपरिवर्तनीय विशिष्ट प्रदान संविदाओं के अधीन कितना व्यापार किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अनुमान जानना चाहते हैं।

†**श्री कानूनगो** : इसके अनुमान का पता नहीं चल सकता क्योंकि कानून द्वारा इसकी मनादी थी परन्तु बाद में उपनियम द्वारा इसे विनियमित कर दिया गया।

†**श्री वें० प० नायर** : उत्तर में यह कहा गया है कि विधि में रूप भेद करके दुरुपयोग को रोका जा रहा है। माननीय मंत्री ने यह कैसे कहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जुलाई में ही उपनियमों के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया था इस लिये माननीय मंत्री आंकड़े देने में असमर्थ हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : जब तक यह मालूम न हो कि क्या धांधली हो सकती है तब तक हम नया कानून कैसे बना सकते हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली रेसकोर्स

+

†*७५४. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री २२ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रेस कोर्स क्लब की ज़मीन को अन्य सार्वजनिक उपयोग में लाने की प्रस्थापना का व्योरा क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : अभी कोई प्रस्थापना तैयार नहीं हुई है ।

†श्री रामकृष्ण : इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब होगा ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : इस समय तो यह तय हुआ है कि पट्टे पर दी गई भूमि को सरकार ३० जून, १९५९ के बाद वापस ले लेगी । अपनी योजनाओं पर अन्तिम निर्णय करने के लिये हमारे पास समय काफी है ।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या दिल्ली रेस कोर्स क्लब को कोई और स्थान दिया जा रहा है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी नहीं ।

†श्री रंगा : वह कुल कितनी भूमि है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : लगभग ८५ एकड़ ।

†श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन कामों के लिये इस ज़मीन का उपयोग किया जाने वाला है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हम ने अभी निर्णय नहीं किया है ।

जिरकोनियम[1] कारखाना

+

†*७५६. { श्री वें० प० नायर:
श्री वासुदेवन नायर:

क्या प्रधान मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्ताविक जिरकोनियम कारखाना स्थापित करने के बारे में भारत सरकार ने उसके पश्चात् कोई कार्यवाही की थी ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) कारखाने में कितने कर्मचारी रखे जा सकेंगे ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

[1] Zirconium

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य–मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जिरकोनियम का उत्पादन करने के लिये कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री वें० प० नायर:** : सभा-पटल पर रखे गये अणु शक्ति आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता था कि सरकार ने एक जिरकोनियम कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है और अणु शक्ति सम्बन्धी वाद विवाद का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने भी शायद इसकी पुष्टि की थी। क्या इस बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : स्थिति इस प्रकार है कि आणविक भट्टियों के लिये जिरकोनियम बहुत उपयोगी है और त्रावनकोर में जिरकोन काफी मात्रा में उपलब्ध है। इस में एक और विषैली वस्तु होती है जिसे हैफनियम कहते हैं। इन दोनों को अलग करना होता है। अभी एक अग्रिम संयन्त्र लगाया जा रहा है जिस में यह देखा जायेगा कि क्या हम इन दोनों को अलग करके कुछ एक टन जिरकोनियम बना सकते हैं। यदि हमारा प्रयोग सफल रहा तो हम बड़ा कारखाना लगाने के बारे में बिचार करेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने अग्रिम संयन्त्र के स्थान के बारे में निर्णय किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निर्णय के बारे में तो मैं नहीं जानता परन्तु यह ट्राम्बें में ही होगा क्योंकि इसे चलाने वाले व्यक्ति वहीं हैं।

†**श्री रंगा** : शायद इन वस्तुओं का व्योरा हमें किसी शब्द कोष में नहीं मिलेगा। क्या इसके बारे में हमें कुछ बताया जा सकता है ? यह कोई तत्व होता या कोई कच्छी धातु ? हमें यह मालूम नहीं है। क्या यह ज़रूरी है कि अग्रिम संयन्त्र वहीं स्थापित किया जाये जहां यह सामग्री उपलब्ध होती है ? क्या इसे ट्राम्बे में नहीं ले जाया जा सकता जहां हमारा अणु शक्ति आयोग है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिरकोन एक खनिज पदार्थ है जिस से जिरकोनियम निकाला जाता है। इस में 'हैफनियम' भी मिला हुआ होता है जिस में विषैला पदार्थ हो सकता है। इसे अलग करना पड़ता है। मैं ने बताया कि अग्रिम संयन्त्र ट्राम्बे में ही लगाया जायेगा जहां अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं। यह ज़रूरी नहीं कि जहां खनिज पदार्थ है वहीं संयन्त्र हो। भारत में ट्राम्बे में ही सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण ही जिरकोनियम कारखाने की योजना को निलम्बित किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब तक अग्रिम संयन्त्र के परिणामों का पता नहीं चलता तब तक कारखाना नहीं खोला जा सकता। विदेशी मुद्रा के कारण अग्रिम योजना में कोई अड़चन पैदा नहीं हो रही है।

दिल्ली के तीहाड़ गांव के लिये नया नक्शा

*७५७. { **श्री नवल प्रभाकर:**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकार से प्रार्थना की है कि नये नक्शे के अनुसार तीहाड़ को एक आदर्श गांव बना दिया जाये;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ग) उपरोक्त परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी हां ।

(ख) काम शुरू होने के बाद लगभग एक साल में खतम हो जावेगा ।

(ग) ७,११,४०० रुपये ।

श्री नवल प्रभाकर : डी० डी० ए० वालों का यह कहना है कि मिनिस्ट्री ने अभी यह जगह ट्रांसफर नहीं की है, इसलिये उनको काम करने में दिक्कत हो रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या यह सही है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मेरे इल्म में तो यह बात नहीं आयी है। जब मैं रुपया भी देने को तैयार हूं और जमीन भी, तो कोई विघ्न तो नहीं पड़ना चाहिये, लेकिन अभी जो आनरेबिल मेम्बर ने सवाल उठाया है मैं उसको देख लूंगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो प्लाट तैयार होंगे ये रिफ्यूजीज़ को किन शर्तों पर दिये जायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह निकासी ज़मीन है और इसके हम प्लाट बनायेंगे और इसको डेवेलप करेंगे। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद मुमकिन है कि कम्पेन्सेशन स्कीम के नीचे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की जाये ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि काम शुरू होने के बाद लगभग एक साल में खत्म हो जायेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह काम शुरू कब होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह काम तो करेगी सी० पी० डबल्यू० डी० और नक्शा मंजूर करेगा डी० डी० ए०। जहां तक मेरा ताल्लुक है जमीन भी हाजिर है और रुपया भी हाजिर है ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की जानकारी अधूरी है। मिनिस्ट्री ने रुपया डी० डी० ए० को दे दिया है और यह काम डी० डी० ए० करेगा, सी० पी० डबल्यू० डी० नहीं करेगा ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मेरा ख्याल है, मुमकिन है मेरी इनफारमेशन अधूरी हो, यह काम करने की एजेंसी सी० पी० डबल्यू० डी० ही होगी। अगर कहें तो मैं इस की दोबारा तशखीस कर सकता हूं ।

पाकिस्तान से सेवा के रिकार्डों की प्राप्ति

+

†*७५९. { **श्री सुबोध हंसदा**:
श्री सं० च० सामन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सब सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड सरकार को मिल गये हैं जो विभाजन से पूर्व पाकिस्तान में नौकरी करते थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) पाकिस्तान सरकार के साथ जुलाई, १९५५ में हुए करार के अनुसार सूचियां तैयार करके जिन में उन सब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का ब्योरा है जिन के सेवा रिकार्ड पाकिस्तान से आने वाले थे, पाकिस्तान सरकार को सेवा रिकार्ड एकत्र करने के लिये भेज दी गई हैं। इसी प्रकार की सूचियां हमें पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हुई हैं। दोनों ओर रिकार्ड एकत्र करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि उन का एक ही बार विनिमय किया जा सके।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरकार को इस समय तक कितने रिकार्ड प्राप्त हुए हैं?

†**श्री सादत अली खां** : पाकिस्तान सरकार को अब तक २,६१४ सेवा रिकार्डों का ब्योरा तीन किस्तों में भेजा जा चुका है। पहली किश्त मार्च, १९५६ में भेजी गई थी। दिसम्बर, १९५७ की समाप्ति पर पाकिस्तान सरकार ने हमें २,५८३ व्यक्तियों की सूची भेज दी जिन के सेवा रिकार्ड यहां से मांगे गये थे।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड देने में पाकिस्तान को कोई आपत्ति है?

†**श्री सादत अली खां** : आपत्ति तो नहीं है परन्तु विलम्ब हो रहा है।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या कराची से भारत आये सरकारी कर्मचारियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें विभाजन के बाद सेवा निवृत्ति वेतन ही नहीं मिला है?

†**श्री सादत अली खां** : भारत में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को सेवा रिकार्ड के न होने पर अपनी सेवा के ब्योरे के बारे में उपयुक्त प्रमाण देने पर पूरी सुविधायें दी जा रही हैं।

†**श्री पु० र० पटेल**: क्या यह सच है कि एक व्यक्ति श्री प्रभात शंकर गणपत राम ने सरकार से प्रार्थना की थी कि उसके सेवा निवृत्ति के दावे को देख कर भुगतान कर दिया जाये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मंत्री महोदय को सूचना भेज दें। उन्हें व्यक्तिगत मामलों के बारे में तो जानकारी नहीं हो सकती।

†**श्री ड० ल० पाटिल** : क्या अर्द्ध-सरकारी निकायों, जैसे कि स्थानीय संस्थायें, ज़िला बोर्ड आदि के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड भी मंगवाये गये हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तत्काल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतः मैं प्रशासन के ब्योरे सम्बन्धी प्रश्नों की अनुज्ञा नहीं देता। हमारे पास यहां सब तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं और हमें उनका निर्णय नहीं करना होता है। मैं माननीय मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य जिन ऐसे मामलों की सूचना दें जिन में उचित कार्यवाही नहीं की गई है तो वे उनको पूरी तरह रखें और सदस्यों को सूचित कर दें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्य इस मामले का ब्योरा हमें भेज दें तो अच्छा हो।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों माननीय सदस्य व्योरा भेज दें।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कुल कितने सरकारी कर्मचारियों के सरविस रिकार्ड पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहां नहीं आ पाये हैं, और अगर वे नहीं आ पाये हैं तो उनके साथ पिछले रिकार्ड के बिना किस तरह से न्याय किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी कहा गया कि अगर वह और कोई सबूत पेश करते हैं, चाहे वह कागजी न हो और कोई सबूत हो, तो बिलफेल हम उसे मंजूर कर लेते हैं और उसी के ऊपर देते हैं।

अल्प-विकसित देश

†*७६०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुझाव दिया है कि अल्प-विकसित देशों में काम करने के लिये विशेषज्ञ प्रशासकों का एक समूह बनाया जाये; और

(ख) योजना क्या है इस बारे में भारत सरकार की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) जी हां।

(ख) महासचिव का वह ज्ञापन जिस में उन्होंनें एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन सेवा स्थापित करने का सुझाव दिया सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११०**] भारत सरकार प्रयोगात्मक रूप से और छोटे पैमाने पर यह सेवा स्थापित करने के पक्ष में है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सभा-पटल पर रखे गये ज्ञापन से पता चलता है कि महासचिव ने जून १९५७ में इसे परिपत्रित किया था। उसके बाद क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री सादत अली खां :** महासचिव को १९५८ की ग्रीष्म ऋतु में परिषद २६वें सत्र में प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ज्ञापन में '१० जून, १९५७' तिथि दी गई हैं। इसी लिये मैं ने यह प्रश्न पूछा था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** महासचिव हमारे नियंत्रण में तो नहीं हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** नियन्त्रण का तो कोई सवाल नहीं है। मैं ने तो यह पूछा कि लगभग १५ मास हो चुके हैं इस बीच कोई प्रगति हुई है या नहीं। क्या प्रगति हुई है मेरी तो समझ में नहीं आता।

†**अध्यक्ष महोदय :** महासचिव ने १९५८ की ग्रीष्म ऋतु तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का वायदा किया है। क्या ऐसा है ?

†**श्री सादत अली खां :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्त नहीं हुई है।

†**श्री हेम बरुआ :** अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन सेवा की स्थापना करने का प्रस्ताव रखते समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव के सामने कौन से अल्प विकसित देश थे और उन देशों की इस प्रस्ताव के बारे में क्या राय है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि इस सेवा की स्थापना की जाती है तो वह पर्याप्त तभी होगी जबकि उसे कई देशों तक फैलाया जाये यदि वह कुछ एक देशों तक ही सीमित रहती है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से बहुत से अल्प-विकसित देश इसे पसन्द नहीं करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : अल्प-विकसित देशों ने क्या उत्तर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक ब्यौरे का पता नहीं चल सकता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अन्य देशों की जगह मैं तो उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री सिंहासन सिंह** : श्री ऐपलबी ने अपने प्रतिवेदन में भारत को संसार के उन देशों में से एक बताया जिनका प्रशासन बहुत अच्छा है क्या इसे भी अल्प-विकसित माना जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य प्रशासन के घेरे में चले गये हैं। वस्तुतः भारत से कई प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, सिंचाई आदि के विशेषज्ञों को एशिया और अफरीका के देशों में भेजा है। फिर भी 'अल्प-विकसित' तो एक तुलनात्मक शब्द है। अधिक विकसित देशों की तुलना में यह अल्प-विकसित ही है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इस के फलस्वरूप भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना अंशदान बढ़ाने को कहा जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अंशदान ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्च में अंशदान।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस प्रश्न का इस से कोई संबंध नहीं है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च बढ़ता जाता है जैसे कि वर्तमान प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह खर्च कौन वहन करेगा ; क्या सभी समान अंशदान देंगे या कोई देश अधिक भार वहन करेगा। यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या भारत सरकार इस में इसलिये शामिल हो रही है कि भारत को कुछ प्रशासकीय पदाधिकारियों की आवश्यकता है या कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय समूह की सहायता करने के लिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें बाहर के देशों से प्रशासकीय पदाधिकारी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आशा है कि कुछ देर बाद हमें टैक्नीकल पदाधिकारियों की भी जरूरत नहीं रहेगी। वस्तुतः हमारे यहां ये लोग काफी संख्या में हैं। हमारे लिये तो कई बार यह कठिनाई पैदा हो जाती है कि हम से अन्य देश अधिक संख्या में प्रशासकीय पदाधिकारी मांग लेते हैं। अफ्रीका ने अकस्मात हम से २०० विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी मांग लिये। कई बार यह बोझ सा बन जाता है। जहां तक मुझे मालूम है अभी यह योजना निश्चित रूप से तय नहीं हुई है, और उद्देश्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली, जो केवल एक ही राष्ट्र तक सीमित न हों, एक प्रशासन सेवा स्थापित की जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिये ही इस सेवा की स्थापना की जा रही है परन्तु ज्ञापन को पढ़ने से पता चलेगा कि उद्देश्य

---

†मूल अंग्रेजी में

यह नहीं है। वास्तव में इंडोनेशिया ने ऐसी सेवा की स्थापना करने की प्रार्थना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई प्रतिवेदनों में कहा गया था कि कई देशों में उपयुक्त प्रशासन सेवा के अभाव के कारण उन देशों का विकास नहीं हो सका है। क्या इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना नहीं की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा कि एक उद्देश्य यह भी है। दो उद्देश्य भी हो सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन सेवा की बजाये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा टैक्नीकल सेवा स्थापित करने का जो सुझाव श्री पीयर्सन ने दिया इसके बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस प्रस्ताव के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री रंगा** : यदि इस सेवा की स्थापना हो जाती और पदाधिकारियों को अल्प-विकसित देशों में भेजा जाता है तो उन्हें २० अथवा ३० वर्ष के लिये भेजा जायेगा या ४ या ५ वर्ष के लिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त पदाधिकारी की सेवा प्राप्त करना अधिक वांछनीय होगा परन्तु ऐसे कामों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भेजे जाने वाले पदाधिकारी इतने महंगे पड़ते हैं कि उनकी सेवायें प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है।

केरल में रेयन पल्प फैक्टरी

*†७६२. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड तथा केरल सरकार ने प्रस्तावित लकड़ी के गूदे (रेयन श्रेणी वाला) के कारखाने जो कि नीलमबुर/बेयपूर, जिला मलाबार (केरल) में खोला जाने वाला है के संबंध में उनके बीच कोई विवाद प्रश्न या मतभेद होने पर केन्द्रीय सरकार से मध्यस्थ बनने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है ; और

(ग) क्या केरल राज्य सरकार और उक्त पक्ष के बीच जो करार हुआ है, उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या सरकार मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स जो ग्वालियर कम्पनी के मालिक हैं तथा केरल सरकार के बीच होने वाली वार्त्ता की किसी भी अवस्था से संबद्ध थी और क्या केन्द्रीय सरकार ने करार का कुछ भाग मंजूर किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मामला पूर्णतः केरल सरकार की क्षमता और क्षेत्राधिकार के भीतर आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** जहां तक मध्यस्थ बनने का सवाल है, क्या भारत सरकार ने मध्यस्थ होना स्वीकार करने के पूर्व करार की शर्तों को मंजूर कर लिया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम से केवल यह पूछा गया था कि क्या हम मध्यस्थ बनने के लिये तैयार हैं ? हम ने केवल उस की अनुमति ही दी थी ?

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या इस कम्पनी को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुमति पहिले ही दी जा चुकी है और उसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। उस अधिनियम के अधीन मशीनों के लिये २.५ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा के लिये अनुज्ञप्ति पहिले ही दे दी गई है।

†**श्री हेम बरुआ:** विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि अधिलाभांश का संबंध कम्पनी के लाभ से न होकर वह क्षमता तथा उत्पादन से संबंधित होगा और उसी के आधार पर दिया जायेगा और वह भी उसी समय दिया जायेगा जब कि कम्पनी आवश्यक समझेगी। सरकार ने उस प्रकार का करार क्यों होने दिया है जो इस सभा द्वारा पारित सभी प्रगतिशील विधान के प्रतिकूल है।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं पहिले ही बता चुका हूं कि जहां तक करार की शर्तों और पदों का संबंध है, वह राज्य सरकार की क्षमता और क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि भारत के स्वतंत्र और गणतंत्रात्मक संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये हैं। और संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यदि उन अधिकारों का अंशतः या पूर्णतः उल्लंघन होता है और उनका उचित पालन नहीं होता तो वह उनकी रक्षा करे। यदि ऐसी कोई बात होगी तो केन्द्रीय सरकार उन अधिकारों की रक्षा के लिये हमेशा या तो अपने अच्छे अधिकारियों या संविधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिये स्वतंत्र है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** इस दृष्टि से कि इस करार का अधिकांश भाग औद्योगिक संबंधों से संबंधित है क्या सरकार ने इस करार के बार में संघ के श्रम मंत्रालय का दृष्टिकोण मालूम कर लिया था और क्या यह भी पता लगा लिया था कि वे भारत सरकार की वर्तमान श्रम नीति से किस सीमा तक प्रतिकूल हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं अपने पहिले के उत्तर म यह सूचित कर चुका हूं। यह केवल प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछने का तरीका है। जहां तक करार के पदों और शर्तों का संबंध है वह केवल केरल सरकार और करार करने वाले पक्ष के बीच का ही मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब कोई झगड़ा होगा, वह न्यायालयों द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा तय किया जाएगा।

दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति

+

†*७६४. { **श्री राधा रामण :**
श्री मती रेणु चक्रवर्ती :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम ह कि दिल्ली में अभिरक्षक के नियंत्रण के अधीन की अधिकांश सम्पत्ति खराब हालत में है और वर्षा के बाद बहुत से मकान गिर जाते हैं ;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) जुलाई, सन् १९५८ में भारी वर्षा होने के कारण कितने मकान गिरे हैं;

(ग) इस प्रकार मकान गिरने से कितने मनुष्यों की जानें गई हैं; और

(घ) इन मकानों की हालत सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२**].

†**श्री राधा रामण** : क्या सरकार ने ऐसे मकानों के लिए कोई अनुमान तैयार किया है जो खतरनाक हालत में हैं और यदि तैयार किया गया है तो वह अनुमान क्या हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमने कोई अनुमान तैयार नहीं किया। परन्तु जब यह दुःखद दुर्घटना हुई थी तब प्रधान मंत्री ने दिल्ली के विभिन्न बद्ध हितों का प्रतिनिधि करने वाली एक बैठक बुलाई थी और दो उच्चाधिकार समितियां, एक मेयर के अधीन और दूसरी निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री के अधीन, नियुक्त की गई थीं। जब कभी किसी खतरनाक मकान का मामला आता है, उसे गिराने या उसकी मरम्मत करने के लिए हमने दिल्ली निगम को कुछ प्राधिकार दे दिया है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इवैक्वी प्रापर्टी के अन्दर जो मकान आते हैं, उन में से कितने मकान गिर गये हैं तथा कितने मकान वालों को कारपोरेशन की तरफ से नोटिस दिये गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो स्टेटमेंट मैंने यहां रखी है उस से ज़ाहिर है कि हमारे पास दिल्ली शहर में जो इवैक्वी प्रापर्टी के मकान हैं उनकी तादाद कोई ६४,००० के करीब है और जब बहुत बारिश हुई थी या पानी पड़ा था तब ४१ के करीब मकान सीरीयसली डेमेज हुए थे।

श्री नवल प्रभाकर : कितनों को नोटिस दिया गया है, यह भी मैं जानना चाहता था।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह मैं नहीं कह सकता कि कितनों को नोटिस दिया गया है। लेकिन हमने यह इंतिज़ाम कर लिया है कि जहां हमें यह पता लगे चाहे कारपोरेशन की तरफ से और चाहे किरायेदार की तरफ से कि मकान की हालत अच्छी नहीं है--बाज़ मकान तो मुगल वक्त के हैं, सैंकड़ों बरस पहले बनाये गये थे—तो हम उसी वक्त एक्शन लेते हैं उस मकान को गिरवाने का ताकि जान व माल का नुकसान न हो।

†**डा० सुशीला नायर** : ऐसे बहुत से मकान हैं जो खतरनाक हालत में हैं परन्तु चूंकि उस में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह मिलने में कठिनाई है, वे उन मकानों में रहने का खतरा उठा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री इस संबंध में कुछ बतायेंगे कि उन के लिए दूसरी जगह ढूंढने की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यहां दूसरी जगह की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं होता। हमने उन सभी निष्क्राम्य मकानों की, मेरा मतलब है कि उन सभी खाली मकानों की सूचना निगम को दे दी है। हमने उन्हें बता दिया है कि "ये खाली मकान उपलब्ध हैं और उन के दिए जाने के लिए अमुक अमुक विस्थापित व्यक्ति अधिकारी हैं।" यदि किसी निष्क्राम्य सम्पत्ति वाले मनुष्य को इन में से कोई भी मकान दे दिया जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान "स्टेटसमेन" में प्रकाशित इस खबर की ओर गया है कि एक निष्कान्त व्यक्ति के कब्जे का मकान अभी तक निष्कांत सम्पति के अभिरक्षक की अभिरक्षा में है। उस में बताये गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उस मकान की उचित रूप से देख-भाल करने में अभिरक्षक अत्यन्त लापरवाही कर रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने उस प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं देखा। मैंने स्थिति को पूर्णत: स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत विवरण दे दिया है। हमारी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि लगभग ५० लाख रुपये की किराये की रकम अभी बकाया है ? यदि हां तो उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कार्यवाही करना सरल नहीं है। ज्यों ही हम वसूली के लिए कोई कार्यवाही करते हैं, विरोधी पक्ष यह आपत्ति करता है कि हमें वसूली नहीं करनी चाहिये।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*७६५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार बतिया शिविर में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को उड़ीसा में बसा दिया गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उन्हें कितनी भूमि दी गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). लगभग ३,५०० एकड़ भूमि में चार बतिया शिविर में रहने वाले ६८९ विस्थापित कुटुम्बों को बसाया जा चुका है। उन में २,७१० व्यक्ति हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : चार बतिया शिविर के आसपास शरणार्थियों को प्रविधिक प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना के क्या ब्यौरे हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हमने चार बतिया शिविर के आसपास के भाग के लिए एक प्रशिक्षण योजना मंजूर की है। मेरे पास योजना के ब्यौरे नहीं हैं। यह नवयुवकों को विभिन्न प्रविधिक तथा धंधे वाले रोजगारों का प्रशिक्षण देने की योजना है।

†**श्री पाणिग्रही** : इसके लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मेरे पास ठीक ठीक ब्यौरे नहीं हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : चार बतिया शिविर की कुल आबादी क्या है ? क्या इन में से सभी व्यक्ति उड़ीसा में ही या उसके बाहर भी बसाये जायेंगे ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : शिविर में लगभग ४५६ कुटुम्ब रहते हैं। इन में से १९७ कुटुम्ब किसान हैं और बाकी किसान नहीं हैं। किसानों को जमीन पर बसाया जाएगा। जो किसान नहीं हैं उन के लिये राज्य सरकार के विचाराधीन विभिन्न योजनायें हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये संघ के पुनर्वास मंत्रालय को राज्य सरकार कुल कितनी भूमि देने को तैयार है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : भूमि का क्षेत्रफल उन कुटुम्बों की संख्या से संबंधित रहेगा जिनको हम उस पर बसाना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र पहिले ही जबाब दे चुके हैं कि कई कुटुम्ब भूमि पर बसा दिये गये हैं। अभी भी १९७ या लग भग २०० कुटुम्बों को भूमि पर बसाना है । उन के लिए हमें लगभग १,००० एकड़ की आवश्यकता है । इस भूमि का स्थान निश्चित करने के प्रयत्न हो रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न उस से भिन्न था ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राज्य द्वारा कितनी भूमि पेशगी दी जाएगी। माननीय मंत्री यह कहते हैं कि भूमि किस सीमा तक उपलब्ध होगी। यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब यह निर्णय हो जाएगा कि कितने कुटुम्ब बसाये जाने हैं।

†**श्री पाणिगृही** : पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में संघ के पुनर्वास मंत्री ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्रार्थना की थी कि वे किस सीमा तक शरणार्थियों को बसाने के लिए अपने राज्यों में कितनी भूमि देने के लिए तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य सरकार कितनी भूमि देने के लिए तैयार है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वे जो भूमि देने को तैयार हैं उसका अधिकांश भाग दण्डकारण्य की भूमि ही है ।

†**श्री दशरथ देव** : बसाये जाने के बाद प्रत्येक कुटुम्ब को कितनी भूमि दी जाएगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : लगभग ४ से ५ एकड़ तक ।

त्रिपुरा के बेलोनिया तथा सबरूम परगनों में आंधी से नुक्सान

†*७६७. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ मई, १९५८ की आंधी में त्रिपुरा के बेलोनिया और सबरूम परगनों में कितनी झोपड़ियां गिर गई थी ;

(ख) क्या इस से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशत: विस्थापित व्यक्ति और आदिम जाति के लोग ही हैं ; और

(ग) उन पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों को क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ३,९२४ झोपड़ियां।

(ख) २,४३८ पीड़ित कुटुम्बों में से ५९१ विस्थापित कुटुम्ब थे।

(ग) उस क्षेत्र की विकास परियोजना में काम देकर विस्थापित व्यक्तियों को तुरंत ही सहायता दी गई थी। और अधिक सहायता देने का प्रश्न त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है ।

†**श्री दशरथ देव** : इन कुटुम्बों को सहायता के रूप में कितनी रकम दी गई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : फिलहाल कोई नगद रकम देने का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है हम उन्हें सहायता-कार्यों में काम दे रहे हैं। जहां तक लोगों को व्यक्तिगत रूप से सहायता देने का प्रश्न है वह त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है।

प्रादेशिक संग्रहालय[1]

+

†*७६८. { **श्री सुबोध हंसदा**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन विभिन्न स्थानों पर उद्योगों के तीन प्रादेशिक संग्रहालय नामतः सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण बनाए जाएंगे।

(ख) यदि हां, तो क्या उन संग्रहालयों के लिए भवनों का निर्माण आरंभ हो गया है ; और

(ग) संभवतः किस समय तक निर्माण-कार्य प्रारंभ हो जाएगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं शुरू हुआ।

(ग) सन् १९६० के अन्त तक।

†**श्री सुबोध हंसदा**: ये संग्रहालय कहां बनाये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : कलकत्ता, कानपुर और कोयम्बटूर में।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रत्येक संग्रहालय के आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : अनावर्ती व्यय के लिये लगभग ३० लाख और आवर्ती व्यय के लिये लगभग २ लाख रुपये की रकम रखी गई है।

†**श्री तंगामणि** : कोयम्बटूर में स्थापित किया जाने वाला संग्रहालय कब तक तैयार हो जाएगा।

†**श्री आबिद अली** : सन् १९६० के अन्त तक।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ये तीनों अजायबघर, यानी म्यूजियम कानपुर, कलकत्ता और कोयम्बटूर इन तीन स्थानों में स्थापित हो रहे हैं। यह तीनों नाम "क" से प्रारम्भ होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि और भी स्थानों के बारे में कोई निर्णय किया गया है या कि ये यहीं पर स्थापित किये जायेंगे।

श्री आबिद अली : इन का मुख्य केन्द्र बम्बई में रहेगा। यह कानपुर, कोयम्बटूर और कलकत्ता में इसलिये रक्खे गये हैं कि मुल्क के सब हिस्सों में इन केन्द्रों की मारफत काम किया जा सकेगा।

---

†तूल अंग्रेजी में

[1]Museums.

मनीपुर में नागाओं के आक्रमण

+

†*७७०. { श्री हेम बरुआ:
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा आक्रमणकारियों की गतिविधियां मोकोक चुंग उपविभाग के सेमा क्षेत्र वाली पुघोबोतो तथा सताका पर्वत श्रेणियों में साथ ही साथ पड़ौस के मनीपुर राज्य में बढ़ गई हैं ;

(ख) आक्रमणकारी नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने और उन्हें शांत करने के लिए नागा पीपुल्स कन्वेन्शन के नेता क्या कार्यवाही कर रहे हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के संसदीय-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) पुघोबोतो और सताका पर्वत श्रेणियों में हिंसात्मक गति विधियों के बढ़ने की कोई सूचना नहीं मिली और न ही मनीपुर राज्य में आक्रमणकारी नागाओं की गतिविधियों में कोई खास वृद्धि हुई है ।

(ख) नागा पीपुल्स कनेवन्शन के नेताओं ने उगमा में हुई अपनी पिछली बैठक में एक सम्पर्क समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जिसमें विभिन्न आदिम जातियों के प्रतिनिधि होंगे और वे अपनी जाति के तथा अपने क्षेत्र के गुप्त रूप से काम करने वाले नेताओं के दृष्टिकोण जानने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही साथ उन्हें सरकार की नीति समझायेंगे। यह समिति गुप्त रूप से कार्य करने वाले नेताओं से सम्पर्क स्थापित करके वर्तमान गड़बड़ी को शांति पूर्ण उपायों से समाप्त करने के लिए एक सर्वमान्य हल निकालने का प्रयत्न कर रही है उन्होंने गुप्त रूप से कार्य करने वाले नेताओं को इस बात के लिए मना रहे हैं कि वे हिंसात्मक गतिविधियां छोड़कर सामान्य क्षमादान दिये जाने का फायदा उठाकर प्रकट रूप से शांतिपूर्ण जीवन बितायें तथा विकास योजनाओं तथा सरकार द्वारा दी गई अन्य सुविधाओं का लाभ उठायें।

(ग) नये प्रशासन के प्रारम्भ हो जाने से नागरिक प्रशासन जनता पर काफी प्रभाव डाल रहा है क्योंकि उसके अधिकारी बहुत अधिक तथा विस्तृत दौरे करके जनता से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और उन्हें सरकार की नीति समझा रहे हैं। जो व्यक्ति हिंसा को छोड़कर सरकार की विकास योजनाओं में सहयोग देने के लिये तैयार हो जाते हैं उन्हें पुनर्वास के लिये उचित सुविधायें प्रदान की जाती हैं। भोजन सहायता, कृषि के बीज और औज़ारों का दिया जाना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं का विकास आदि के रूप में उचित सहायता दी जा रही है। जिन क्षेत्रों से आक्रमणकारी भगा दिये गये हैं, वहां आदिमजातीय परिषदें बना दी गई हैं और वे प्रशासन की सहायता से उत्तरदायित्व संभाल रही हैं ।

†श्री हेम बरुआ : विवरण से यह पता चलता है कि नागा पीपुल्स कन्वेनशन के नेता गुप्त रूप से काम करने वाले नागा आक्रमणकारियों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। यह भी मालूम होता है कि हमारे अधिकारी इन क्षेत्रों में खूब लम्बे चौड़े दौरे कर रहे हैं। क्या अधिकारियों के इन दौरों से तथा नागा पीपुल्स कन्वेनशन के नेताओं से ऐसी कोई जानकारी मिली है जिससे नागा आक्रमणकारियों की वर्तमान तथा भविष्य की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पता लग सके और उनके नेता फिज़ो का पता लग सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साद्त अली खां** : मैं यह सब नहीं कह सकता। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है उन दौरों के परिणास्वरुप बहुत से लोगों ने उपद्रव करना छोड़ दिया है।

†**श्री हेम बरुआ**: मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि विवरण से पता यह लगता है कि नागा पीपुल्स कन्वेनशन के नेता आक्रमणकारी नागाओं के गुप्त रूप से कार्य करने वाले नेताओं से सम्पक कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में अधिकारी लम्बे चौड़े दौरे कर रहे हैं। क्या इन अधिकारियों के दौरे तथा नागा नेताओं के प्रयत्नों से आक्रमणकारियों के वर्तमान तथा भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों का पता लगा है और उनके नेता फिजो के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं इस उलझनपूर्ण प्रश्न का सीधा-सादा उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। पहिले में अंतिम भाग का उत्तर दूंगा। जहां तक हमें मालूम हुआ है फिलहाल फिजो ढाका में रहता है।

†**एक माननीय सदस्य** : ढाका में !

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में। वास्तव में वह कुछ समय से वहां पड़ा है। दूसरे हमारे अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों तथा नागा नेताओं के प्रयत्नों आदि का काफी अच्छा परिणाम हुआ है और मैं यह कह सकता हूं। कि नागा पहाड़ियों के हालात पिछले दो तीन सालों की अपेक्षा काफी और विशेष रूप से अच्छे हैं। जहां तक वहां की जनता का संबंध है, वह सामान्यरूप से अपना काम कर रही है और गांवों के जो समूह बनाये गये थे उन्हें तोड़ दिया गया था। कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, शालायें खोली गई हैं तथा विकास योजनायें चल रही हैं। फिर भी उपद्रवकारियों के कुछ दल कभी-कभी यत्र-तत्र गड़बड़ी पैदा करते हैं। उन सब बातों से कोई भी यह समझ सकता है कि वे नागा पहाड़ियों की अनेक जगहों में परास्त हो गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : फिजो के बारे में क्या पता लगा है ? क्या उसने ढाका में अपनी स्वतंत्र नागा सरकार स्थापित कर ली है और उसे ढाका में स्थित विदेशी दूतावासों से स्वतंत्र नागा राज्य स्थापित करने के लिये, जो कि उसके ढाका भागने का प्रधान उद्देश्य था, सम्पर्क स्थापित करने में कहां तक सफलता मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: कागजपत्रों को छोड़कर जिनमें परिपत्र निकाले जा सकते हैं और यहां के माननीय सदस्यों के पास भी पहुंच सकते हैं, फिजो के द्वारा स्थापित सरकार जैसी कोई चीज नहीं है।

†**एक माननीय सदस्य** : उसने स्थापित की है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक उसके विदेशी दूतावासों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न है, निस्संदेह उसने प्रयत्न किये हैं परन्तु मेरी समझ में उसे अधिक सफलता नहीं मिली। कभी यह संभव हो सकता है कि कुछ देश उसके ऊपर अनुग्रह कर दें। मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। श्री फिजो भविष्य की आशाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अर्थात् वह आशा करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य कोई उस की मदद करेगा। उस मामले का संयुक्त राष्ट्र में ले जाये जाने तथा वहां कुछ होने की कोई संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : हाल ही में बन्दियों की अदला-बदली सम्बन्धी कराची में जो करार हुआ है क्या वह फिजो पर भी लागू किया जायेगा जो इस समय ढाका में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहिले तो कराची में ऐसा कोई करार ही नहीं हुआ । कराची में वार्त्ता चल रही है । वार्त्ता समाप्त होने के बाद हमें निर्णय मालूम होंगे । दूसरे इस का नागाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । कराची में चर्चा के अधीन जो विषय है संभवतः वह सीमा-आक्रमणों में बन्दी बनाये गये व्यक्तियों, चाहे वे इस पार के हों अथवा उस पार के, से सम्बन्धित है और दूसरों से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने ढाका स्थित हमारे उप उच्चायुक्त को यह परामर्श दिया है कि फिजो स्वतंत्र नागा सरकार स्थापित करने की अपनी योजना को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति कर रहा है, इस की सूचना वे समय-समय पर दें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: स्वाभाविक ही है कि हमारे पास जानकारी के अनेकों साधन हैं और ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त उन में से एक है । परन्तु सिद्धान्ततः अनेकों अन्य साधन और अनेकों जगहें हैं ।

एस० एस० लाइट रेलवे

*७७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६१-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० एस० लाइट रेलवे के कर्मचारियों का जो मामला न्यायनिर्णय के लिये भेजा गया था उसके सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): ट्रिब्यूनल ने अपना फ़ैसला दे दिया है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है ।

[उसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस रेलवे के अन्तर्गत केवल यही एक झगड़ा नहीं है, बल्कि और भी झगड़े समय समय पर होते रहे हैं ? क्या उन के बारे में शासन को सूचना है और उन के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जो झगड़े थे, वे समाप्त हो चुके हैं और अब रेलवे शान्तिपूर्वक चल रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसी मशीनरी स्थापित की गई है कि इस रेलवे के कर्मचारियों के झगड़े आरबिटरेशन तक भी न पहुंचने पायें और आपस में ही उन का तफ़सिया हो जाये ? इस सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : कनसिलियेशन मशीनरी तो है ही । कोई नई चीज़ नहीं बनाई गई है ।

†**श्री तंगामणि** : मूलतः ३०० कर्मचारियों की छंटनी हुई थी और यह मामला न्याय निर्णयन[1] के लिये भेजा गया है । फिर रेल इंजिन कर्मशाला में हड़ताल हुई और लगभग ९० व्यक्तियों को निकाल दिया गया । इस न्यायनिर्णयन और समझौते के फलस्वरूप अब कितने कामगरों को फिर से रख लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Adjudication.

†**श्री ला० ना० मिश्र** : सूचना ठीक नहीं है । केवल ४९ व्यक्तियों को निकाला गया था और काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या २०९ कर दी गई थी । आजकल इस पंचाट के फलस्वरूप ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें निकाला गया हो ।

†**श्री तंगामणि** : अभी भी कितने व्यक्ति बाहर हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

†**श्री तंगामणि** : पहिले मुख्य प्रश्न में उल्लिखित छंटनी के लिये एक न्यायनिर्णय हुआ था । उस के परिणामस्वरूप कुछ लोग बरख्वास्त किये गये थे जिस के बारे में इस सत्र के प्रारम्भ में उल्लेख हुआ था । उन में से कितने व्यक्ति अभी भी लिये जाने हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : एक प्रश्न पर मध्यस्थ निर्णय लिया गया था । जब दोनों पक्ष मध्यस्थ के द्वारा मामला निपटाने के लिये तैयार हो गये तब सहारनपुर के उप पुलिस अधीक्षक, श्री एम० सी० शर्मा तथा उक्त मध्यस्थ ने अपना निर्णय दिया जो दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था । उस के परिणामस्वरूप जैसा कि माननीय सदस्य को भारत के राजपत्र से मालूम होगा कि कोई व्यक्ति नहीं निकाला गया और सभी को काम पर रख लिया गया है ।

रूस में भारतीय विद्यार्थी

†७७६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव के फलस्वरूप कुछ विद्यार्थियों को चुना गया है और प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां तो वे किन संस्थाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं अथवा लेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उस प्रस्ताव का क्या हुआ जो रूस की सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजा गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारत सम्बन्धी तथा अन्य देशों सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या हुआ ? मैं अन्य देशों के बारे में नहीं जानता परन्तु रूस की सरकार का मूल प्रस्ताव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का था जो पूर्णतः स्पष्ट नहीं था कि उस में क्या प्रशिक्षण दिया जायेगा, उस के भत्ते तथा छात्रवृत्ति आदि क्या होंगे । बहुत पूछ ताछ के बाद यह पता चला कि प्रशिक्षण कुछ इस किस्म का है जिसे उच्चतर न कह कर प्रारम्भिक ही कहा जा सकता है । हमें इस विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है क्योंकि उस के लिये यहीं व्यवस्था है ।

इस के आगे और पूछ ताछ की गई और वर्तमान स्थिति यह है कि इस प्रशिक्षण में पांच या छः वर्ष लगेंगे और पहिला वर्ष तो वहां की भाषा सीखने में ही निकल जायेगा । यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रशिक्षण अन्तिम है अर्थात् स्नातकोत्तर प्रशिक्षण है । हम इस प्रशिक्षण के लिये उत्सुक थे । अतएव हम उस के लिये अभी भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यहां यह बता दूं कि इस विशेष योजना के अतिरिक्त अन्य दूसरी योजना भी है। ट्राम्बे अणु शक्ति विभाग का एक कनिष्ठ अधिकारी विकरण क्षति[1] तथा केत्वातु जटिलता आदि के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था। इस दूसरी योजना के अधीन ऐसी आशा की जाती है कि भौतिक रसायन में एक दूसरा उम्मीदवार रूस की छात्रवृत्ति लेगा।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि इस के अतिरिक्त हम उच्चतम प्रशिक्षित प्रविधिक व्यक्तियों को उच्चतर प्रशिक्षण के लिये रूस भेजते हैं ? हम ने भिलाई में नियुक्त कुछ लोगों को वहां भेजा है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वे एक विशेष उद्देश्य से भेजे जाते हैं। वे रूस में बनने वाले संयंत्र के लिये भेजे जाते हैं। वे वहां जा कर संयंत्र को देखते हैं और वे संयंत्र का उपयोग करने का प्रशिक्षण लेते हैं।

इस प्रकार अनेकों लोग भिलाई संयंत्र के लिये रूस और दुर्गापुर संयंत्र के लिये जर्मनी भेजे गये हैं। जहां कभी भी संयंत्र बनता है, वहां लोग जाते हैं।

बहादुरगढ़ (पंजाब) की औद्योगिक बस्ती

†*७७७. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य की बहादुरगढ़ औद्योगिक बस्ती की क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : राज्य सरकार यह सोचती है कि बहादुरगढ़ की प्रस्तावित छोटी औद्योगिक बस्ती में जल संभरण की लागत बहुत अधिक होगी अतएव वह अपने लोक-स्वास्थ्य प्राधिकारियों के परामर्श से इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है।

†श्री रामकृष्ण : इस प्रश्न पर अन्तिम रूप से कब तक निर्णय हो जायेगा।

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं बता चुका हूं राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ज्योंही वह विचार कर लेगी और उसकी सिफारिशें हमें प्राप्त हो जायेंगी, त्योंही हम उसका निर्णय कर लेंगे।

†श्री रामकृष्ण : क्या इस के लिये कोई दूसरा स्थान चुना गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह भी बहादुर गढ़ स्थल की परीक्षा होने पर ही निर्भर है। यदि वह कम खर्चीला न मालूम हुआ तो अन्य स्थान चुना जायेगा। औद्योगिक बस्तियों के लिये स्थान चुनने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

श्री मनुभाई शाह : दूसरी पंचवर्षीय योजना में पन्द्रह करोड़ रुपया।

लकड़ी की नई किस्में

†*७७८. श्री वें० प० नायर : क्या निर्माण आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी निर्माण कार्यों में नई किस्म की लकड़ी का उपयोग बढ़ाने के लिये क्या सरकार ने कोई विशिष्ट कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Radiation Damage.

2 Cobalt Complexes.

(ख) १९५७-५८ में सागौन, साल तथा अन्य पुरानी किस्म की लकड़ी का उपयोग करने के बारे में क्या परिणाम निकला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) बंगलौर, बम्बई और राजमुन्दरी में लकड़ी को सीजन[1] करने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिये स्थान प्राप्त करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है जिस से नई किस्म की लकड़ी के इस्तेमाल में सुविधा होगी। हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के लिये एक सीजन और संरक्षण संयंत्र प्राप्त करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि कई वर्ष बीते देहरादून में एक वन गवेषणा संस्था की स्थापना इस कारण की गई थी कि निर्माण में सागौन और साल के स्थान पर नई किस्म की लकड़ी का प्रयोग बचतपूर्ण ढंग से और लाभदायक सिद्ध होगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : वस्तुतः हम पहले से ही निर्माण में निम्न श्रेणी की नई किस्म की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। किन्तु जब तक उस को अच्छी तरह से सीजन न किया जाये तब तक वह अच्छा काम नहीं करती। अतः हम दिल्ली की हाउसिंग फैक्टरी में एक सीजनिंग व संरक्षण संयंत्र खोल रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को विदित है कि सागौन के संभरण में कमी के कारण और उस की मांग बढ़ जाने के कारण मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ? सरकार निर्माण लागत में कमी करने की दृष्टि से ऐसी लकड़ी के प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है जिस को सीजन कराने की आवश्यकता नहीं होती।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : बर्मा से संभरण कम होने के कारण सीजन की हुई सागौन का मूल्य वास्तव में अत्यधिक बढ़ गया है। इसी कारण मैं ने अपने उत्तर में कहा था कि हम दिल्ली की हाउसिंग फैक्टरी में लकड़ी को सीजन करने का एक संयंत्र खोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह मार्च १९५९ में कार्य करने लगेगा। बंगलौर, राजमुन्दरी और बम्बई में लकड़ी को सीजन करने के लिये संयंत्र स्थापित करने के बारे में स्थान का चुनाव किया जा रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने इसी योजना काल में अथवा आगामी योजना में पुरानी किस्म की लकड़ी के स्थान पर नई किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : लकड़ी को सीजन करने का संयंत्र तैयार होते ही हम सीजन की हुई पुरानी किस्म की अधिक से अधिक लकड़ी का प्रयोग करेंगे दिल्ली का संयंत्र मोटे रूप से २ लाख घन फुट लकड़ी देगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार इस बात को जानती है कि मध्यप्रदेश में बहुत से जंगल हैं और खास कर बस्तर और सरगुजा में इस तरह की लकड़ी है जिस की कि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। ऐसी हालत में जबकि मध्यप्रदेश एक बहुत अधिक जंगलों वाला प्रान्त है तो क्या सरकार इस तरीके का कोई सीजनिंग प्लान्ट मध्यप्रदेश में भी खोलने का विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seasoning.

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक सीजनिंग और संरक्षण का सम्बन्ध है इस में विदेशी मुद्रा का प्रश्न अन्तर्निहित है । हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन में इस के स्थान पर काम में आने वाली काफी लकड़ी मिल सकती है । यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों पर अवश्य विचार करना है । उदाहरण के लिये बस्तर में यातायात की ही कठिनाई है । काम में आने वाली लकड़ी के संभरण के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास: मैं एक बात पूछना चाहता था कि क्या मध्यप्रदेश, चूंकि वह इस देश का सब से बड़ा जंगली प्रान्त है ऐसी हालत में क्या मध्यप्रदेश में

जंगली प्रान्त भी कहा जा सकता है । इस का मतलब यह नहीं है कि वहां पर जंगली लोग रहते हैं । जंगली प्रान्त का मतलब यह भी है कि वहां पर बहुत से जंगल हैं । जो माननीय सदस्य हंस रहे हैं अभी शायद उन का हिन्दी भाषा का ज्ञान काफ़ी गहरा नहीं है ।

हां, तो मैं पूछ रहा था कि जहां पर इतने अधिक जंगल हैं और जो भी सीज़निंग प्लांट्स वहां पर डाले जा रहे हैं उन में से किसी प्लान्ट को वहां पर हटाने का विचार किया जा सकता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं समझता हूं कि यह अच्छा सुझाव है । मैं सुझाव दूंगा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से स्वयं इस मामले की जांच करने के लिये कहें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता था कि अंडमान और निकोबार में जो सीज़निंग वुड प्लान्ट लगा हुआ है क्या उस का कुछ विस्तार किया जा रहा है ? हमारे अंडमान और निकोबार से लकड़ी विलायत तक जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार उस लकड़ी के प्रयोग के लिये क्या उस प्लान्ट को बढ़ाने का विचार रखती है, बढ़ाया है, या उसका उपयोग करने के लिये कोई एक योजना बनाई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** वही यातायात की कठिनाई यहां भी उत्पन्न होती है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** जबकि इंगलैंड कहीं अधिक भुगतान कर रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इंग्लैण्ड अमीर देश है और अधिक मूल्य दे सकता है । हमें तो सस्ते सामान सोचने चाहियें । जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यदि वह इसी समय उपलब्ध है

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या सरकार अधिक मूल्य नहीं दे रही है । अण्डमान से जो लकड़ी मंगाई जायेगी वह इतनी महंगी नहीं होगी ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** लकड़ी के लिये वह कहां से निर्यात की गई ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** बर्मा की लकड़ी अण्डमान की लकड़ी से सस्ती है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** बर्मा की निश्चय ही सब से अधिक महंगी है । किन्तु हमें बताया गया है कि रेलवे के स्लीपरों आदि अन्य इसी प्रकार के कार्यों के लिये बर्मा की लकड़ी सब से अच्छी है । इन कामों में आप बर्मा की लकड़ी के स्थान पर कोई दूसरी लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों का भूमि का आवंटन

†*७७९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दामानी:
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विस्थापितों को जाली अथवा दुहरी निष्क्रमणार्थी भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जो जांच की गई थी उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) इस में कितने व्यक्ति और कितने एकड़ भूमि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) ऐसे आवंटनों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शो० नास्कर)**: (क) और (ख). अब तक १६,६२० शिकायतों की जांच की गई है । जिसमें से लगभग ३,५०० मामलों में जाली अथवा दुहरे आवंटन का पता लगा है जिस के परिणामस्वरूप २८,२७३ स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि वापस ले ली गई है ।

(ग) पुलिस में ५६० ऐसे मामले रजिस्टर कराये गये हैं जो उन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं जिन्हों ने जालसाज़ी से अथवा जामाबन्दी रिकार्ड में गड़बड़ कर के आवंटन प्राप्त कर लिया है । इनमें से १२५ मामलों को निपटाया जा चुका है और जिस के परिणामस्वरूप ६८ व्यक्तियों को अब तक दण्ड दिया गया है और ४३५ मामलों का अभी निबटारा होना है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : किन परिस्थितियों में इतने बड़े पैमाने पर जालसाज़ी से आवंटन किया गया और सरकार किस प्रकार इस का पता लगाने में असफल रही ? सरकारी मशीनरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं १९४७ और १९४८ से बताना आरम्भ करूं । अर्द्ध-स्थायी आवंटन के अधीन पंजाब और पेप्सू में ५० या ६० लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई थी । यह खेद का विषय है कि कुछ जालसाज़ी से आवंटन किये गये । लाखों एकड़ भूमि और लगभग ४ या ५ लाख लोग इस में अन्तर्ग्रस्त हैं, इस चीज़ को देखते हुए यह विषय अधिक भयकारी नहीं है ।

†**श्री दामानी:** क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों को इस अनुचित प्रकार से निष्क्राम्य सम्पत्ति के आवंटन की जांच करने और उसे रोकने का पता लगाने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कई मामलों का पता हमें चला था । हमें इस बारे में शिकायतें मिली थीं । पंजाब सरकार द्वारा अर्द्ध-स्थायी आवंटन योजना और अब स्थायी आधार पर आवंटन की योजना चलाई जा रही है । १९५६ में हमने एक विशेष विभाग स्थापित किया था । वही विभाग ऐसे मामलों

---

†मूल अंग्रेजी में

की जांच कर रहा है और जो लगभग २०,००० एकड़ भूमि पुनः वापस प्राप्त कर सका है। प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्य एवं सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि यदि आवंटन के किसी जाली मामले का पता हमें लगा तो मैं उस पर उचित कार्यवाही करूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार अपनी मशीनरी द्वारा किये गये कार्य से सन्तुष्ट है और इसमें सरकारी पदाधिकारियों का कोई हाथ नहीं था और किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : दो जूनियर क्लर्क इसमें अन्तर्ग्रस्त थे और उनको दंड दिया जा रहा है। जहां तक सन्तोष का सम्बन्ध है, पंजाब सरकार द्वारा इस विषय में जो महानकार्य और प्रयत्न किये जा रहे हैं मैं उन से पूर्णतया सन्तुष्ट हूं।

रसायन

+

†*७८१. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) [1]बुटेनाल, [2]विनिलेसीटेट विविल और [3]पोली विनिल क्लोराइड के वर्तमान औद्योगिक इस्तेमाल क्या-क्या हैं और उनकी वार्षिक मांग कितनी है ; और

(ख) इनका देश में कितना उत्पादन होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बुटेनाल का प्रयोग विलायक के रूप में और सामान्यतः उसके प्रलवण नामतः [4]बुटिल एसिटेट के रूप में किया जाता है। यह [5]लेकर्स के लिये एक महत्वपूर्ण विलायक है और जिसका प्रयोग पनिसिलीन के निर्माण म भी किया जाता है। [6]पोलि विनिले एसिटेट जो अपने [7]एमल्जन के रूप में होता है इसका इस्तेमाल चिपकने वाले पदार्थों के निर्माण, पेंटो, टेक्सटाइल फिनिशिंग और कुछ अन्य कोटिंग में किया जाता है। पोलिविनिल क्लोराइड एक महत्वपूर्ण थर्मो प्लास्टिक सिन है प्लास्टिक उद्योग में जिसका अत्यधिक उपयोग होता है। इसका प्रमुख इस्तेमाल, शीटिंग, कोटेड क्लाथ, केबल और तारों को विसंवाहित करने एवं अन्य विभिन्न प्रकार की बाहर की ओर निकली हुई तथा मुड़ी हुई चीजों में जिसमें पाइपिग भी सम्मिलित है, किया जाता है। पी० वी० सी० रेसिन्स और उससे बने पदार्थों की अनुमानित मात्रा १२०० टन है।

(ख) बुटेनाल का निर्माण अभी नहीं होता है किन्तु एक योजना के लिये लाइसेंस दिया गया है और उत्पादन १९६० के आरम्भ से होने लगेगा। पी० वी० सी० से बने पदार्थों के निर्माण की एक योजना भी हाल में स्वीकृत की जा चुकी है जिसके अनुसार २४० टन प्रतिमास क्षमता वाले २८८० टन प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्माण हुआ करेगा। पी० वी० सी० बनाने के लिये [8]केल्शियमे क्लोराइड और [9]एसिटिलीन से आरम्भ करेगी और तत्पश्चात् [10]विनिल क्लोराइड मोनोमर तयार करेगी। पोटिविनिल एसिटेट, रेजिन्स और २०० टन प्रति वर्ष क्षमता वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Butanol; [2]Vinylacetate vivyl ; [3]Poly-vinyl-cbloride; [4]Bontyl acetate; [5]Lacquers; [6]Polyvinyl acetate ; [7]Emulsion; [8]Calcium chloride; [9]Acetylene; [10]Vinyl chloride monomer.

एमल्जन्स के निर्माण करने की एक और योजना पर भी सहमति दी जा चुकी है किन्तु सहयोग की शर्तें विचाराधीन हैं। आरम्भ में कफर्मविनिल एसिटेंट मोनोमर आयात करेगी और ज्यों ही पोलिविनिल एसिटेट की मांग २०० टन प्रति मास अर्थात् १२० टन मोनोमेर प्रतिमास से अधिक बढ़ जायगी त्यों ही देश में उपलब्ध केल्शियम कारवायड और एसेटिक एसिड से विनिल एसिटेट बनाये जाने की आशा की जाती है।

†श्री ने० प० नायर : वर्तमान स्थिति के अनुसार आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की वार्षिक आवश्यकता होती है ?

†श्री मनुभाई शाह : दो करोड़ ७४ लाख रुपये।

गंदी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति

+

†*७८२. श्री पाणिग्रही :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री तंगामणि :
श्री हेम बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये जो परामर्शदात्री समिति है उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) इनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) जी हां।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

†श्री पाणिग्रही : प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् गन्दी बस्तियों की सफाई करने का जो कार्यक्रम प्रगति पर है उसकी पुनरीक्षा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि दो दिन पूर्व प्रतिवेदन मेरे साथी विधि मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गयी थी। इस प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और योजना आयोग द्वारा अब इस पर विचार किया जा रहा है। अब कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने का प्रश्न न हो कर अपितु उसमें कुछ इधर-उधर जोड़ना अथवा परिवर्तन करने का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : प्रतिवेदन में बताया गया है कि गन्दी बस्तियों की सफाई का काम सन्तोषजनक नहीं है। क्या गन्दी बतिस्यों की सफाई का काम किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जायेगा जिससे उसमें शीघ्रता की जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सरकार के निर्णय का अनुमान लगा रहे हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले पर विशेष ध्यान देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जबकि वह इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है। मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई ऐसा विषय है जिस पर दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई से अधिक शक्ति और समय दिया गया होगा। दिल्ली की योजना बनाने के लिये कई विशेषज्ञ दल काम कर रहे हैं। यह केवल एक क्षेत्र विशेष की सफाई का प्रश्न न हो कर अपितु कई रूपों में समायोजन करना है जैसे लोगों को कहीं अन्य स्थान पर ले जाकर बृहत्तर योजना आदि बनाना है। इस पर काफी श्रम लगाया जा चुका है और अब भी किया जा रहा है। अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं।

†**श्री नवल प्रभाकर**: क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में ऐसी कितनी गन्दी बस्तियां हैं.....

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं....

†**अध्यक्ष महोदय** : जल्दी क्या है ? मैं न नवल प्रभाकर को बुलाया है जो दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि माननीय सदस्य कुमारी अन्तरीप के रहने वाले हैं।

†**श्री तंगामणि** : गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी प्रतिवेदन सारे नगरों की सफाई के बारे में है। प्रमुख सिफारिशें.....

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं माननीय सदस्य को सदैव बोलने का अवसर देता रहा हूं।

†**श्री तंगामणि** : यह दिल्ली के ही लिये तो नहीं है.....

†**अध्यक्ष महोदय**: कुमारी अन्तरीप को भी इसमें शामिल कर लीजिये :

†**श्री तंगामणि** : कुमारी अन्तरीप का इसमें प्रश्न नहीं है। यह सभी नगरों के लिये है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि इस सदन के सभी सदस्यों में से श्री तंगामणि को ही क्यों शिकायत है। मैं उन्हें लगभग प्रत्येक प्रश्न पर बोलने का अवसर देता रहा हूं, चाहे मुख्य प्रश्न उन्हीं का हो अथवा नहीं। कभी-कभी यदि मैं दाहिनी ओर के लोगों से बोलने के लिये कहूं तो इसकी शिकायत क्यों की जाये ? अब श्री नवल प्रभाकर बोलेंगे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में कितनी गन्दी बस्तियों का विकास किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कितनी गन्दी बस्तियों का विकास किया गया है, इसका तो मैं ठीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बहुत सारी गन्दी बस्तियों में, मैं उनकी गिनती नहीं बता सकता, काम हुआ है और उससे लाभ भी हुआ है। सवाल जरा पेचीदा है। अगर हाउस चाहे तो ज्यादा कह सकता हूं। लेकिन उसमें पेच में पड़ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिश यह है कि गन्दी बस्तियों की सफाई का प्रश्न नगर के विकास के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से समझा जायगा। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी गन्दी बतिस्यों की सफाई के बारे में एसी ही योजना बनाई है। क्या मैं इन सिफारिशों को देखते हुए यह जान सकता हूं कि राज्य सरकारों से अलग-अलग प्रस्ताव मांगे जायेंग ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि प्रस्तावों की इस बारे में कुछ कमी है। यह सवाल तो धन प्राप्त कर एवं अन्य तरीकों से उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लौह अयस्क का निर्यात

†*७४९. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-पाक समझौते के आधार पर लौह अयस्क के आयात के लिये इटली की सरकार के क्रम संगठन ने एक दीर्घकालिक संविदा का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो एसे सौदे पर अन्तिम निर्णय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इटली के पश्चिमी तट से दीर्घकालिक आधार पर लौह-अयस्क खरीदने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से मामले की अभी जांच की जा रही है।

जूट का आयात

†*७५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में जूट के आयात का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) कितनी अनुमानित विदेशी मुद्रा इसमें अन्तर्ग्रस्त है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). देश में जितना संभरण होता है उसको देखते हुए कम से कम आयात के लिये अनुमति दी जायेगी। आयात का प्राक्कलन बताना लोक-हित में नहीं होगा।

[1]निकोटिनिक–एसिड हाइड्राजाइड और एमिनो-सालसिलिक–एसिड

†*७५५. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख कच्चे माल से देश में इन चीजों का कितना उत्पादन इस समय होता है (१) १५०—निकोटिनिक-एसिड-हाइड्राजाइड और उससे बनने वाले पदार्थ ; और (२) पैरा-एमिनो-सालसिलिक एसिड ?

---

†मूल अंग्रजी में

1. Nicotinic Acid Hydrazide and Amino-Salcylic Acid.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन इस समय ७ फर्मों को प्रमुख कच्चे माल से 'आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड' बनाने का लाइसेंस प्राप्त है। उनकी निर्माण क्षमता ३०·४ टन प्रतिवर्ष है। इन सात फर्मों में से १९५७ में ५ फर्मों में इस औषधि का वास्तविक उत्पादन लगभग १६ टन था। अन्य दो फर्मों में अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है।

दो फर्मों को प्रतिवर्ष १६,५६० पाउण्ड आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड से बनने वाली चीजें बनाने का लाइसेंस दिया गया है। १९५७ में उनका वास्तविक उत्पादन ५,४४१ पाउण्ड था।

पी० ए० एस० (पैरा-एमिनो-सालसिलिक एसिड) के सम्बन्ध में केवल एक फर्म इस औषधि का निर्माण कर रही है और दूसरी को हाल ही में लाइसेंस दिया गया है। १९५७ में वास्तविक उत्पादन १९ टन था।

फालतू पटसन

†*७५८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फालतू पटसन के बारे में जांच पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, उसकी उपपत्ति क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां।

(ख) मुख्य उपपत्तियां निम्न प्रकार से थीं :—

(१) मई के तृतीय सप्ताह में बिहार में बिना बिकी पटसन की मात्रा का अनुमान २,००,००० गांठें लगाया गया था।

(२) नई फसल अच्छी होने की आशा की जाती है।

(३) बिहार में बिना बिकी पटसन के जल्दी निकल जाने की दृष्टि से अस्थायी रूप से उसका आयात बन्द कर दिया जाना चाहिये।

(४) रेल द्वारा यातायात सम्बन्धी सुविधायें सन्तोषजनक हैं, अतः बिहार में पटसन उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा दी जानी चाहिये।

(५) नरम बनाने की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण रेशे की किस्म को हानि पहुंची है।

(६) कच्चे पटसन के निर्यात की अनुमति देना आवश्यक नहीं है।

राज्य सरकारों के लिये खरीददार

†*७६१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संभरण और निबटान महानिदेशक, वाशिंगटन में आई० एस० एम० और लन्दन में आई० एस० डी० द्वारा राज्य सरकारों के औद्योगिक उपक्रमों अथवा अर्द्ध स्थायी निकायों के लिये कुछ सामान खरीदने में कुछ कमीशन लिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त कर वसूल की जाती है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में वर्णित निकायों की ओर से पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि की खरीद की गई ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) जी हां।

(ख) १–४–५६ से वैभागिक प्रभार निम्न दरों पर लगाये जा रहे हैं :

	क्रय के लिये	निरीक्षण के लिये	नौवहन के लिये
संभरण तथा निवटान महानिदेशक	०.५ प्रतिशत	०.५ प्रतिशत	—
आई० एस० डी० लन्दन .	०.५ प्रतिशत	०.५ प्रतिशत	०.५ प्रतिशत
आई० एस० एम० वाशिंगटन	१.० प्रतिशत नौवहन को मिलाकर।	वास्तविक दर पर	—

(ग)

वर्ष	लाख रुपयों में मूल्य	
	'राज्य सरकारें'	'अर्द्ध सरकारी निकाय,
१९५५–५६ . .	२१,२०.५४	१,८५.३९
१९५६–५७	२९,७५.०३	४,५७.४९
१९५७–५८	२५,४४.५५	३,१७.६३

'राज्य सरकारों के औद्योगिक उपक्रमों' की ओर से खरीदे गये सामान के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†*७६६. श्री वाजपेयी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् में हाल में भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात के लिये पूर्वी अफ्रीकी बाजार का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रजी में

काटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम, नई दिल्ली

†*७६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम, नई दिल्ली की सीमा में पानी भर गया था जिससे सामान और स्टाक को क्षति पहुंची ;

(ख) यदि हां, तो सामान को बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ; और

(ग) सीमा में पानी भर जाने से कितनी वित्तीय हानि हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां

(ख) स्टाक तत्काल ही सूखे स्थानों को हटा दिया गया था और पानी रुकते ही एम्पोरियम से बाहर निकाल लिया गया था। क्षतिग्रस्त सामान की मरम्मत प्रगति पर है।

(ग) जब तक मरम्मत समाप्त नहीं हो जाती तब तक वास्तविक हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

तेज की हुई रेह का कारखाना[1]

†*७७१. **श्री करणी सिंह जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के बीकानेर जिले में तेज की हुई रेह (एक्टीवेटेड फुलर्स अर्थ) बनाने के लिये देश के उद्योग को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: फिलहाल केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन एसी कोई योजना नहीं है, किन्तु राजस्थान सरकार मुख और श्री कौलायत जी की रेह (पुलर्स अर्थ) के तेज किये जाने (एक्टीवेशन) के सम्बन्ध में रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, हैदराबाद में अग्रिम सयंत्र प्रयोग करवा रही है ।

आकाशवाणी, कटक

†*७७३. **श्री वैं० चं० मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि २० किलोवाट वाली फकीरवाड़ा, कटक का आकाशवाणी केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो २० किलोवाट वाले केन्द्र के ट्रांसमीटर के कार्य में सुधार करने के लिये। क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) अवरोध पूर्णत: विद्युत् संभरण के रुक जाने से हुआ है। अन्यथा ट्रांसमीटर बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है।

(ख) विद्युत्-संभरण के रुक जाने के प्रश्न के बारे में उड़ीसा राज्य के विद्युत् विभाग से पहले ही बात की जा चुकी है और उन से संभरण में सुधार करने के लिये कह दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Activated Fullevs Earth Factory.

दस्तकारी की चीजों का निर्यात

†*७७४. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा १९५२ में अब तक सोवियत रूस को कुल कितने मूल्य की दस्तकारी की चीजों का निर्यात किया गया है; और

(ख) १९५९ में कितने मूल्य की दस्तकारी की चीजों का निर्यात करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) ३१ जुलाई, १९५८ तक १,३३,३६२.५६ रुपये ।

(ख) १९५९ के संविदा अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किये गये हैं ।

कागज और गत्ता

†*७७५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कागज और गत्ते की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है;

(ख) देश में उस का कितना उत्पादन होता है; और

(ग) जो दो नई कागज की मिलें बनाने का विचार है उन की निर्धारित क्षमता क्या होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) लगभग २९०,००० टन ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (१९५८-५९ में) २५०,००० टन उत्पादन की आशा की जाती है ।

(ग) यह पता नहीं लगता कि किन दो कागज की मिलों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं । कुल १८४,०९६ टन वार्षिक क्षमता वाले २२ एककों को कागज बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रचार

†*७८०. **श्री दो० च० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान स्थित भारत के उच्चायुक्त के विरुद्ध पाकिस्तान के समाचारपत्र में द्वेषपूर्ण प्रचार के विरुद्ध किये गये प्रतिरोध के सम्बन्ध में भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Paper and Paper Board.

पटसन के बोरों का निर्यात

†*७८३. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम और वियतनाम गणतन्त्र के राष्ट्रीय कृषि उत्पाद आयात तथा निर्यात निगम के बीच किसी संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिस के अन्तर्गत वियतनाम भारत से दस लाख पटसन के बोरे खरीदेगा;

(ख) वियतनाम गणतन्त्र द्वारा पटसन के बोरों की खरीद का भुगतान किस मुद्रा में किया जायेगा; और

(ग) भारतीय बाजारों से भारत के व्यापार निगम द्वारा संविदा किये गये पटसन के बोरों की खरीद करने का क्या तरीका होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) रुपयों में ।

(ग) न्यूनतम टेंडर के द्वारा ।

रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक बस्ती

†*७८४. **श्री वाजपेयी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुऐ विस्थापितों को बसाने के लिये एक औद्योगिक बस्ती बसाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो कितने परिवार वहां बसाये जायेंगे; और

(ग) बस्ती में जो उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है उस का ब्यौरा क्या क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए ५०० नगरीय परिवारों के पुनर्वास के लिये उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में एक औद्योगिक बस्ती बसाने का प्रस्ताव है। एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। जो उद्योग यहां स्थापित किये जायेंगे उन का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रक्रम पर बता सकना सम्भव नहीं है।

कलकत्ता निगम के भंगियों के लिये मकान

†*७८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ३१ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भंगियों के लिये गृह-निर्माण के सम्बन्ध में कलकत्ता निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना स्वीकार कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): भंगियों के लिये गृह-निर्माण के सम्बन्ध में कलकत्ता निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं को कार्यान्विति के लिये २.८० करोड़ रुपयों का सारा का सारा आवंटन पहले ही कर चुकी है। धन की कमी के कारण भी कलकत्ता निगम की इस परियोजना के लिये अलग धन देना संभव नहीं है।

आकाशवाणी का विविध भारती कार्य-क्रम

†*७८६. श्री हेम बरुआ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विविध भारती कार्य-क्रम के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस के विस्तार के लिये अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). प्रारम्भ में विविध भारती कार्य-क्रम सप्ताह के कार्य दिनों में ५ घण्टों और रविवार/अवकाश के दिनों में ७½ घण्टे का हुआ करता था। अब उस कार्य-क्रम को सप्ताह के अन्य दिनों में ५½ घण्टे और रविवार/अवकाश के दिनों में ८ घण्टे कर दिया गया है। यह प्रस्थापना है कि ३ अक्तूबर, १९५८ से इसे और भी बढ़ा कर अन्य दिनों में तो ६½ घण्टे कर दिया जाय और रविवार अवकाश के दिनों में ९½ घण्टे कर दिया जाय।

हमारा लक्ष्य यह है कि जब भी हमें धन उपलब्ध हो जायं, इस कार्य-क्रम को सारा दिन चलाते रहें।

फोटोग्राफी के सामान के आयात के लिये लाइसेंस

†*७८८. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दिनेश सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि में फोटोग्राफी के सामान के आयात के लिये लाइसेंस अधिकतर इस सम्बन्ध में नये आयातकर्ताओं को ही दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन लाइसेन्स धारियों में से कितने व्यक्तियों का फोटोग्राफी के व्यापार से सम्बन्ध था। और उक्त अवधि में कितनी राशि के लिये लाइसेन्स जारी किये गये थे और उन में से वास्तव में कितनों का उपयोग किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय देश में सेंसिटाइज्ड फोटोग्राफिकल मैटीरियल की बहुत कमी है; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). अक्तूबर, १६५७ से मार्च, १६५८ तक की अवधि में पुराने आयातकर्ताओं को लगभग २० लाख रुपयों की सामग्री के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे । उपरोक्त अवधि के लिये आयात सम्बन्धी नीति घोषित की जाने के बाद, व्यापारियों से फोटोग्राफी सम्बन्धी सामान की कमी के बारे में शिकायतें आने लगीं । उस समय यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम को रुपये के हिसाब से आयात करने के लिये ६ लाख रुपयों की कीमत के सामान के लिये लाइसेन्स दिये जायें और वास्तविक उपभोक्ता के आधार पर प्रिंटर्ज और प्रयोगशालाओं आदि को कम मूल्य के लाइसेन्स भी जारी किये जायें । यद्यपि इस प्रकार से जारी किये गये लाइसेन्सों की संख्या तो अधिक है, परन्तु उन का कुल मूल्य पुराने आयातकर्ताओं के लिये जारी किये गये लाइसेन्सों के मूल्य से आधे से भी कम है । लाइसेन्सों के वास्तविक उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

फोटोग्राफी के सामान की अभी भी कमी है, परन्तु जब तक विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक मांग और आयात किये गये सामान के बीच के अन्तर को दूर नहीं किया जा सकता । इस कमी का कारण स्पष्ट है और वह यह है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण नियंत्रित आयात ।

इमारती सामान

†*७८६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की निर्माण परियोजनाओं की कार्यान्विति में इस्पात और सीमेंट के स्थान पर अन्य वस्तुओं के प्रयोग के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: प्रगति का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता । चूने के निर्माण और उपयोग की वृद्धि की दृष्टि से मार्च, १६५८ में रींवा में "भारत में चूने का निर्माण और उपयोग", पर एक गोष्ठी बुलाई थी । गोष्ठी की कार्यवाहियों की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

दिल्ली में कोयला गैस उत्पादन संयंत्र

†*७६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ फरवरी, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक कोयला गैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: दिल्ली प्रशासन ने इस योजना पर आगे विचार करना ही छोड़ दिया है क्योंकि उस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और स्थानीय अवस्थायें भी अनुकूल नहीं हैं जैसे कि नई दिल्ली के मकानों में परस्पर फासला अधिक है और उस के परिणामस्वरूप वितरण पर अधिक खर्च आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्रकारों की छंटनी

†*७९१. **श्री वाजपेयी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में श्रमजीवी पत्रकारों के हटाये जाने और उन की छंटनी के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) वे किस प्रकार की हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग). भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैडरेशन से केवल एक ही शिकायत आई है जिस में बताया गया है कि नियोजक समाचारपत्र ने फैडरेशन के भूत-पूर्व महासचिव (सेक्रेटरी जनरल) को काम से अलग कर दिया है। दिल्ली प्रशासन ने इस मामले को एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के हवाले कर दिया है ।

इस्पात विधायन उद्योग[1]

†*७९२. **श्री हेम बरुआ**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात विधायन उद्योग को भी योजना के प्रमुख भाग (कोर) में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस्पात विधायन उद्योग की प्रगति को इस्पात निर्माण यूनिटों की प्रगति के साथ मिलाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फिल्में

†*१२०७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री वाजपेयी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में बोर्ड द्वारा जिन दस रूपक फिल्मों और एक ट्रेलर के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, उन के नाम क्या क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: १९५७ में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जिन भारतीय फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणपत्र नहीं दिये गये थे उन के नाम ये हैं :—

१. पेइंग गेस्ट (हिन्दी)

२. नीलमणि (हिन्दी)

३. बम्बई फ्लाइट ४१७ (अंग्रेजी)

४. दुश्मन (हिन्दी)

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Steel Processing Industry.

५. बेटी (हिन्दी)

६. परवीन (हिन्दी)

७. तुमसा नहीं देखा (हिन्दी)

८. बोला तैसा ना चाले (मराठी)

९. दो मस्ताने (हिन्दी)

और फैशन का एक ट्रेलर (हिन्दी) प्रार्थियों द्वारा आवश्यक कांट छांट करने के उपरान्त पेइंग गेस्ट, नीलमणि, बेटी, परवीन, तुम सा नहीं देखा, दो मस्ताने, और फैशन के ट्रेलर के लिये बाद में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाण पत्र दे दिये गये थे।

जेलफा शरणार्थी बस्तियां

†१२०८. **श्री दशरथ देव :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की जेलफा शरणार्थी बस्तियों में ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक पूरा पूरा ऋण अदा नहीं किया गया है;

(ख) ऋण की अदायगी में देरी हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऋणों की शीघ्रता से अदायगी के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) ३०३ परिवार।

(ख) और (ग). १०६ परिवारों ने ऋण की प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद उन बस्तियों को छोड़ दिया था। इसलिये उन्हें शेष ऋण अदा नहीं किया गया। शेष ११३ परिवारों को कृष्यकरण के अतिरिक्त सभी कार्यों के लिये ऋण दिये जा चुके हैं। कृष्यकरण के लिये ऋण उस क्षेत्र के कृषि योग्य बन जाने के बाद दिया जायेगा।

औद्योगिक उपक्रम

†१२०९. **श्री पांगरकर:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५९ में अभी तक स्थापित औद्योगिक उपक्रमों में से कितने उपक्रमों को औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन लाइसेन्स दिया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने औद्योगिक उपक्रमों का विस्तार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). १ जनवरी, १६५८ से १५ अगस्त, १६५८ तक की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करने वाले ३२ औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की गई थी। उक्त अवधि में ६२ औद्योगिक उपक्रमों का बिकास किया गया था।

चीनी, वनस्पति और ईंधन उद्योगों के औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Industrial Undertaking.

पटसन उद्योग

†१२१०. **श्री पांगरकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में पटसन उद्योग के लिये अपेक्षित कितने मूल्य का सामान आयात किया गया था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):

	रुपये
१. कच्ची पटसन	६,८१,९३,८७३
२. पटसन की मिल-मशीनों का स्टोर और उन के अलग अलग पुर्जे	६४,४८,६७६
३. बिजली की मशीनें और अलग पुर्जे	१३,८७,८४८
४. पूंजीगत वस्तुयें	९०,३०,६८८
५. पटसन बैचिंग आयल	१,४८,८३,३३३
कुल	९,९९,४४,५९६

यह संख्या १ में बताये गये आंकड़ों में यह बताया गया है कि वास्तव में आयात की गयी वस्तुओं की कुल कितनी कीमत थी । अन्य मदों में यह बताया गया है कि आयात के लिये कितने कितने मूल्य की वस्तुओं के लिये लाइसेन्स जारी किये गये थे ।

कुटीर उद्योग

†१२११. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में सहकारी आधार पर कितने कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ; और

(ख) किनने ग्राम घानी केन्द्र[1] खोले गये हैं और किस किस स्थान पर ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) नारियल जटा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारी आधार पर २१ कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं । वे ये हैं —

नारियल जटा, खादी (साधारण चरखे पर), खादी (अम्बर चरखे पर), ग्राम कुम्भकारी, ग्राम घानी, साबुन तैयार करना, ग्राम चमड़ा, ताड़गुड़, कुम्भकारी (कलात्मक), चमड़ा (कलात्मक), शीशे के खिलौने, बेंत और बांस, रंगाई और छपाई, कढ़ाई, बुनाई, ज़री धागे का निर्माण, पुराने डिज़ाइन की बुनाई, लाख का सामान, पीतल का सामान, हिमरू, मशरू कार्य और पेथान सीने का धागा और पिलो वर्क।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Village Oil Crushing Centres.

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११३]**

पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण में अफीमची

†१२१२. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के किस किस डिवीज़न में वहां के आदिम जाति के लोग अधिक अफीम खाते हैं ;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनकी अफीम खाने की आदत को दूर करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) तिराप, सियांग और लोहीत ।

(ख) इस सम्बन्ध में पूरे आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु इन डिवीज़नों में अधिकतर जनता को अफीम खाने की आदत है। १९५७–५८ में ३९४ व्यक्तियों को अफीम खरीदने के लिये परमिट जारी किये गये थे। परन्तु उनमें से अधिक तर लोग स्वयं अफीम पैदा करने के बाद उसका प्रयोग करते हैं ।

(ग) वहां पर अफीम का उत्पादन करने और उसके इस्तेमाल से लोगों को दूर रखने के लिये पहले ही एक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है। वहां के लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अफीम के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। यह प्रचार वहां पर राजनीतिक नेताओं, शिक्षा तथा चिकित्सा पदाधिकारियों और उनके कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अफीम खरीदने के लिये परमिट केवल पुराने अफीमचियों को ही दिये जाते हैं ।

राजस्थान में हथकरघा-उद्योग पर खर्च

†१२१३. **श्री ओंकारलाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अभी तक राजस्थान में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) यह राशि किन-किन विषयों पर खर्च की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) १९५८–५९ में राजस्थान के लिये हथकरघा उद्योग के विकास के लिये ९ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे। मई के अन्त तक उनमें से २३,३५३ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

क्रम संख्या	अनुदान	खर्च
		रुपये
१.	संघटन सम्बन्धी खर्च	४,३५५
२.	विक्रय डिपो	८,०८६
३.	निरीक्षण और स्टाम्प आदि	८,४०६
४.	रंगाई गृह	१,९११
५.	केन्द्रीय डिपो	१३७
६.	चलती फिरती गाड़ियां	४६८
	कुल	२३,३५३

ऋण—कुछ भी नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†१२१४. **श्री ओंकार लाल :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिये किस किस परियोजना के लिये मंजूरी दे दी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११४]**

भारत सेवक समाज

†१२१५. **श्री ओंकार लाल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा १९५७–५८ में राजस्थान के भारत सेवक समाज को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** योजना आयोग द्वारा १९५७–५८ में राजस्थान के भारत सेवक समाज के लिये सीधे ही कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी।

खाल और चमड़ा कमाने के कारखाने

†१२१६. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) गत दो वर्षों में मद्रास राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में खाल और चमड़ा कमाने के कितने कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले दो वर्षों में इस प्रकार कितने प्रवीण मजदूरों की नौकरी पर असर पड़ा है और ईस्ट इंडिया किप्स के उत्पादन और निर्यात में कितनी कमी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :—

खाल और चमड़ा कमाने के कारखाने जो बन्द हो गये हैं	उन प्रवीण मजदूरों की संख्या जिनकी नौकरी पर असर पड़ा है	ईस्ट इण्डिया किप्स के उत्पादन और निर्यात में कमी
२	७०	५४,०००

पंजाब में कुटीर उद्योग

†**१२१७. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाब राज्य के महेन्द्रगढ़ ज़िले के पिछड़े हुये क्षेत्र में कुछ एक कुटीर उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां तो किस किस प्रकार के कुटीर उद्योगों को विकसित करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) खादी, ग्राम तेल उद्योग (दस घानियां के दो केन्द्र) और अखाद्य तेलों से साबुन तैयार करना (बी क्लास के यूनिट) ।

समवाय

†**१२१८. श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेठ रामकृष्ण डालमिया का कितने समवायों पर नियंत्रण है ; और

(ख) १६५७–५८ में इस प्रकार के समवायों में कुल लगभग कितनी राशि का कारबार (बिजनेस) हुआ था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) उन समवायों की ठीक ठीक संख्या जानना बड़ा कठिन है जिन पर श्री राम कृष्ण डालमिया का नियंत्रण है, जब तक कि समवाय अधिनियम, १६५६ की धारा २४७ के अधीन इस बात के लिये जांच न की जाये । फिर भी विशेष जांच आयोग द्वारा जिन समवायों की जांच की जा रही है, उनके अतिरिक्त अन्य समवाय निम्नलिखित हैं जो कि रामकृष्ण डालमिया के समवाय समझे जाते हैं : —

१. भगवती ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटिड

२. मानव सहयोग प्राइवेट लिमिटिड

†मूल अंग्रेजी में

३. पटियाला बिस्कुट मैनूफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड

४. डालमिया दादरी, सीमेंट लिमिटेड

५. गोवन ब्रादर्ज प्राइवेट लिमिटेड

६. एडवर्ड केवेन्टर (स) प्राइवेट लिमिटेड

७. स्वदेशी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड

८. मातृ-भूमि निर्माण प्राइवेट लिमिटेड

९. भारत डैवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

१०. देहली ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

(ख) उक्त दस समवायों के १९५७–५८ में किये गये व्यापार की प्रकलित राशि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनमें से ९ समवाय प्राइवेट कम्पनियां हैं जिन्हें संयुक्त स्कन्ध समवाय के रजिस्ट्रार के दफ्तर में अपने लाभ और हानि के खाते प्रस्तुत नहीं करने होते। सरकारी समवाय के १९५७–५८ का वार्षिक खाता भी उपलब्ध नहीं है।

सिलाई की मशीनों की फैक्टरियां

†१२१९. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी फैक्टरियों में सिलाई की मशीनें तैयार की जा रही हैं ;

(ख) प्रत्येक फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) १९५७–५८ में कुल कितनी मशीनें तैयार की गईं थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) ५८।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११५]**

(ग) ५५,७५८।

साइकल बनाने की फैक्टरियां

†१२२०. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में साइकल की कितनी फैक्टरियां हैं ;

(ख) प्रत्येक फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) १९५७–५८ में कितनी साइकलें तैयार की गईं थीं ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) बड़े पैमाने का क्षेत्र—६,

छोटे पैमाने का क्षेत्र—२२ ।

(ख) सभा पटल पर (क) और (ख) दो विवरण रखे गये हैं, जिनमें बड़े पैमाने के क्षेत्र और छोटे पैमाने के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११६]

(ग) बड़े पैमाने का क्षेत्र—२,४२,७९४ साइकलें ।

छोटे पैमाने का क्षेत्र—३७,५९१ साइकलें ।

सतर्कता[1] कर्मचारी

†१२२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता कर्मचारियों द्वारा १९५७–५८ में दिल्ली और नई दिल्ली में पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री सेहर चन्द खन्ना) : २० मामले जिनमें २० सरकारी कर्मचारी अन्तग्रस्त हैं ।

जाब में दस्तकारियां

†१२२२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की देखरेख और संरक्षण में कोई दस्तकारियां विकसित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिला है और प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) बहुत सी राज्य परियोजनाएं जो कि दस्तकारियों के विकास के लिये कार्यान्वित की जा रही हैं या तो प्रशिक्षण योजनाएं हैं अथवा ऐसी हैं जिनमें लोगों के रोज़गार के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता जो कि वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने अलग उत्पादन केन्द्र खोल लेते हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय के सम्बन्ध में बताना कठिन है । जहां तक अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाये जा रहे केन्द्र का सम्बन्ध है, ३५ महिलाओं को राफ़िया कार्य (नारियल या खजूर के पट्ठों के कार्य) में प्रशिक्षण दिया गया है । वे महलिाएं जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य प्रारम्भ किया है वे प्रतिदिन १-८-० रुपये से २ रुपये तक की मजूरी प्राप्त कर रही हैं ।

मोटर गाड़ियों का उत्पादन

†१२२३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Vigilance Staff.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्णरता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि देश की बड़ी बड़ी फैक्टरियों में मुख्य मुख्य पुर्जों और अन्य छोटी फैक्टरियों में अन्य सहायक पुर्जों को पर्याप्त मात्रा में तैयार करने के लिये देश की उत्पादन क्षमता को पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया जाय। उपरोक्त सभी कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं और खुली हुई हालत में पुर्जों का आयात करना आवश्यक है। जबकि मुख्य मुख्य मोटर गाड़ी निर्माताओं के लिये पूंजीगत वस्तुओं का एक बहुत बड़े भाग का आयात हो चुका है।

सवारी मोटर गाड़ियों और ट्रकों के निर्माण के वर्तमान कायक्रमों के सम्बन्ध में सरकार देनगी की स्वीकार्य शर्तों पर आयात-निर्यात बैंक ऋण के द्वारा शेष पूंजीगत वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है। सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में भी यही नीति अपनाई जा रही है। इन वस्तुओं का देश में ही निर्माण करने के कार्यक्रम इस समय प्रगति पर है, पर साथ ही जो वस्तुयें देश में नहीं बनाई जा रही उन्हें विदेशों से मंगाने का विचार भी है। परन्तु इस में विदेशी मुद्रा का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। यहां भी सम्भव सीमा तक आवश्यक पुर्जों को आयात करने के लिये लाइसेंस देने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण एक सीमित सीमा तक ही आयात किया जा सकेगा।

दिल्ली में उद्योग

†१२२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली प्रशासन से इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक उन उद्योगों की सूची रखी जाती है जिन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अधीन दिल्ली में अभी तक लाइसेंस दिये गये हैं ; [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११७**]

दिल्ली प्रशासन से नये उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिब्बत के साथ व्यापार की समाप्ति

†१२२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २२ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांस-हिमालय व्यापार हित का प्रातनिधित्व करने वाले व्यावसायिकों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर क्या निर्णय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ट्रांस-हिमालय व्यापार हित का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यावसायिकों के ज्ञापन में जो विभिन्न सुझाव दिये गये थे उन पर विचार किया जा रहा है। उसमें जो प्रश्न उठाये गये थे वह मुख्यत: सीमावर्ती राज्यों से सम्बन्धित थे और उनसे उस अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगना अनिवार्य है।

बन्दरों का निर्यात

†१२२६. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ६ पौंड से कम वज़न वाले बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का भारत की विदेशी मुद्राओं की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : हमारे व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों के लिये बन्दरों को श्रेणीबद्ध करने का काम वज़न के आधार पर न किये जाने के कारण इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबन्ध के फलस्वरूप कुल निर्यात में भारी कमी हो गयी है और पता चला है कि इनके संचालकगण अब संभरण का कोई दूसरा जरिया प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

कोयला कारखानों में बचाव की कार्यवाही

†१२२७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री सूपकार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में बचाव की कार्यवाही के बारे में चर्चा करने के लिये ४ अगस्त, १६५८ को एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ;

(ग) उसमें किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ; और

(घ) सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां। यह ५ और ६ अगस्त, १६५८ को हुआ था।

(ख) कलकत्ते में।

(ग) इस सम्मेलन में इन लोगों ने भाग लिया था :

केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य-सरकारों ;

खान उद्योग के मालिकों, टेक्निशियनों और श्रमिकों, के प्रतिनिधियों ने ;

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् के कुछ सदस्यों ने ;

खनन विशेषज्ञों और खनकों ने ।

(ख) सम्मेलन ने अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्रम अधिकारी[1]

†१२२८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न संस्थापनों से संलग्न श्रम अधिकारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें स्थायी बनाने के लिये कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के विभिन्न उपक्रमों से संलग्न नौ श्रम-अधिकारी स्थायी बनाये जा चुके हैं । लगभग ५० और श्रम अधिकारियों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मेंगनीज की कच्ची धातु का निर्यात

१२२९. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश के झाबुआ ज़िले की थांदला तहसील की खानों की मेंगनीज़ की कच्ची धातु किन-किन देशों को निर्यात की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : निर्यात के आंकड़े तहसील और ज़िलावार नहीं रखे जाते ।

भारतीय जूतों का निर्यात

१२३०. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष रूस से भारतीय जूतों की खरीद की कोई मांग आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष रूस को कितने जूते निर्यात किये जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ; १९५७ से मांग आ रही है ।

(ख) १९५७—५,७६,९०० जोड़े ।

१९५८—२,४२,७५० जोड़े ।

(३० जून १९५८ तक)

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Labour Officers.

गोआ के साथ व्यापार

१२३१. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं के गोआ को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और तत्पश्चात् प्रतिबंध ढीले करने से भारत को कितना लाभ या हानि हुई या होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : गोआ को होने वाले निर्यात के आंकड़े व्यापारिक आकड़ो में अलग से दर्ज नहीं किये जाते । इसलिये ठीक ठीक यह अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है कि गोआ से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाने से कितना लाभ या हानि हुई ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१२३२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर:

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली व नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये किन-किन इलाकों में क्वार्टर बने हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक इलाके में कितने क्वार्टर हैं ; और

(ग) उन क्वार्टरों में बिजली, पानी, शौचालय व सफाई आदि की अधिकतम सुविधायें देने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) से (ग). सभा की मेज़ पर विवरण रख दिया गया है ।

सिलाई की मशीनें

†१२३३. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक देश में सिलाई की कुल कितनी मशीनों का निर्माण हुआ है ; और

(ख) इनमें से कितनी मशीनें देश में बेची गयी हैं और कितनी मशीनों का निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) केवल जून, १९५८ तक के आंकड़े उपलब्ध हैं । अप्रैल-जून, १९५८ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्मित सिलाई की मशीनों की संख्या

बड़े पैमाने वाले क्षेत्र में .	५२,३०६	
छोटे पैमाने वाले क्षेत्र में .	६,४०५	[यह आंकड़े विकास आयुक्त (लघु-उद्योग) की स्वीकृति में शामिल ३६ कारखानों में से २७ के सम्बन्ध में है । शेष कारखानों के सम्बन्ध में उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं]

(ख)	देश में बिकी मशीनों की संख्या	निर्यात की गयी मशीनों की संख्या
बड़े पैमाने वाले क्षेत्र में	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	२३१३
छोटे पैमाने वाले क्षेत्र में	६५८६	एक भी नहीं

विदेश सेवा और सूचना सेवा का एकीकरण

†१२३४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के अधीन विदेश-सेवा और सूचना सेवा का एकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) अभी तो विदेश प्रचार संगठन के मौजूदा कर्मचारियों को भारत विदेश सेवा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भारत विदेश सेवा के अधिकारी वर्ग में से पूरा करने का प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

(ख) अनुभव से पता चला है कि पत्रकार-वर्ग से अथवा बाहर से वास्तव में बढ़िया लोग नहीं आते और मन्त्रालय को स्वयं अपने अधिकारियों का प्रशिक्षण करने की सलाह दी गयी है । यह भी विचार है कि विदेशों में प्रचार कार्य करने से पहले किसी अधिकारी को राजनीतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक कार्यों के बारे में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होना चाहिये ।

(ग) यह मसला अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१२३५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पश्चिमी पाकिस्तान से आये कितने विस्थापित व्यक्ति हैं; और

(ख) क्या उन सभी का पुनर्वास हो गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) ३७,३७,०००।

(ख) मन्त्रालय के दृष्टिकोण से जिन लोगों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता थी उन सबका पुनर्वास हो चुका है। पंजाब के विस्थापित दावेदारों में बहुत सों को प्रतिकर भी दिया जा चुका है और शेष व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान हो चुकने पर यदि कोई समस्या रही भी होगी तो वह भी सुलझ जायेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†१२३६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितनी बड़ी परियोजनाओं के १९५८-५९ में पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) इसी अवधि में उनमें से प्रत्येक पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) और (ख). निम्नलिखित विवरण में १ करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली उन बड़ी परियोजनाओं की सूची दी हुई है जिनके १९५८-५९ में पूरे हो जाने की सम्भावना है। उनके लिये १९५८–५९ का बजट-उपबन्ध भी दिखा दिया गया है।

परियोजना का नाम	(लाख रुपयों में) १९५८-५९ बजट-प्राक्कलन
बिजली	
१. मैथान (६ करोड़ वाट) दामोदर घाटी निगम परियोजना २. पांचेट पहाड़ी परियोजना (४ करोड़ वाट) दामोदर घाटी निगम	८२५.००
३. पोरिंगल कुथु जल-विद्युत परियोजना (३ करोड़ २० लाख वाट) केरल राज्य	८.९२
४. कोरबा परियोजना केन्द्र (९ करोड़ वाट) मध्य प्रदेश राज्य	४८१.३३
५. पेरियर हाइड्रो योजना (१० करोड़ ५० लाख वाट) मद्रास राज्य	७३.५४
६. मद्रास तापीय संयंत्र विस्तार (३ करोड़ वाट) मद्रास	१९.२९
उद्योग	
१. सिन्द्री के उर्वरक कारखाने का विस्तार	१९९.००
२. हिन्दुस्तान केबल्स (को-एक्सियल केबल परियोजना)	३०.००
३. पश्चिमी बंगाल की दुर्गापुर कोक-ओवन परियोजना	४२०.००

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना का नाम	(लाख रुपयों में) १९५८-५९ (बजट प्राक्कलन)
रेलवे	
लाइन की क्षमता संबंधी कार्य, दोहरी लाइन बिछाना और दूसरे किस्म की लाइनें लगाना	
१. मध्य : दिल्ली--मथुरा (४५ मील--बड़ी लाइन)	५०.००
२. उत्तर : कानपुर--इलाहाबाद (आंशिक) (६० मील--बड़ी लाइन)	९०.००
३. दक्षिण : विन्न मंगलम्--तेरुपत्तूर (१९.५ मील--बड़ी लाइन)	८४.००
४. दक्षिण पूर्व : रुरकैल-दुर्ग (२८२ मील--बड़ी लाइन)	८४८.००
लाइन की क्षमता संबंधी अन्य कार्य	
५. पूर्व : हावड़ा--बर्दवान मेन लाइन (तारकेश्वर ब्रांच सहित)	२०३.३८
बड़े पत्तन	
१. बम्बई में मैरीन आयल टर्मिनल २. कांडला पत्तन परियोजना--प्रथम प्रावस्था (चार बर्थों और सम्बन्धित उपकरणों का निर्माण) ३. कलकत्ते में किंग जार्ज की गोदी वाली 'बी' बर्थ को सामान्य माल-बर्थ में और 'सी' बर्थ को तेल की बर्थ में बदलना ४. कलकत्ते में किंग जार्ज की गोदी वाली 'डी' बर्थ को सामान्य माल-बर्थ में बदलना ५. कलकत्ते में सक्शन-ड्रेजर	९००.००

प्रवीण व्यक्ति

†१२३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक संख्या में प्रवीण व्यक्ति उपलब्ध करने के लिये कोई योजना बनायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित करने में गैर-सरकारी संघों को भी शामिल किया जायगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी शिल्पियों के प्रशिक्षण की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने की एक योजना है ।

(ख) (१) संस्थाओं में २०,००० और (२) उद्योग में ७,००० स्थान बढ़ा कर प्रशिक्षण की क्षमता में वृद्धि की जा रही है ।

(ग) और (घ). जी हां; अधिक संख्या में शिल्पियों की उपलब्धि के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी उद्योगों की मौजूदा सुविधाओं में भी सुधार और उनका विस्तार किया जाना है ।

तांबे का संभरण

†**१२३८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे का सम्भरण प्राप्त करने में उद्योगों को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के लिये तांबे का उचित और समय पर संभरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हा ।

(ख) २ अप्रैल, १९५८ के अलौह-धातु नियंत्रण आदेश के अधीन, जो अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों के अधीन निकाला गया था, तांबे के सम्भरण और मूल्यों पर नियंत्रण कर लिया गया है । इस आदेश के अधीन अलौह-धातुओं के नियंत्रक को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह आयात किये गये तमाम तांबे को अपने अधिकार में लेकर उसे छोटे-बड़े वास्तव में उपयोग करने वालों को इस धातु की खपत के पुराने आंकड़ों के आधार पर समन्याय्य रीति से वितरित कर दें ।

सिनेमा की फिल्में और ध्वनि आलेखन यंत्र[1]

†**१२३९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कितने मूल्य की कुल कितने फुट सिनेमा की फिल्म (कच्ची और खिंची हुई[2]) का आयात किया गया; और

(ख) इसी अवधि में कितने मूल्य के ध्वनि आलेखन यन्त्रों और सिनेमा के यंत्रों[3] का आयात हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sound Recording Equipment.
[2]Exposed.
[3]Projection Equipment.

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). १९५७-५८ में भारत में आयात की गयी सिनेमा फिल्मों कच्ची और खिंची हुई--सिनेमा दिखाने की मशीनों और ध्वनि आलेखन यन्त्रों के परिमाण और कीमत का विवरण नीचे दिया जाता है :--

	यूनिट	परिमाण यूनिटों के रूप में / कीमत हज़ार रुपयों में १९५७-५८ परिमाण	कीमत
१. सिनेमा फिल्में--बिना खिंची			
(१) स्टैण्डर्ड ३५ मिलीमीटर	लम्बाई "०००" फु०	२,१०,३१०	१५,९९९
(२) सब स्टैण्डर्ड ३५ मिली मीटर .	,,	५७,७०७	४,१२०
२. सिनेमा फिल्में खिंची हुई धुली या बिना धुली			
(१) स्टैण्डर्ड ३५ मिली मीटर	,,	१५,४२२	४,३९९
(२) सब-स्टैण्डर्ड ३५ मिली मीटर .	,,	१,४५६	३९१
३. (१) चौथाई अश्व शक्ति से कम वाली सिनेमा दिखाने की स्टैण्डर्ड मशीनें	संख्या	१,६६४	२,३३७
(२) चौथाई अश्व शक्ति से कम वाली सिनेमा दिखाने की सब स्टैण्डर्ड मशीनें	संख्या	५८३	४६५
(३) सिनेमा दिखाने की मशीनों के हिस्से	कीमत	--	३,०४३
४. (१) चौथाई अश्व शक्ति से कम वाले ध्वनि आलेखन यंत्र .	संख्या	२१८	५६४
(२) ध्वनि आलेखन यंत्रों के हिस्से	कीमत	--	४९६

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कदाचरण

†१२४०. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बाहर के ७ प्रमुख निर्माण कार्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अफसरों और ठेकेदारों के कदाचरण के बारे में (जिसका उल्लेख १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १६ पर किया गया है)। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान और केन्द्रीय राजस्व के महालेखा-पाल की ओर से जो व्यौरेवार जांच की जा रही थी उसका अन्तिम परिणाम क्या निकला है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह निर्माण कार्य ठीक-ठीक किन स्थानों पर हुए थे; और

(ग) किस प्रकार का कदाचरण किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जो व्यौरेवार जांच की गयी थी उससे पता चला है कि इन ७ में से ४ मामलों में निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं किया गया था। २ मामलों में समय व्यपगत हो जाने के कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं हुआ कि निर्माण कार्य ठीक-ठीक विशिष्ट विवरण के अनुसार हुआ था या नहीं। शेष एक मामले में अन्तिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है और उस मामले में अब भी जांच की जा रही है।

(ख) यह निर्माण कार्य गुण्टाकल में दिल्ली के भीतर और आसपास स्थित हैं।

(ग) कदाचरण आम तौर पर इस प्रकार के हैं कि वास्तव में जितने सामान का उपयोग किया गया उससे कहीं अधिक परिमाण का बिल दिया गया और इन निर्माण कार्यों में घटिया किस्म का सामान लगाया गया और इस प्रकार करार के विशिष्ट विवरण के अनुसार काम नहीं किया गया।

समवाय विधि प्रशासन

†१२४१. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय अधिनियम के प्रशासन व्यय को निम्नतम स्तर पर रखने के लिये क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जायगा जिसमें १६५५-५६, १६५६-५७, १६५७-५८ और १६५८-५६ (प्राक्कलित) में समवाय अधिनियम के प्रशासन पर हुए कुल व्यय का व्यौरा दिया हुआ हो; और

(ग) उपर्युक्त चार वर्षों में समवाय अधिनियम के अधीन वसूल किये गये शुल्क से कितनी आय हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सचिव के अधीन एक बचत-बोर्ड सचिवालय और क्षेत्र-कर्मचारियों दोनों की रिक्तियों को भरने के प्रस्तावों समेत व्यय के सभी प्रस्तावों की छानबीन करते हैं। समवाय अधिनियम के अधीन प्रदत्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के यद्यपि इस संगठन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखने पड़ते हैं, फिर भी कार्य भार का ध्यान रखते हुए इस प्रयोजन के लिये केवल न्यूनतम संख्या में कर्मचारी रखने की मंजूरी दी गयी है। १६५६ के अन्त में पांच प्रादेशिक निदेशकों में से एक का कार्यालय बन्द कर दिया गया और उससे काफी बचत की गयी। जिस छोटे से संगठन को नये कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गयी हों उसके संस्थापन-व्यय में बहुत भारी कमी नहीं हो सकती; लेकिन आकस्मिक व्यय न्यूनतम स्तर पर ले आया गया है।

(ख) और (ग). १६५५-५६, १६५६-५७ और १६५७-५८ में समवाय अधिनियम के प्रशासन पर हुए कुल व्यय, उसके अधीन वसूल किये गये शुल्क और साथ ही १६५८-५६ के व्यय

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी प्राक्कलनों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	वसूल किया गया शुल्क
१९५५-५६	२१,५२,९००	१५,३८,४९२	६,८२,८८५
१९५६-५७	२७,९०,५००	२७,८१,१४३	१०,५०,३६०
१९५७-५८	२९,२०,२००	२७,५५,७००	२४,१०,२५५
१९५८-५९	२९,९७,०००	—	—

सर्क्युलर रोड पर सरकारी क्वार्टरों का गिराया जाना

†१२४२. **श्री राधा रमण** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसफअली रोड के सामने सर्क्युलर रोड के कुछ सरकारी क्वार्टर और बंगले गिराये जाने वाले हैं और उनसे प्राप्त होने वाली जमीन को रिहायशी के स्थान पर अन्य कार्यों के लिए इस्तैमाल किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या हैं और उसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में ग्रामदान आन्दोलन

†१२४३. **श्री संगण्णा** : क्या योजना मंत्री ७ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरापट (उड़ीसा) जिले के ग्रामदान आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये जिस अधिकारी को वहां भेजा गया था क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ११९]

†मूल अंग्रेजी में

चीन में राजनयिक प्रतिनिधियों के आने जाने पर प्रतिबंध

†१२४४. **श्री वाजपेयी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के जनवादी गणराज्य ने पीकिंग स्थित विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के आने जाने पर और नियंत्रण लगा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) क्या नये प्रतिबन्ध भारतीय राजनयिक प्रतिनिधियों पर भी लागू होते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) चीन स्थित विदेशी राजनयिक, मिशनों के सदस्यों द्वारा उस देश में किये जाने वाले दौरों को निदेशित करने वाले विनियम चीनी लोक गणराज्य की सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किये हैं। वस्तुतः इन नवीन विनियमों के अनुसार पहले के विनियमों की अपेक्षा प्रतिबंध में कमी कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां। वे सभी विदेशी मिशनों के सदस्यों पर लागू होते हैं जिनमें भारत भी सम्मिलित है ।

सरकारी मुद्रणालय

†१२४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में सरकारी मुद्रणालयों में कुल कितना काम किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में सरकारी मुद्रणालयों पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) भारत सरकार के मुद्रणालयों में १६५७-५८ में कुल काम इस प्रकार किया गया था :

(१) कम्पोजिंग और छपाई . रायल आकटेवो साइज के ८,६८,५६५ पृष्ठ जो ४६,६३,०४,७४० बार छापे गये—इसके अतिरिक्त स्टिचिंग और विभिन्न ढंग की जिल्द बंधाई तथा अन्य कार्य पृथक् हैं ।

(२) ७१,४४,२५० लैटर हेड, और

(३) ८,३०,३५,६६७ लिफाफे—भिन्न भिन्न साइज़ के ।

(ख) कागज़ और जिल्दसाजी की वस्तुएं मिला कर २,८०,२३,२२५ रुपये । उपरिव्यय की गणना १६५६-५७ के आंकड़ों के आधार पर की गई है क्योंकि १६५७-५८ के आंकड़े अभी एकत्रित नहीं किये गये हैं ।

'अन्नातो' (जाफरा के बीज) का निर्यात

†१२४६. **श्री जगन्नाथ राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ में 'अन्नातो' (जाफरा के बीज) का कुल कितना निर्यात किया गया है ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Annatto (Japhra seed).

(ग) क्या इस बीज की उपज को गहनता प्रदान करने और निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) क्या इस बीज का भारत में वनस्पति रंग के रूप में प्रयोग किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख) व्यापार सांख्यकी में 'अन्नातो' (जाफरा के बीज) का पृथक् उल्लेख नहीं है अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त नहीं किया जाता है किन्तु मक्खन, घी, मारगरीन, पनीर और चाकलेट सरीखी खाद्य वस्तुएं रंगने में काम आता है ।

शिक्षित बेरोजगार

†१२४७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री प्रत्येक राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की वर्तमान संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली)** : जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	काम दिलाऊ दफ्तरों में ३० जून, १९५८ को चालू रजिस्टरों में शिक्षित आवेदनकर्त्ताओं (मैट्रिक और उससे ऊपर) की संख्या
(१)	(२)
आन्ध्र प्रदेश	२८,७९२
आसाम	२,१६७
बिहार	९,९९६
बम्बई	५१,७२५
दिल्ली	२४,८००
हिमाचल प्रदेश	८०१
केरल	३७,४३९
मध्य प्रदेश	८,१३१
मद्रास	२८,८६२
मनीपुर	४६२
मैसूर	१५,१५४
उड़ीसा	२,४८७
पांडिचेरी	३४४
पंजाब	१६,९६१
राजस्थान	१०,१४१
त्रिपुरा	७२०
उत्तर प्रदेश	५०,३५०
पश्चिम बंगाल	४४,३५५
अखिल भारत में कुल योग	३,३३,६८७

†मूल अंग्रेजी में

फिल्म 'परदेसी'

†१२४८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी सरकारों ने अपने देश में 'परदेसी' चलचित्र पर प्रतिबन्ध लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सिंगापुर और मलाया में विवाचकों ने "परदेसी" चलचित्र को प्रदर्शन के लिये स्वीकार नहीं किया है। अन्य देशों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है । अन्य देशों के बारे में जानकारी संग्रहीत की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य की योजनाओं का पुनः प्रावस्थाभाजन[1] किया जाना

†१२४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य की योजनाओं को पुनः प्रावस्थाभाजित करने के लिये राज्य सरकारों को जानकारी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की योजना को तैयार करने का क्या कार्यक्रम है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद की ३ और ४ मई, १६५८ की मीटिंग के तुरन्त पश्चात् परिषद् द्वारा किये गये निर्णय राज्य सरकारों को संप्रेषित कर दिये गये थे । उनमें दो वर्ष—१६५९—६१ के संसाधनों के लिये प्राक्कलन तैयार करने की प्रार्थना की गई थी । राज्य के वित्त मंत्रियों और योजना मंत्रियों की चर्चा का कार्यक्रम भी बनाया गया है । यह चर्चा पूरी हो जाने पर पुनर्मूल्यांकन के परिणामों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् विचार करेगी और उनके निर्णय संसद के समक्ष रखे जायेंगे ।

गन्दी बस्तियों की सफाई

†१२५०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री सूपकार :
श्री सरजू पांडे :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में चुने हुए भवन परियोजनाओं[2] के प्रतिवेदन में संविहित सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में चुने हुए भवन परियोजनाओं के प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिशों का राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार परीक्षण कर रही है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Rephasing of State Plans.

[2]Selected Buildings Projects.

विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां

†१२५१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद, प्रेम नगर, हस्तिनापुर और विस्थापित व्यक्तियों की ऐसी अन्य बस्तियों की भावी व्यवस्था के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १२०]**

सोवियत रूस और चीन के साथ पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा

†१२५२. **श्री वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस, चीन, हंगरी, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया के साथ हमारे देश की ओर से पत्र-व्यवहार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है ; और

(ख) उपरोक्त देश भारत के साथ पत्र-व्यवहार में किस भाषा का प्रयोग करते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के साथ पत्र व्यवहार में विदेशी सरकारें निम्न भाषाओं का प्रयोग करती हैं :—

रूस . . .	रूसी
चीन का जनवादी गणराज्य	चीनी
हंगरी	हंगेरियन और अंग्रेजी
पोलेण्ड	पोलिश और कभी कभी फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद सहित
यूगोस्लाविया	अंग्रेजी और फ्रांसीसी

भारत में रूस के अतिरिक्त इन सब देशों के राजदूतालय पत्र-व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। सोवियत रूस रूसी भाषा का प्रयोग करते हुए उसका अंग्रेजी में अनधिकृत अनुवाद भी प्रयुक्त करता है।

(ख) भारत सरकार और भारतीय दूतावासों से अंग्रेजी में उत्तर भेजे जाते हैं। किन्हीं मामलों में हमारे दूतालय सम्बन्धित देश की राष्ट्रीय भाषाओं में उसका अनधिकृत अनुवाद भी भेजते हैं।

परिचय-पत्र आदि औपचारिक दस्तावेज हिन्दी में भी भेजे जाते हैं।

पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी में डाकू

†१२५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस ने ७ जुलाई, १९५८ की रात्रि में गंगानगर जिले के शरपुरा में पांच डाकू गिरफ्तार किये जो पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी में थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ७/८ जुलाई, १६५८ की रात्रि में पांच पाकिस्तानी सशस्त्र डाकू राजस्थान में गंगानगर जिले में भारतीय भू-सीमा में घुस आयें। राजस्थान सशस्त्र पुलिस नें इनमें से चार डाकू गिरफ्तार कर लिये किन्तु पांचवां भाग निकला।

दिल्ली भूदान यज्ञ अधिनियम

†१२५४. **श्री जाधव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली भूदान यज्ञ अधिनियम, १६५५ के अधीन दिल्ली राज्य क्षेत्र में कितनी भूमि दान में दी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : अखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में ३१ दिसम्बर, १६५७ तक ३६६ एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। दिल्ली भूदान अधिनियम १ मई, १६५८ को लागू किया गया था और इसके अधीन भूदान का अनुमोदन अभी करना शेष है।

हरी चाय

†१२५५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत में हरी चाय पैदा होती है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां और कितन एकड़ भूमि में पैदा होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) केवल हरी चाय की उपज की एकड़ भूमि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे तैयार करने की विभिन्न पद्धति अपनाकर उसी हरी पत्ती को हरी चाय अथवा काली चाय में परिवर्तित किया जा सकता है। पंजाब में कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में मण्डी में हरी चाय पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। कांगड़ा और मण्डी में हरी चाय के उपज का क्षेत्र ३१ मार्च, १६५८ को क्रमशः ६,६०७ एकड़ और १,०४६ एकड़ था।

कच्ची फिल्मों का वितरण

†१२५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में फिल्मस डिवीजन और प्राइवेट फिल्म उत्पादकों द्वारा पूरी लम्बाई वाली और रूपक फिल्म कितनी बनाई गई हैं;

(ख) प्राइवेट उत्पादकों और फिल्मस डिवीजन को कुल कितनी लम्बाई की कच्ची फिल्में दी गईं थीं;

(ग) क्या कच्ची फिल्मों के आवंटन में फिल्मस डिवीजन के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस प्रकार के व्यवहार से प्राइवेट उत्पादकों को हानि हुई है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: विगत पांच वर्षों में फिल्मस डिवीजन द्वारा उत्पादित पूरी लम्बाई वाली और रूपक फिल्मों की संख्या चार थी। प्राइवेट फिल्म उत्पादकों द्वारा उत्पादित फिल्मों के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड ने १९५३ से १९५७ तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये १५४४ फिल्मों को प्रमाणपत्र दिये थे।

(ख) २६ सितम्बर, १९५७ के पहले कच्ची फिल्मों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था। उक्त तारीख के पश्चात् ३१ मार्च, १९५८ तक वितरित कच्ची फिल्मों की कुल लम्बाई निम्न प्रकार है :—

प्राइवेट उत्पादक	५३४.५ लाख फुट
फिल्मस डिवीजन . . .	७ लाख फुट

(ग) से (ङ). फिल्मस डिवीजन की तत्काल मांग पूरी करने के लिये उन्हें अप्रैल, १९५८ में तदर्थ रूप में केवल कुछ कच्ची फिल्में दी गईं थीं और इससे चालू वर्ष के सात महीनों में १९५७ की तुलना में प्राइवेट फिल्म उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत चित्रों की कुल संख्या में कोई प्रभाव नहीं हुआ। कच्ची फिल्मों का कोटा भी सामान्य और साफ्ट ४० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रतिशत कर दिया गया है और फिल्मस डिवीजन की आवश्यकता के अधिकांश भाग की अब आयात से पूर्ति की जाती है जिसकी व्यवस्था राज्य व्यापार निगम करता है।

राजस्थान सीमा पर लोगों की गिरफ्तारी

१२५७. **श्री प० ला० बारूपाल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में बिना पासपोर्ट राजस्थान सीमा को पार कर पाकिस्तान जाने और फिर वापिस आने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राजस्थान सरकार से यह सूचना इकट्ठी की जा रही है। जब यह सूचना मिल जायेगी तो मेज पर रख दी जायेगी।

ग्वार गम

१२५८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में ग्वार गम की कितनी पैदावार हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पिछले तीन वर्षों में भारत में ग्वार गम का उत्पादन निम्नानुसार हुआ :

वर्ष	परिमाण (टनों में)
१९५६ (जुलाई-दिसम्बर)	४०५९
१९५७	४०४५
१९५८ (जनवरी-जून)	३३७८ (अनुमानित)

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर

१२५६. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कामदिलाऊ दफ्तर हैं;

(ख) उन के संचालन पर भारत सरकार को प्रति वर्ष कितना व्यय करना पड़ता है;

(ग) गत पांच वर्षों में इन कामदिलाऊ दफ्तरों नें कितने बेरोजगार लोगों को काम दिलाया;

(घ) किन श्रेणियों के लोगों को इन दफ्तरों से काम मिलता है; और

(ङ) गत पांच वर्षों में कितने लोगों ने इन दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये और इन दफ्तरों को कितनी नौकरियों की सूचना दी गई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २०२ ।

(ख) वार्षिक औसत खर्च ३७.६६ लाख रुपये ।

(ग) १०,३२,२४० ।

(घ) लगभग एक हजार श्रेणी के उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में सहायता दी गई । इनमें औद्योगिक, पर्यवेक्षी (सुपरवायजरी) कुशल, अर्धकुशल, अकुशल पढ़ाने और क्लर्की की नौकरी चाहने वाले भी शामिल हैं ।

(ङ) ६१,२६,६५६ लोगों ने नाम लिखाया ।

१५,८२,५८६ खाली जगहों की सूचना मिली ।

ढाका में भारतीय उच्च आयोग

†१२६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित भारतीय उच्च आयोग के सदस्यों के पीछे पाकिस्तान सुरक्षा पुलिस लगी रहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस विषय की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान सरकार के समक्ष इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था किन्तु उन्होंने इससे मना कर दिया है ।

मोटर के टायरों का निर्माण

†१२६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १० मार्च, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के सम्बंन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में मोटर के टायरों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक योजना ने कितनी प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२१]**

जापान के साथ लौह अयस्क समझौता

†१२६२. **श्री वाजपेयी :**
श्री पाणिग्रही :
श्री आसर :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध में लौह अयस्क की कीमत के लिये भारत और जापान में हुए समझौते की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जो समझौता हुआ है उसमें व्यापार संविदे की विस्तृत जानकारी दी गई है । सभी व्यावसायिक संगठन इसे प्रायः गोपनीय रखते हैं । यदि राज्य व्यापार निगम के व्यापार संविदे के बारे में मैं इसी व्यापारिक पद्धति को अपनाऊं तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे ।

तपेदिकग्रस्त खनिज श्रमिकों का उपचार

†१२६३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तपेदिक से पीड़ित कोयला खान श्रमिकों के अधिवास उपचार की योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). बिहार और बंगाल की कोयला खानों में तपेदिक से पीड़ित कोयला खान श्रमिकवृन्द, जिन्हें कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की टी० बी० क्लिनिक्स अथवा निधि द्वारा रक्षित विभिन्न आरोग्यशालाओं में प्रवेश नहीं मिलता है, की अधिवास उपचार योजना छः महीने के लिये प्रयोगात्मक कार्यवाही के रूप में १२ जून १९५८ को स्वीकार की गई है । इस योजना के अन्तर्गत अभी ३०० मरीज रखे जायेंगे ।

२. जिन व्यक्तियों का अधिवास उपचार किया जायेगा उन्हें इस योजना के अधीन निम्न भुगतान किया जायेगा :—

(१) उपरोक्त कोयला खान में तपेदिक से पीड़ित कोयला खान श्रमिक को विशेष खुराक के लिये सहायता अनुदान जो अधिकतम ५० रुपये है; और

(२) परिवार में जब मरीज ही एक मात्र कमाऊ व्यक्ति हो तो ऐसे श्रमिकों को प्रति व्यक्ति हर माह अधिकतम सीमा ५० रुपये तक निर्वाह भत्ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. सहायता अनुदान और निर्वहन भत्ता एक समिति की सिफारिश पर दिया जायेगा। कोयला खान कल्याण आयुक्त और धनबाद और आसनसोल के सैन्ट्रल अस्पतालों के दो सुपरिन्टेण्डेण्ट इस समिति के सदस्य हैं।

विदेशी चलचित्र निर्माता

†१२६४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक जिन विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म शूटिंग करने की अनुमति दी है उनके क्या क्या नाम हैं; और

(ख) इन फिल्मों के क्या क्या नाम हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). भारत में फिल्म निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है अतः किसी विशेष अवधि में भारत में फिल्म शूटिंग के बारे में निश्चित जानकारी देना सम्भव नहीं है। निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों को उनकी प्रार्थना मिलने पर फिल्म शूटिंग करने की सुविधाएं दी गई थीं :—

कम्पनी का नाम	फिल्म का नाम
१९५७–५८	
१. मेसर्स मरशम प्राडक्शन्स, ब्रिटेन	'हैरी ब्लेक'
२. मेसर्स रैंक आरगनाइजेशन्स, ब्रिटेन	'विड केन नाट रीड'
३. मेसर्स ओडिसी प्राडक्शन्स, अमेरिका	'वाइल्ड लाइफ'
१९५८–५९ (अभी तक)	
१. मेसर्स फिल्म प्राडक्शन्स इंटरनेशनल, अमेरिका	'महात्मा गांधी' सम्बन्धी चलचित्र

सुविधाएं प्रदान करने में सरकार को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा।

लन्दन में भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारी

†१२६५. **श्री जाधव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग में काम करने वाले भारत से भेजे गये कर्मचारियों ने सेवा की अवस्थाओं के बारे में भेदपूर्ण व्यवहार की शिकायतें की हैं;

(ख) भारत से भेजे गये और स्थानीय रूप में भरती किये क्लर्कों के लिये वेतन क्रम और महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों की विद्यमान दरें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय रूप में भरती किये गये कर्मचारी और विशेष रूप से विदेशियों को सेवा में रख लिया जाता है जबकि भारतीय राष्ट्रजनों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है अथवा मितव्ययता के नाम पर उनकी छंटनी कर दी जाती है; और

(घ) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों में स्थानीय भरती के आधार पर रखे गये कर्मचारी सम्बन्धित देशों की सरकारों को आय कर अथवा अन्य समान कर देते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी नहीं।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२२]**

(ग) जी नहीं। यह सच है कि स्थानीय रूप से भरती किये गये सदस्य कम खर्चीले सिद्ध होते हैं। मितव्ययता के आधार पर यह निर्णय किया गया है अथवा ऐसा विचार है कि भारत से जाने वाले व्यक्तियों के लिये कुछ पदों की पूर्ति भविष्य में स्थानीय भरती के रूप में की जायेगी। इस अवस्था में भारत से भेजे गये कर्मचारी अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं और छंटनी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

हथकरघे

†**१२६६. श्री साधूराम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कुल कितने हथकरघे लगाये गये हैं; और

(ख) इन हथकरघों द्वारा कुल कितना वस्त्र उत्पादित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल

†**१२६७. श्री साधूराम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के कुल कितने सदस्य १९५७ में विदेश गये थे;

(ख) वे किन-किन देशों में गये थे;

(ग) उनके दौरे का क्या परिणाम हुआ है; और

(घ) इन प्रतिनिधिमण्डलों पर कितनी रकम खर्च हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२३]**

काच की चद्दरें

†**१२६८. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हर वर्ष काच की कितनी चादरों की आवश्यकता होती है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) काच की चद्दरें निर्माण करने वाले काच उद्योगों के नाम, उनकी उत्पादन क्षमता और यथार्थ उत्पादन कितना है; और

(ग) उत्पादित की गई काच की चद्दरें और आयात की गई चद्दरों के भावों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) देश में आजकल लगभग ६०० लाख वर्ग फुट काच की चद्दरों की मांग है ।

(ख) काच की चद्दरें बनाने वाली विभिन्न एककों के नाम और उनकी कार्यक्षमता लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२४]** १६५७ में काच की चद्दरों का उत्पादन ५४२. १ लाख वर्ग फुट और जनवरी-जून, १६५८ में ३६२.१ लाख वर्ग फुट था ।

(ग) प्रशुल्क आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्राक्कलन के अनुसार स्वदेशी काच की चद्दरों की कारखाने के बाहर उचित मूल्य की आयात किये गये काच के दरभाड़ा सहित मूल्य की तुलनात्मक स्थिति लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण 'ख' में दी गई है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२४]**

सोवियत रूस के साथ व्यापार

†**१२६६. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी वस्तुओं का भारत के बाजारों में अनुकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो १६५७-५८ में व्यापार की क्या स्थिति थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) सोवियत रूस से आयात की गई वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार किसी विशेष शिकायत के बारे में अवगत नहीं है ।

(ख) १६५७ और १६५८ में भारत और रूस के बीच व्यापार अवस्था नीचे दी जाती है :—

(लाख रुपयों में)

	१६५७	१६५८ (जनवरी-मई)
आयात	२२६८	१२०६
निर्यात	१७५३	७६५
व्यापार संतुलन	(–) ५१५	(–)४४१

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का अलग किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : २८ अगस्त, १९५८ को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य माननीय सदस्यों ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसका निर्णय आज के लिये स्थगित कर दिया गया था :

> "मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी नामक हावड़ा की एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्था द्वारा ११३५ प्रवीण कर्मचारियों को काम से अलग कर देने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना जिससे वैगन बनाने के और भिलाई तथा दुर्गापुर में इस्पात तैयार करने के अत्यावश्यक आर्डरों का काम रुक गया है और कलकत्ता तथा उसके आस पास इंजीनियरिंग उद्योग के बिल्कुल बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।"

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी हां। माननीय सदस्यों को पता है कि विदेशी मुद्रा के अभाव के परिणामस्वरूप अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात में भी बहुत कमी कर दी गयी है अत: देश में संभरण की कमी है। वर्तमान वर्ष में इस्पात के संभरण में काफी कमी रही है। गत दो वर्षों में ३० लाख टन इस्पात मिला था पर इस वर्ष कुल २० लाख टन का संभरण हो सकेगा। दूसरी ओर, इंजीनियरिंग उद्योग में इस्पात की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि गत वर्ष की भांति संभरण किया जाता तो भी उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती। अत: इस्पात की मांग हमारे संभरण से बहुत ज्यादा है। उपलब्ध संभरण का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिये भरसक कोशिश की जा रही है और इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये जा चुके हैं। इनके विवरण इस वक्तव्य में दिये गये हैं। जिसे मैं सभा-पटल पर रख रहा हूं। श्रम, रेलवे तथा इस्पात मंत्रालय के सहयोग से एक त्रिदलीय बैठक बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसमें श्रमिकों, उद्योग तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अलग करने के प्रश्न पर विचार करेंगे और इस बात को तय करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाये। इसके अलावा सरकार सचिवों के स्तर पर एक अन्तर्मंत्रालय समिति बनाने जा रही है जो योजना के अत्यावश्यक कार्यों की पूर्ति के लिये ऐसी चीजों के आर्डर देने के बारे में, जिन को देश के अन्दर ही तैयार किया जा सकता है, और इसके लिये आवश्यक कच्चे माल को उपलब्ध कराने के बारे में एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनायेगी। आशा है कि जो कार्यवाही हम कर रहे हैं उसके परिणामस्वरूप आगे चल कर ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी जैसी इस समय पैदा हो गयी है।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार भी मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के मामले में छानबीन कर रही है और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कुछ बातचीत भी हुई है।

मैं इंजीनियरिंग उद्योग को इस्पात देने के बारे में वक्तव्य को भी पढ़ कर सुनाता हूं।

वक्तव्य

इंजीनियरिंग उद्योगों को इस्पात के संभरण सम्बन्धी सामान्य स्थिति का वर्णन सभा के सामने किया जा चुका है। वैगन बनाने वाले तथा डिब्बे बनाने वाले एकक की स्थिति अन्य एककों की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अपेक्षा कम खराब हैं क्योंकि वैगन तथा डिब्बे बनाने वाले एककों के अधिकांश आर्डरों की प्राथमिकता ऊंची है। फिर भी वैगन व डिब्बे बनाने वाले एककों को समान संभरण नहीं किया जाता। कठिनाई इस्पात के सामान्य अभाव की नहीं है बल्कि विशेष किस्मों की कमी की समस्या है। इस स्थिति को देखते हुए कलकत्ते में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा और दिल्ली में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बैठकें बुलाई गयीं और संबद्ध उद्योगों से परामर्श किया गया कि स्थिति में तात्कालिक सुधार कैसे किया जाये। बातों के दौरान यह पता लगा कि बर्न एण्ड कम्पनी हावड़ा को छोड़कर उस क्षेत्र के अन्य एककों के पास, जो वैगन तथा डिब्बे बनाते हैं, इतना इस्पात है कि वे नवम्बर तक अपना काम चला सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने जापान को डी० एल० एफ० कार्यक्रम के अधीन जो आदेश दिये हैं, उनकी पूर्ति इस वर्ष के अन्त तक होनी शुरू हो जायेगी। अतः अब से वर्ष के अन्त तक के समय की कठिनाई ही है।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस बीच की अवधि में देश के भीतरी संभरण से कितना काम चलाया जा सकता है। कठिनाई यह है कि इस्पात प्लेट हमारे देश में सिर्फ टाटा कम्पनी में ही बनती है और उसमें भी गत अप्रैल से उत्पादन आधा हो गया है। बाद में वहां हड़ताल होने से वहां की स्थिति और भी खराब हो गयी है और उत्पादन पर असर पड़ा है। वैगन बनाने वाले एककों को अभी भी ५० प्रतिशत का संभरण किया जा रहा है और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अन्य प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को इस्पात देना थोड़ा कम करके क्या इन एककों का संभरण बढ़ाया जा सकता है।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक स्थिति को सुधारने के लिये दो अन्य उपाय भी कर रहे हैं। एक तो है विभिन्न फर्मों में इस्पात के हर प्रकार के माल की कितनी-कितनी मात्रा है इसकी विस्तृत सूची तैयार करना, ताकि पता लग सके कि उसका पुनर्वितरण करके स्थिति कितनी सुधारी जा सकती है। इस सम्बन्ध में फर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक हो चुकी है और आगे की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है। दूसरे, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि रूस और जर्मनी से आयात किये जाने वाले कुछ प्रकार के इस्पातों से इन एककों का काम किस हद तक चलाया जा सकता है।

अतः स्थिति यह है कि इस्पात की कमी के कारण हमारे सामने काफी बड़ी कठिनाई जरूर पैदा हो गयी है लेकिन हम उपरोक्त उपायों द्वारा स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[यह वक्तव्य सभा-पटल पर भी रखा गया]

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : क्या माननीय मंत्री पश्चिमी बंगाल सरकार से यह कहने की कृपा भी करेंगे कि जब तक त्रिदलीय सम्मेलन मामले का निर्णय न कर ले तब तक इन ११३५ व्यक्तियों का मामला अन्तिम रूप से निर्णीत न किया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री वे० प० नायर के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो इस प्रकार है :

> "पाण्डेचेरी के चीफ कमिश्नर द्वारा, वहां की विधान सभा के बहुसंख्यक दल द्वारा परिषद्यों के रूप में मनोनीत किये गये नामों को स्वीकार न करने से उत्पन्न स्थिति और उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार तथा चीफ कमिश्नर की सांठगांठ के कारण संवैधानिक व्यवस्था की विफलता ।"

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग न किया करें । इससे कोई फायदा नहीं होता और न ही ये शब्द हमें शोभा देते हैं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरा भी इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव है । संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिये । पांडेचेरी परिषद् में बहुसंख्यक दल है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया है । ३८ में से २२ सदस्य इस दल में हैं और श्री चेट्टियार ने मंत्रियों के पद के लिये कुछ नाम दिये हैं । लेकिन चीफ़ कमिश्नर ने इस दल को मानने से इन्कार कर दिया है । यदि इस परिषद् को मान्यता नहीं दी जायेगी तो पांडेचेरी के प्रशासन पर जो थोड़ा सा नियंत्रण इस परिषद् का है वह भी खत्म हो जायेगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने या विफल होने का खतरा होने सम्बन्धी किसी बात का मुझे कुछ पता नहीं है । जिस परिषद् का उल्लेख किया गया है, वह उन विषयों के सम्बन्ध में, जो उसको प्रत्यायोजित किये गये हैं, चीफ़ कमिश्नर को परामर्श देने का काम करती है । यह परिषद्, हमें स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिनों पूर्व एक फ्रांसीसी आज्ञप्ति के आधार पर बनाई गई थी । उसी के अनुसार इस में कम से कम तीन सदस्य निर्वाचित और तीन मनोनीत होने चाहिएं । पर हमारे चीफ़ कमिश्नर ने सामान्यतया ऐसा ही किया है कि वह सारे ६ नाम मांग लेते हैं । वास्तव में उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं । यही इसकी मोटी पृष्ठभूमि है ।

अभी हाल में कुछ और भी बातें हुई हैं । मेरा ख्याल है कि परिषद् में ३९ सदस्य हैं और उसमें दो दल हैं । अभी हाल में एक दल के, जो बहुसंख्यक दल था, कुछ सदस्यों ने अपना दल छोड़ दिया; पर वह किसी भी दल में न रह कर अलग ही रहे । इस प्रकार वहां तीन दल थे जिनमें किसी का भी बहुमत नहीं था । उनकी संख्या १६, ११, ११ थी पर उनमें से भी दो बाद में फिर अपने दल में चले गये ।

इस प्रकार पाण्डेचेरी विधान सभा के सदस्य अकारण ही कभी इस दल में और कभी उस दल में जाते रहते हैं और बेचारे चीफ कमिश्नर ठीक ठीक स्थिति का पता नहीं पा सकते ।

वास्तव में एक बात और हो गयी । विधान सभा के प्रेसीडेण्ट के निर्वाचन के लिये एक बैठक हुई थी । मैं मामले के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं । इस बैठक के सभापति ने, कुछ कारणों से, जिन्हें उन्होंने ठीक समझा, तीन चार दिन के लिये बैठक स्थगित कर दी और वहां से चले गये । अन्य लोगों ने बैठक को जारी रखा और एक नया प्रेसीडेण्ट चुना । मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत किया

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

या सही किया । सामान्यतया जब सभापति बैठक स्थगित कर देता है तो वह स्थगित हो जाती है । सभापति ने यह काम सही किया या गलत--इस पर बाद में विचार किया जा सकता है--पर यह नहीं होता कि शेष लोग बैठक जारी रखें । यह एक वैधानिक मामला है और हम इस स्थिति के सम्बन्ध में अपने वैधानिक पदाधिकारियों से परामर्श कर रहे हैं । इस समय मैं नहीं बता सकता कि सही स्थिति क्या होगी ।

तत्पश्चात् परिषद्यों का प्रश्न है । पुराने परिषद्यों ने त्यागपत्र दे दिया था, अतः इन अलग हो जाने वाले व्यक्तियों ने दूसरे दल से मिल कर ६ परिषद्यों के नाम देने का निवेदन किया । चीफ कमिश्नर ने उनसे पूछा कि क्या इन व्यक्तियों का भी कोई संगठित समूह है क्योंकि उन्हें तो केवल २ दलों का ही पता था । यह तीसरा समूह जो पैदा हो गया था यह कभी इस ओर मिल जाता था और कभी उस ओर । चीफ कमिश्नर इस समूह के संगठन के बारे में जानना चाहता था कि क्या इस समूह को बहुमत प्राप्त है या नहीं ? इस पर उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि "हम ये ६ नाम प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सहमत हैं ।" बाद में परस्पर प्रबन्ध करने की दृष्टि से इन १० व्यक्तियों ने, जो बहुमत दल से अलग हो गये थे, ६ व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किये ।

चीफ कमिश्नर को यह बात बड़ी अजीब लगी कि १० व्यक्ति अपने में से ६ व्यक्तियों के नाम परिषद् के लिये दें । अतः उसने कहा कि हमें इस बात पर विचार करने के लिये समय चाहिये कि किस दल को बहुमत प्राप्त है और किसे नहीं । उसने यह मामला हमारे पास भेजा है और हम इस सम्बन्ध में वैधानिक परामर्श ले रहे हैं कि समुचित प्रक्रिया क्या होनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों में चीफ कमिश्नर भी बदल गये हैं । पुराने चीफ कमिश्नर ने अपना पूरा कार्यकाल व्यतीत करने के बाद अवकाश ग्रहण कर लिया है और नये चीफ कमिश्नर ने कार्यभार संभाल लिया है । इन्हीं कारणों से यह मामला हमारे पास भेजा गया और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

संवैधानिक व्यवस्था विफल नहीं हुई है । वैधानिक राय मिल जाने के बाद हम संविधान और विधि के अधीन समुचित कार्यवाही करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे यहां एक उपबन्ध है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सहायता के बिना काम नहीं कर सकता । क्या वहां भी ऐसा कोई उपबन्ध है कि चीफ कमिश्नर परिषद्यों की सहायता के बिना काम नहीं कर सकता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : परिषद्यों का कार्य मंत्रणा देना है । पिछले दिनों चीफ़ कमिश्नर ने महीनों तक बिना परिषद्यों के काम चलाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

†**श्री वे० प० नायर** (क्विलोन) : भारत में वैधानिक राय लेने से क्या लाभ जब कि प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में वहां फ्रांसीसी विधि लागू होती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ज़ाहिर है कि वैधानिक राय वहां चालू विधियों के आधार पर ही स्थिर होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: मैं भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद की नवीनतम स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--८७७/५८]

सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादित) नियंत्रण आदेश में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) एस० ओ० संख्या १३३९, दिनांक १२ जुलाई, १९५८

(२) एस० ओ० संख्या १५९४, दिनांक ९ अगस्त, १९५८

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० --८७६/५८]

समितियों के लिये निर्वाचन संबंधी विनियमों में संशोधन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं एक संक्रमणीय मत द्वारा समितियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के विनियम २, ७, १३, १५, १९ और २१ में अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, ११ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में दी गयी सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९५८

(२) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक, १९५८

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के कुछ भागों में किराये तथा निष्कासन के नियंत्रण तथा सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के कुछ भागों में किराये तथा निष्कासन के नियंत्रण तथा सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । खण्ड २, ३० अगस्त को स्वीकृत हो चुका था । खण्ड ३ पर विचार करना है । पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने संशोधन संख्या २५ पर अपना भाषण जारी करें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरा संशोधन अपीलीय नियंत्रकों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में है । मेरा निवेदन है कि इन नियंत्रकों को राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन न रखा जाये बल्कि इन्हें उच्च-न्यायालय के अधीन रखा जाये । उच्च-न्यायालय ही इन की पदोन्नति वगैरह करें । चूंकि इन पदाधिकारियों का काम न्याय सम्बन्धी है अतः उच्च न्यायालय के अधीन होने पर अच्छा न्याय हो सकेगा । माननीय मंत्री को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए । इससे यह विभाग बहुत लोकप्रिय हो जायेगा ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । प्रवर समिति में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । यह मामला प्रशासन तथा राजस्व सम्बन्धी अधिक है न्याय सम्बन्धी कम है । मैं चाहता हूं कि राजस्व सम्बन्धी सभी अधिनियमों, आयकर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम आदि में एक सा ही स्वरूप होना चाहिए ।

२ या ३ अपीलीय नियंत्रक नियुक्त किये जाने हैं । फिर न्यायाधिकरण भी हैं । अतः नियंत्रकों को उच्च-न्यायालय के अधीन रखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उन्हें राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन रखा जायेगा । पीड़ित पक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण में जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४

(धारा ६ का संशोधन)

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ले० अचौ० सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

वर्तमान विधेयक में जो २ वर्ष का समय है वह बहुत थोड़ा है । उसे बढ़ा कर ५ वर्ष कर दिया जाये । इंगलैंड में भी ऐसा है । हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये ।

†श्री प्रभात कार (हुगली) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । दो वर्ष की जगह ५ वर्ष का रखा जाना ही उचित होगा ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । यदि अवधि बढ़ाई जायेगी तो आज से ४ वर्ष पूर्व से पहले दिये गये उपहारों को भी खतरा पहुंचेगा । हमें भूतलक्षी विधान नहीं बनाना चाहिये । अतः मेरा विचार है कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

†डा० गोपाल रेड्डी : प्रवर समिति के काफी विचार करने के बाद २ वर्ष का समय रहने दिया है । भूतलक्षी प्रभाव हम नहीं देना है । मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १२

डा० गोपाल रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में—

(१) पंक्ति १९ में दोबारा प्रयुक्त शब्द "clause" ("खण्ड") के स्थान पर "clauses" (खंडों) रखा जाये]; और

(२) पंक्ति २५ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"(m) property belonging to the deceased who was a member of the armed forces of the Union and who was killed in action during operations against an enemy"

["(ड) उस मृत व्यक्ति का सम्पत्ति जो संघ की सशस्त्र सेना का सदस्य रह चुका हो और जो किसी शत्रु के विरुद्ध की गई कार्यवाही के दौरान मारा गया हो ।]"

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं । मेरा एक संशोधन इसी आशय का था पर अब मैं उसे प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ में—

(१) पंक्ति १९ में दोबारा प्रयुक्त शब्द "clause" ("खण्ड") के स्थान पर "clauses" ("खंडों") रखा जाये और

(२) पंक्ति २५ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये —

"(m) property belonging to the deceased who was a member of the armed forces of the union and who was killed in action during operations against an enemy."

["(ङ) उस मृत व्यक्ति की सम्पत्ति, जो संघ की सशस्त्र सेना का सदस्य रह चुका हो और जो किसी शत्रु के विरुद्ध की गई कार्यवाही के दौरान मारा गया हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३—(धारा ३४ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३१ और ३२ में—

"(i), (j) and (l) [(झ), (ञ) और (ठ)]" के स्थान पर " (i), (j), (l) and (m)[(झ), (ञ) (ठ) और (ड)]" रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३१ और ३२ में—

"(i), (j) and (l) [(झ), (ञ) और (ठ)]" के स्थान पर "(i), (j), (l) and (m) [(झ), (ञ), (ठ) और (ड)]" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री नौशेर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना प्रस्ताव संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

मैं अपना संशोधन संख्या ३६ भी प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २८ में—

"determining" ("निर्धारित करने") के बाद " the rate of " ("की दर") शब्द रखे जायें ।

यह संशोधन संख्या ३६ सम्पदा शुल्क की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में है । यह स्थिति को स्पष्ट करने के लिये है अतः मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करने में सरकार को कोई आपत्ति न होगी ।

संशोधन संख्या १२ मिताक्षरा संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में है । मैं समझता हूं कि हिन्दू संयुक्त परिवार के साथ न्याय नहीं किया गया है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा भी एक ऐसा ही संशोधन संख्या १ है । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होगा तो मिताक्षरा संयुक्त परिवारों को बहुत कठिनाई होगी । एक बात ध्यान देने लायक है कि किसी व्यक्ति पर तो आप कर लगा सकते हैं पर किस वर्ग, धर्म, जाति या वंश के आधार पर आप किसी पर कर नहीं लगा सकते । यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होगा । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि पुत्र की निजी सम्पत्ति पर कोई कर न लगे । पर आप कुल योग म पुत्र की सम्पत्ति भी सम्मिलित कर रहे हैं यह बात उचित नहीं है ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : अगली पीढ़ी के लोगों के अंशों पर कर नहीं लगाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति है तो उस पर कर नहीं लगेगा । उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर ही कर लगाया जायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि संयुक्त परिवार की कोई सम्मिलित सम्पत्ति नहीं होगी तो कोई कर नहीं लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस का अर्थ यह है कि यदि कोई सम्पत्ति करारोपण की सीमा में नहीं आती तो उस पर कर नहीं लिया जायेगा । पर यदि वह करारोपण की सीमा में आती है तो कर केवल उस अंश पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की दर से लिया जायेगा ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : यदि सम्पत्ति का कुल योग ५०,००० रु० से अधिक होगा तो कर लगेगा अन्यथा नहीं । कर मूल राशि से अधिक कभी भी नहीं होगा यह हमारा आधार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का इरादा स्पष्ट होना चाहिये ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : यदि किसी व्यक्ति के पास १,३५,००० की सम्पत्ति है । उस के दो पुत्र हैं । वह मर जाता है तो कर केवल १/३ भाग पर ही लगाया जायेगा पर कर की दर पूर्ण सम्पत्ति के हिसाब से निश्चित की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा निवेदन है कि आप दायभाग और मिताक्षरा प्रणाली में इतना भेदभाव क्यों करते हैं । व्यक्तिगत रूप से कर लगाया जाना चाहिये । कोई परिवार प्रणाली पर कर लगाना ठीक नहीं । यदि हिन्दू विधि के अनुसार हमें कुछ सुविधायें प्राप्त हैं तो आप उन्हें क्यों छीन रहे हैं । आज इसाइयों या मुसलमानों को जो सुविधायें प्राप्त हैं वह हिन्दुओं को तो प्राप्त नहीं हैं ।

मैं एक उदाहरण देता हूं । यदि किसी संयुक्त परिवार का कोई सदस्य ४ लाख की सम्पत्ति का स्वामी है और वह सब कर देता है और उस परिवार में चार सदस्य हैं तो उस सदस्य को केवल १,००० रु० मिलता है जबकि ऐसी ही स्थितियों के मुसलमान या पारसी परिवार के एक सदस्य को ४,००० रु० मिलता है । क्या माननीय मंत्री मिताक्षरा परिवार के लोगों के साथ न्याय करेंगे ? उसे ३,००० रु० का घाटा होता है । ऐसी बातें जाति व धर्म के आधार पर करना संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ का उल्लंघन करना है ।

इस प्रकार संयुक्त हिन्दू परिवार नष्ट हो जायेंगे और जितने ही अधिक किसी परिवार में बच्चे होंगे उतना ही अधिक उस परिवार पर कर लगेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं इस प्रकार के अनेक उदाहरण दे सकता हूं । सरकार कहती है कि आयकर के लिये ३,००० रु० की और सम्पदा शुल्क के लिये ५०,००० की सीमा निर्धारित है । पर मैं देखता हूं कि आज गरीब किसानों से भी आय कर लिया जा रहा है । माननीय मंत्री किसी प्रकार का आश्वासन देने से इंकार कर रहे हैं । मुगल काल में हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया जाता था पर आज स्वतंत्र भारत में संयुक्त हिन्दू परिवार पर कर लगाया जा रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर मतदान करते समय सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह विचार कर लें कि यह संयुक्त परिवार प्रणाली पर कितना बड़ा अत्याचार है ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : इस विधेयक के खण्ड १३ का उपखण्ड (ग) इस विधेयक के समस्त सिद्धान्तों के विपरीत है । वास्तव में यह शुल्क मृत व्यक्ति की सम्पदा पर लगता है और ऐसी सम्पदा पर नहीं लग सकता जो व्यक्ति के निधन के पश्चात् किसी को आगे न मिले ।

मिताक्षरा प्रणाली में बच्चों का जन्म से ही सम्पदा में अधिकार हो जाता है अतः पिता उस सम्पदा को बेच नहीं सकता । अतः उपखण्ड (ग) स्पष्टतया विधेयक के विरुद्ध है ।

धारा ७ से भी यह बात स्पष्ट होती है कि जितनी सम्पदा से पुत्रों या उत्तराधिकारियों के अंश में वृद्धि होगी, शुल्क उतनी पर ही लगेगा । इस कारण सम्पदा शुल्क लगाते समय पुत्रों के अंश को इस प्रयोजन के लिये बीच में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । अतः माननीय मंत्री का यह सिद्धान्त कि समस्त सम्पदा से हिसाब लगे यह विधेयक के उद्देश्य से पूर्णतया उलट है । इसलिये जब तक खण्ड ५, ६, ७ का संशोधन नहीं किया जाता तब तक खण्ड १३ का उपखण्ड (ग) असंगत ही रहेगा ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : जहां तक मैं समझता हूं यदि मृत व्यक्ति का अंश ५०,००० से ज्यादा न हो तब तक यह विधेयक ही लागू न होगा । मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री का दृष्टिकोण भी यही हो । सामूहीकरण का प्रश्न ही तब पैदा होगा जब संयुक्त परिवार के एक सदस्य के पास ५०,००० का अंश आयेगा । मैं इस सिद्धान्त का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० गोपाल रेड्डी** : यदि चार भाई इकट्ठे हैं और उन की जायदाद १,५०,००० की है। यदि एक भाई 'क' मर जाये तब कोई सम्पदा शुल्क न लगेगा। यदि चारों भाई जीवित हैं और प्रत्येक का हिस्सा ५०,००० से कम है तब भी आयकर न लगेगा। किन्तु यदि एक मरने वाले भाई का हिस्सा ५०,००० से ज्यादा है—अर्थात् एक लाख है और उसके दो बेटे हैं तब शुल्क लगेगा। इस प्रयोजन के लिये हम प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी का ध्यान रखते हैं। यदि चार लाख की सम्पदा है और चार भाई हैं तो हरेक का हिस्सा १ लाख का हुआ। तब दर निर्धारण के लिये हम १ लाख को ही लेंगे। यदि चार भाइयों के पास १,५०,००० की सम्पदा हो और उन में से १ मर जाये तो हम कर नहीं लगायेंगे किन्तु यदि भाई का हिस्सा १ लाख हो तथा उस के दो बेटे हों तब हम दर निर्धारण १ लाख पर ही करेंगे। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त परिवार के लिये किसी प्रकार की छट नहीं है। अब भी मिताक्षरा परिवार दायभाग से लाभ में ही है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप मिताक्षरा तथा दायभाग की क्या कहते हैं। आप का तर्क ही कुछ नहीं है।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : यदि हिस्से की सम्पदा ५०,००० से कम होगी तब कर नहीं लगेगा। यदि इस से ज्यादा हो तो कर निर्धारण के लिये दोनों अंशों को इकट्ठा किया जायेगा। उन्हें फायदा भी उतना ही होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : बाप की जायदाद हरेक बेटे को मिलेगी।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : जब उस को जायदाद का हिस्सा मिलेगा तब उसे कर भी देना होगा। मैं तो नहीं समझता कि इस से किसी प्रकार का मतभेद भी होगा या यह संविधान के विरुद्ध है। यदि वह संविधान के विरुद्ध हुए तब लोग उन्हें न्यायालय में ले जायेंगे। मैं तो इस में कोई ऐसी बात नहीं देखता। मिताक्षरा परिवार को भी थोड़ा हिस्सा बटाना चाहिये। मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री मूल चन्द दुबे** : माननीय मंत्री ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं श्री भरूचा का संशोधन संख्या ३६ स्वीकार करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं तो मंत्री महोदय की बात ही नहीं समझ सका।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि यदि चार भाईयों की सम्पदा १,५०,००० रुपये की है और यदि उन का हिस्सा ५०,००० से कम हो तो कर नहीं लगेगा। यदि एक का हिस्सा १ लाख का हो तो कर लगेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि एक सदस्य की सम्पदा ५०,००० से कम हो तब तो कर नहीं लगना चाहिये। दरों का प्रश्न अलग है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति २८ में —

"determining" ("निर्धारित करने") के बाद "the rate of" ("की दर") शब्द रखे जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ मतदान के लिये रखा गया। संशोधन पर मतदान कुछ समय के लिये स्थगित किया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ से १७ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १८ (धारा ५० का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खंड पर संशोधन संख्या १८, १३ और ३२ अनियमित हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या १३ के बारे में बता रहा हूं जो अनियमित नहीं हैं। इस संशोधन से मेरी इच्छा यह है कि यदि न्यायालय शुल्क २००० हो तब सारी रकम पर छूट दी जाये। अतः यह नियमित है। यह संविधान के अनुच्छद ११७ के अन्तर्गत नहीं आता।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: किन्तु यह अनुच्छेद २७४ का उल्लंघन करता है। इस से राशि में तो अन्तर पड़ेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : कर लगाने या उसे कम करने के लिये अनुमति आवश्यक है किन्तु हटाने के लिये तो नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस से एकत्र होने वाली राशि में कमी होगी।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : यह संशोधन ठीक नहीं है। कई मामलों में सम्पदा शुल्क से बढ़ कर तो इच्छापत्र प्रमाण शुल्क ही लगेगा। उस मामले पर भी ध्यान देना चाहिये।

सरकार को चाहिये था कि वह श्री यादव का संशोधन स्वीकार करती जिसे अनियमित घोषित किया गया है। वह व्यवस्था सरकार तथा जनता दोनों के लिये ही हितकारी थी।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : ऐसा करना संबंधित पक्ष के लिये हानिकर होगा। पहले तो सारा इच्छा-पत्र प्रमाण शुल्क घटा दिया जाता था। अब आधा ही घटाया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

खण्ड १८ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९ तथा २० विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २१--(धारा ५६ से ६५ के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार :** मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं। जब सीमा घटाने की चर्चा थी तब कहा गया था कि इस प्रकार ५०,००० करने से ही यह कार्यवाही प्रगतिसूचक नहीं बनेगी। मैं एक उदाहरण आप के सामने रखता हूं। यदि कोई व्यक्ति ५,००० रुपये डाकखाने में छोड़ कर मर जाये उस के दस बेटे हों तो उन्हें उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। उस प्रमाणपत्र के लिये उन्हें १५० रुपया तो न्यायालय शुल्क देना होगा। इस प्रकार उन के ३/४ सौ रुपये योंही लग जायेंगे। खैर यह तो साधारण उदाहरण है। इसी प्रकार इस शुल्क की लपेट में आने वाले लोगों का हाल भी बुरा होगा। प्रमाण पत्र लेने के लिये नियंत्रक से विमुक्ति प्रमाणपत्र लेना बड़ा ही कष्टकारी कार्य होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपने संशोधन २६, २७, २८, २९, ३० तथा ३१ प्रस्तुत करता हूं। संशोधन संख्या २७(१) इस प्रकार है :

पृष्ठ ९, पंक्ति ३० में,—

"rupees" ("रुपये") के बाद "not exceeding" ("से अनधिक") शब्द रखे जायें।

संशोधन संख्या २८ द्वारा मैं निम्नलिखित चाहता हूं :—

खण्ड ९, पंक्ति ३५ में—

"equal to" ("बराबर") के स्थान पर "not exceeding" ("से अनधिक") शब्द रखे जायें।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि खण्ड ७३क में तीन या पांच वर्ष की सीमा रखी गई है। अन्यथा लोगों के कष्टों का अन्त ही न होता।

इस के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप किसी को दण्ड की व्यवस्था करते हैं तो वह उतना ही होना चाहिये जितना कि अपराध है। मैं ने यह संशोधन इसी दृष्टि से दिये हैं। प्रत्येक के साथ न्याय होना चाहिये। गलतियां लोगों से हो जाती हैं। हमें इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये।

मैं केवल यही चाहता हूं कि पदाधिकारी अपराधी की भूल या अपराध की गंभीरता के अनुसार ही दंड दें। वे मामले की परिस्थितियों को देखें तथा जुर्माना अधिक न हो।

यहां पर अपीलीय न्यायालयों को जुर्माना बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। लोग अब अपील करते समय भी डरा करेंगे। क्योंकि वह यह समझेंगे कि कहीं नमाज बख्शवाते रोजे न गले पड़ जायें। इस प्रकार से उन के सिर पर तलवार लटकवाना ठीक नहीं है।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को कर अपवंचन के लिये ज्यादा से ज्यादा नम्र होने को कहा जा रहा है।

कल ही तो वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारे यहां कर अपवंचन बहुत होता है। उस का वास्तविक कारण ही यही है कि सरकार उन लोगों से बड़ी नरमी करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ० सिंह]

अमेरिका में कर अपवंचकों पर भारी जुर्माने होते हैं। अखबारों में उन के मामले निकलते हैं किन्तु भारत में तो मामलों का पता ही नहीं चलता। अतः मेरा सुझाव है कि जुर्माना दस या बीस गुना होना चाहिये।

†**डा० गोपाल रेड्डी :** मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या २७(१) स्वीकार करता हूं किन्तु वह इस प्रकार होना चाहिये।

"पृष्ठ ६, पंक्ति ३०, ३१ तथा ३२ में "a sum of rupees one thousand or a sum equal to double the amount of such duty, whichever is greater" ("एक हजार रुपये की रकम अथवा ऐसे शुल्क से दुगनी रकम, जो भी ज्यादा हो") के स्थान पर "a sum not exceeding twice the amount of such duty" ("ऐसी राशि जो ऐसे शुल्क की राशि के दुगने से ज्यादा न हो") शब्द रखे जायें।

मैं इस संशोधन को इस प्रकार स्वीकार करता हूं। इस प्रकार पदाधिकारी स्वतः विवेक से काम ले कर न्याय करेगा।

जहां तक वृद्धि का प्रश्न है वह उस सीमा तक रहना चाहिये क्योंकि प्रशासनिक कार्य में वृद्धि होती है न्यायालय में वृद्धि दूसरी बात है। आय कर, धन कर तथा व्यय कर आदि अधिनियमों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। अतः वृद्धि की शक्ति एतदानुसार वांछनीय है। कोई फौजदारी अदालत तो कर में वृद्धि कर ही नहीं है। प्रशासनिक मामलों में जब यह पता लगे कि व्यक्ति ने किसी बात को छिपाया है तब सम्बद्ध पदाधिकारी को राशि बढ़ाने का अधिकार होना ही चाहिये।

श्री सूपकार बतायें कि उन्हों ने क्या कहा था।

†**श्री सूपकार :** मैं यह कह रहा था कि जब तक कि एक व्यक्ति नियंत्रक से इस बात की तसदीक न करा देगा कि उस ने कोई शुल्क नहीं देना है तब तक उसे इच्छा पत्र प्रमाण नहीं मिल सकेगा। इस से लोगों को व्यर्थ ही कठिनाई होगी और सरकार को कोई लाभ न होगा। इस से गरीब जनता तंग आ जायेगी।

†**डा० गोपाल रेड्डी :** कोई कठिनाई न होगी। हम ने हिदायत दी है कि १४ दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिये। यदि विलम्ब हो तो यह सूचना बोर्ड में दी जानी चाहिये। हम आश्वासन देते हैं कि विलम्ब न होने देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या २७ (१) और २८ को जैसा कि सरकार ने माना है उसी रूप में सभा के सामने रखता हूं : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति ३०, ३१ तथा ३२ में "a sum of rupees one thousand or a sum equal to double the amount of such duty, whichever is greater" ("एक हजार रुपये की रकम या ऐसे शुल्क से दुगनी रकम, जो भी ज्यादा हो") के स्थान पर "a sum not exceeding twice the amount of such duty" ("ऐसी राशि जो ऐसे शुल्क की राशि के दुगने से ज्यादा न हो") शब्द रखे जायें।"

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ३५ में "equal to double" ("दुगने के बराबर") के स्थान पर "not exceeding twice" ("दुगन से अनधिक") शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मतदान के लिये अन्य संशोधन कौन सा है ?

†**श्री सूपकार** : संशोधन संख्या १९ अलग से ढाई बजे मत विभाजन के लिये रखा जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १९ को रखा जाता है ।

उपाध्क्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २२ से २७ पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२ से २७ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २२ से २७ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड २८—(द्वितीय अनुसूची का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २८ पर जितने संशोधन थे उन सब को मैं ने नियम विरुद्ध घोषित किया है ।

†**श्री भी० स० मसानी** (रांची पूर्व) : आप के निर्णय से पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद २७४(१) में दिया है कि जिस विधेयक के द्वारा कर, अथवा प्रशुल्क लगता हो उस का राष्ट्रपति की सिफारिश मिलनी चाहिये । मैं ने संशोधन संख्या ८ में वर्तमान कर में कोई परिवर्तन नहीं किया है । द्वितीय अनुसूची में दिया है कि सम्पत्ति के मूल्य के प्रथम १,००,००० रुपये पर प्रशुल्क नहीं होगा । मैं ने भी यही बताया है कि मूल मूल्य १,००,००० रुपये से अधिक न हो तो कर नहीं लगेगा । इसलिये मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें मूल अधिनियम के उपबन्धों को नहीं देखना है हमें तो यह देखना है कि क्योंकि इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त है इसलिये इस संशोधन पर भी राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिये । उन के संशोधन से विधयक में निहित प्रस्तावों में अन्तर पड़ता है इसीलिये यह नियम बाह्य है ।

†**श्री भी० स० मसानी** : आप कृपा कर के संविधान की भाषा देखें उस में दिया है कि 'कोई कर या शुल्क आरोपित करता हो अथवा परिवर्तित करता हो' । मैं यह नहीं चाहता कि जो सम्पदा शुल्क इस समय लगा हुआ है उस में कोई परिवर्तन हो अपितु उस को मैं ज्यूं का त्यूं रखना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे सामने एक उदाहरण है कि एक बार यह विनिर्णय दिया गया था कि प्रवर समिति द्वारा विधेयक में परिवर्तन किये जाने पर यदि मूल विधेयक के उपबन्धों को रखने के संशोधन प्रस्तुत किये जायें तो उन को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यहां पर स्थिति यह है कि विधेयक में मूल अधिनियम के उपबन्ध रखने का प्रस्ताव है ।

†**श्री भी० स० मसानी** : माननीय मंत्री ने बताया था कि वह उदारतापूर्वक इस पर विचार करेंगे परन्तु अब उन का कहना है कि ५०,००० रुपये से कुछ अधिक की सम्पत्ति पर ४ प्रतिशत सम्पदा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भी० स० मसानी]

शुल्क लगेगा जोकि मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिये बहुत अधिक हो जायेगा । आज जीवन निर्वाह व्यय बढ़ गया है । गत दो वर्षों से उत्पादन शुल्क लग गया है । इस के अतिरिक्त आय कर, व्यय कर, दान कर बहुत से कर लगे हुए हैं, इन सब का यह असर हो रहा है कि मध्यम वर्ग की हालत बड़ी खराब होती जा रही है ।

डा० विधान चन्द्र राय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अभी हाल में ही कहा है कि सरकार को अपनी करारोपण नीति में परिवर्तन कर देने चाहियें । हम सब यही बात इस सभा में कितनी ही बार कह चुके हैं । परन्तु फिर भी यह विधयेक प्रस्तुत किया जा रहा है । आप स्वयं देख लीजिये कि १२ माननीय सदस्यों में से ८ इस के विरोधी हैं कि एक लाख रुपये को घटा कर पचास हजार कर दिया जाय । जैसाकि श्री खाडिलकर ने कहा मैं भी यही समझता हूं कि इस विधेयक को मर्यादा का प्रश्न बना लिया गया है। सरकार यह समझती है कि यदि इस विधेयक को पारित नहीं कराया गया तो उन की प्रतिष्ठा पर धक्का लगेगा ।

मैं इस विधेयक के द्वारा किये गये परिवर्तनों का विरोधी हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार इस को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायगी ।

†**डा० गोपाल रेड्डी :** इस के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कह चुका हूं उस से अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूं । संशोधन करने वाले विधान का यही तो मूल सार है । यदि यही व्यवस्था नहीं करनी होती तो सम्पदा शुल्क को संशोधित करने की आवश्यकता ही नहीं थी । प्रवर समिति ने भी इस को आवश्यक समझा, इसलिये माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई आपत्ति को स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २६, ३० तथा खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** दो खण्ड रह गये थे । अब हम उन को लेते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : माननीय मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए बताया था कि वह जानते हैं कि देश में कर अपवंचन बहुत हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि मूल विधेयक पर चर्चा के समय हम ने भी यही बात बताई थी कि यदि सरकार चाहती है कि सम्पदा शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व को ठीक ठीक एकत्रित किया जाय तो ५ वर्ष के भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू किया जाय । प्रवर समिति में भी हम ने ऐसा उपबन्ध रखने की बहुत कोशिश की और इसीलिये विमति टिप्पण में कहा कि इस से कोई लाभ होने की आशा नहीं है । परन्तु सरकार ने हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत अवसर पर मैं ने सम्पदा शुल्क की भारत की दरों से इंगलैंड के दरों की तुलना की थी और पाया था कि दोनों में बड़ा अन्तर है। मैं इस समय फिर उन आंकड़ों को आप के सामने रखता हूं कि हम धनी लोगों के प्रति कितने उदार हैं। भारत में २० लाख रुपये की सम्पत्ति पर १९ प्रतिशत कर लिया जाता है जबकि इंगलैण्ड में २२ प्रतिशत लिया जाता है। १½ करोड़ रुपये की सम्पत्ति पर भारत में ३५ प्रतिशत तथा इंगलैण्ड में ८० प्रतिशत कर लिया जाता है। क्या कारण है कि सरकार धनिकों के प्रति उदार है। मैं समझता हूं प्रवर समिति में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री भरूचा का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ९, विपक्ष में ९६।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १९ भी रोक लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेंगे ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव रकरता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

इस विधान को पुरस्थापित करते समय मैं ने जो तर्क उपस्थित किये थे, उन्हें मैं दोहराऊंगा नहीं । प्रवर समिति ने विधेयक में २ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । एक तो प्रारूप विधेयक की संविधि २९ के सम्बन्ध में है, जोकि चुनाव समिति की संरचना के सम्बन्ध में है । प्रारूप विधेयक में यह उपबन्ध था कि चुनाव समिति में वह लोग होंगे जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् नियुक्त करेगी और यदि कार्यकारिणी समिति चुनाव समिति की सिफारिशों को स्वीकृत नहीं करेगी तो उसे इसका कारण लिखित रूप में देना होगा और सारा मामला विजिटर के आदेश के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

प्रवर समिति में इस बात पर काफी विचार हुआ । अन्त में यह तय हुआ कि चुनाव समिति के कौन-कौन सदस्य होंगे यह बात स्पष्ट कर दी जाये । अब जो उपबन्ध किया गया है वह लगभग वैसा ही है जैसा कि बनारस विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ को जारी करने के पूर्व था केवल इतना अन्तर है कि चुनाव समिति में विजिटर द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति नहीं होगा और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिये चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें ट्रेजरार (कोषाध्यक्ष) भाग नहीं लेगा ।

दूसरा परिवर्तन प्रवर समिति ने स्क्रीनिंग समिति के सम्बन्ध में किया है । प्रवर समिति ने कहा कि विश्वविद्यालय जैसी संस्था के सम्बन्ध में 'स्क्रीनिंग समिति' नाम अच्छा नहीं लगता अतः उसका नाम 'पुनरीक्षण समिति' कर दिया गया है । मैंने इस उपबन्ध को स्वीकार कर लिया है । अतः अब इस संशोधित स्वरूप के अनुसार एक महा अभ्यर्थी होगा । अब सुनवाई के लिये भी दो स्थान होंगे एक, पुनरीक्षण समिति के सामने दूसरा; कार्यकारिणी समिति के सामने । महा अभ्यर्थी अच्छी प्रकार से अपने को संतुष्ट कर लेगा कि क्या मामला पुनरीक्षण समिति में जाने लायक है या नहीं तब पुनरीक्षण समिति उस पर विचार करेगी ।

इस उपबन्ध मे बड़ी सुरक्षा रहेगी । मैं चाहता हूं कि कोई कठिनाई न हो और न्याय किया जाये । कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य १४ जून, १९५८ तक विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे या किसी अन्य कार्यकारिणी पद पर थे वे भी इस खंड की व्याप्ति में आ जाते हैं और यह भी उपबन्ध कर दिया गया है कि कार्यकारिणी परिषद् की उस बैठक में वे भाग नहीं ले सकेंगे जिसमें उनके सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार होगा । जो स्थिति वहां पैदा हो गई है यदि उस पर हमें काबू पाना है तो यह उपबन्ध परम आवश्यक तथा अपरिहार्य है ।

भतपूर्व उप-कुलपतियों का प्रतिवेदन तथा मुदालियर समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने है । दल बन्दी के कारण अनेक वर्षों से उप-कुलपति को वहां ठीक प्रकार से काम करने का अवसर

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं मिला है। यदि विश्वविद्यालय को आगे चलाना है तो इस स्थिति पर काबू पाना आवश्यक है। यदि हम विश्वविद्यालय का उत्थान चाहते हैं तो हमें उन तत्वों को निकालना ही पड़ेगा जिनके कारण विश्वविद्यालय में नैतिकता तथा अनुशासन को हानि पहुंची है।

विश्वविद्यालय किसी एक दल या समूह की सेवा नहीं करता वह तो पूरे समाज की सेवा करता है। अत. विश्वविद्यालय के विषय में चर्चा करते समय हमें राजनैतिक भेदभाव को भूल कर निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिये। मुझे दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण देते हुए विश्वविद्यालय के महान हित का ध्यान नहीं रखा है।

प्रवर समिति ने एक नया उपबन्ध भी रखा है। जब कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य पर उल्लिखित प्रकार का आरोप लगाया जायेगा, जो कि विश्वविद्यालय में १४ जून, १९५८ तक अध्यापक के पद पर रहा हो या किसी अन्य पद पर रहा हो तो कार्यकारिणी परिषद् उसके मामले को आरोप की एक प्रति के साथ महा-अभ्यर्थी को सौंप देगी। उप-कुलपति तथा ट्रेजरार आदि भी इस उपबन्ध की व्याप्ति में आते हैं। अपने विमति टिप्पण में माननीय सदस्यों ने मांग की है कि वर्तमान उप-कुलपति को इस उपबन्ध की सीमा से मुक्त कर दिया जाये।

आपने पुनरीक्षण समिति नियुक्त कर दी है। वह सभी पदाधिकारियों के मामलों का पूनरीक्षण कर रही है। जब उप-कुलपति के मामले पर विचार होगा उस समय उप-कुलपति कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में भाग नहीं लेगा। कुछ माननीय सदस्य यह नहीं चाहते कि उप-कुलपति के साथ समुचित न्याय किया जाये। मैं सभा से पूछता हूं कि क्या न्याय इस प्रकार हो सकेगा ? मेरे मन में संदेह पैदा होता है कि कुछ माननीय सदस्य विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं चाहते।

वर्तमान उप-कुलपति का केवल इतना ही दोष है कि उसने मुदालियर समिति के सामने बयान दिया था। मुदालियर समिति के प्रतिवेदन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उप-कुलपति में लोगों का विश्वास नहीं था। अतः अब कुछ विद्यार्थियों तथा स्वार्थी अध्यापकों ने मुदालियर समिति का सारा बदला उप-कुलपति से लेने के लिये उस पर दोषारोपण किया है। मैं समझता हूं कि उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कही गयीं और इस सम्बन्ध में हमारे मंत्रालय पर भी दोष लगाया गया। माननीय सदस्यों ने डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर के वक्तव्य की ओर संकेत किया। हमारे मंत्रालय ने डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर को लिखा कि क्या यह वक्तव्य ठीक था। उन्होंने इस बात का खंडन किया इसी कारण हमारे मंत्रालय ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं निवेदन करूंगा कि डा० अय्यर का सारा वक्तव्य सभा के सामने रखा जाये तो ज्यादा अच्छा हो।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : जब यह सारा पत्र मंत्रालय के पास था तो इसे प्रवर समिति के सामने क्यों नहीं रखा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह पत्र गोपनीय था। अतः मैं ने सोचा कि डा० अय्यर की राय के बिना सभा के सामने उसे रखना ठीक नहीं होगा। अतः हम ने डा० अय्यर को लिखा और डा० अय्यर का जवाब जब आया तब तक प्रवर समिति अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। इसी कारण मैं इसे सभा के सामने नहीं रख सका। मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि हम इसे सभा से छिपायें।

†**श्री सिंहासन सिंह :** यह पत्र ४ मई, १९५६ का है। इसे प्रवर समिति के सामने रखा जाना चाहिये था। यही नहीं डा० अय्यर का पूरा वक्तव्य समिति के सामने रखा जाना चाहिये था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने अपना उत्तर दे दिया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं ने श्री हुमायूं कबीर से पूछा था कि डा० रामस्वामी अय्यर क्यों आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह राय लेने आये थे। मैं समझता हूं कि राय लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। श्री कबीर ने मुझे बताया कि उन्होंने डा० झा के नाम के साथ एक दो अन्य नामों का भी सुझाव दिया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राय देने में कोई हानि नहीं है और इस प्रकार राय देना विश्वविद्यालय के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप भी नहीं है।

अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह सारी बातों को सामने रखकर स्थिति पर विचार करे और जो प्रचार हो रहा है उसके प्रवाह में न आये। यदि उप-कुलपति ने कुछ अनुचित बात की है तो महा-अभ्यर्थी और पुनरीक्षण समिति सब बातों को कार्यकारिणी परिषद् के सामने रखेगी। प्रचार या अफवाहों के आधार पर हमें किसी के विरुद्ध भ्रांत धारणा नहीं बना लेनी चाहिये।

श्री बाजपेयी ने अपने विसति टिप्पण में कहा है कि कार्यकारिणी परिषद् के कुछ वरिष्ट सदस्य ही उसके सभापति बनें। उप-कुलपति को ही कार्यकारिणी का सभापति न बनाया जाये। यह एक विचित्र सुझाव है। यदि हम इस सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं तो उप-कुलपति की स्थिति और भी महत्वहीन हो जायेगी ? उप-कुलपति कार्यकारिणी परिषद्, स्थायी समिति, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार उप-कुलपति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे सब उत्सवों में भाषण देना पड़ता है, समितियों तथा आयोगों के सामने साक्ष्य देना पड़ता है ; आयव्ययक सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है और कभी कभी वित्त की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अतः यदि आप उप-कुलपति के पद को इतना महत्व-हीन बना देंगे तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद को संभालने के लिये तैयार नहीं होगा।

माननीय सदस्य श्री महन्ती तथा अन्य सदस्यों ने यह कहा कि पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति करना ठीक नहीं है। इससे विश्वविद्यालय पर कड़ी मुसीबत आ जायेगी। मुदालियर समिति तथा भूतपूर्व उप-कुलपतियों की समिति के प्रतिवेदन से साफ पता लगता है कि एक समूह के व्यक्तियों के प्रभाव से शिक्षा तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर एक अजीब सा प्रभाव पड़ा है। क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम उन लोगों के आचरण का परीक्षण न करें जिनके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी हाल में सरकारी उच्च पदाधिकारियों के आचरण का परीक्षण करने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है। तो क्या यह उचित नहीं है कि उन लोगों के आचरण की जांच की जाये जिन के हाथों में देश के नवयुवकों को मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाया नहीं है।

अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुनरीक्षण समिति तथा कार्यकारिणी परिषद् के सामने अपनी सारी बातें कहने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार न्याय हो सकेगा। जिन लोगों ने इमानदारी से काम किया है और अपने व्यवसायिक सम्मान की रक्षा की है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण समिति तो केवल उन्हीं लोगों के लिये है जिनके पदों पर रहने से विश्वविद्यालय को हानि होने की संभावना है।

श्री खांडिलकर तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक कोई स्थायी विधान न बन जाता तब तक न्यायालय को वैसे ही चलने दिया जाता। यदि हम ने ऐसा कदम उठाया होता तो माननीय सदस्य हमारी आलोचना करते। सरकार ने विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी को हटाया नहीं है सिर्फ उनके कर्त्तव्यों की ही बदली की है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायालय में अनेक प्रकार के षड़यंत्र चल रहे थे अतः हमने निश्चय किया कि अब न्यायालय सिर्फ वही काम करेगा जो उसे विजिटर द्वारा बताये जायेंगे। अभी भी उसे कुलपति, उप-कुलपति तथा ट्रेजरार का चुनाव करने का अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय अपने विभागों, कालेजों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से वंचित रहे। न्यायालय के सदस्य नाम निर्देशित किये गये हैं अतः इस अवधि में किसी दल बन्दी आदि का भय नहीं है।

संसद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात भी उठाई गई थी। स्थिति यह है कि इस समय विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् में संसद् के चार सदस्य हैं। ये सदस्य साथ ही न्यायालय के भी पदेन सदस्य हैं। इसके अलावा न्यायालय में विजिटर द्वारा नामनिर्देशित चार संसद् सदस्य हैं। प्रारूप विधेयक में संसद् के तीन सदस्यों के लिये उपबन्ध है। इस प्रकार न्यायालय में संसद् सदस्यों की संख्या ११ है जब कि न्यायालय की कुल संख्या ५२ है जिसमें स्थानापन्न कुलपति भी सम्मिलित हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार संसद् की दोनों सभाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जब संशोधन विधेयक सभा के सामने आयेगा तो सभा यह विचार कर सकेगी कि न्यायालय में सभा के कितने सदस्य हों।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मैंआश्वासन दे चुका हूं और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अवसर मिलते ही उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

इस समय विश्वविद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं। विश्वविद्यालय को एक स्वशासित संस्था होना चाहिये पर इस समय वहां कोई विधि व व्यवस्था नहीं है। कुछ विद्यार्थियों तथा कुछ स्वार्थी अध्यापकों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है। यहां तक कि यह भी धमकी दी गयी है कि यदि उप-कुलपति विश्वविद्यालय छोड़ नहीं देते तो उन्हें जिन्दा जला दिया जायेगा। पहले उप-कुलपति का मकान विद्यार्थियों ने घेर रखा था अब स्थानापन्न कुलपति का मकान घेर रखा है। राजनैतिक दल विद्यार्थियों को भड़का कर स्थिति का पूरा लाभ उठा रहे हैं।

१४ अगस्त को विद्यार्थियों के नेताओं ने उप-कुलपति को धमकी दी थी कि वे उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज नहीं लगाने देंगे। भूख हड़ताल, जलूस, धमकीपूर्ण भाषण तथा अन्य प्रकार की शरारतें विश्वविद्यालय में रोज हो रही हैं। क्या ये बातें इस बात का प्रमाण नहीं हैं कि विश्व-

[डा० का० ला० श्रीमाली]

विद्यालय ने शिक्षा का काम समाप्त कर दिया है और अब वहां राजनैतिक झगड़े बढ़ गये हैं। यदि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसी बातें होती रहेंगी तो यह हमारी सभ्यता के लिये खतरे की बात होगी।

आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं जो इस समय हिमाचल प्रदेश प्रशासन में नियुक्त है। मैं ने स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किया कि वे उस व्यक्ति को वहां भेज दें पर मुझे बताया गया है कि वह व्यक्ति वहां नहीं जाना चाहता। हम क्या करें? विद्यार्थियों की अनुचित मांगें हम कैसे पूरी कर सकते हैं?

मैं पूछता हूं कि विद्यार्थियों में ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर के क्या हम विश्वविद्यालयों की स्वस्थ परम्परा बना रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्वस्थ परम्परा के लिये दो बातें आवश्यक हैं, एक, उदारता की भावना और सामान्य विधि के प्रति आदर। ये दोनों बातें विश्वविद्यालय जीवन का प्राण हैं। यदि हम विद्यार्थियों में स्वतंत्रता की झूठी भावना पैदा करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि वे प्राधिकारियों की आज्ञा का उल्घंन करें तो इससे विश्वविद्यालय जीवन नष्ट हो जायेगा। मुदालियर समिति ने कुछ विद्यार्थियों की कुछ अनुचित बातों का भी उल्लेख किया है। समिति के सदस्य नवयुवकों में सुधार करना चाहते थे ताकि हम एक योग्य नागरिक बन सकें।

प्रतिवेदन में कुछ ऐसे भी उद्धरण हैं जो समिति को दिये गये ज्ञापनों से लिये गये हैं और जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ दुखद बातें कही गयी हैं। समिति उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की निन्दा नहीं करना चाहती थी उसने केवल ऐसे कुछ विद्यार्थियों का जिक्र किया है जो अपने उच्च आचरण का पालन नहीं करते थे और विश्वविद्यालय की बदनामी करते थे।

अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रतिवेदन तथा इस विधेयक पर सही दृष्टिकोण से विचार करे। विश्वविद्यालय में एक पुराना रोग लगा हुआ है, और हमें शब्दों या अपने व्यवहार से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे रोग और बढ़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। हमारे पास तीन घंटे का समय है और लगभग २४ सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः अधिक से अधिक प्रत्येक सदस्य १५ मिनट ले।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान्, इस विषय पर दलगत दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा सकता। इस महान विश्वविद्यालय में सुधार करने के विषय में बड़ी ढील हुई है अतः उसके परिणामस्वरूप खराबियां दृढ़ हो गई हैं जिन्हें ठीक करना अब आसान नहीं है। हमें चाहिये कि उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अन्याय न हो।

इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में श्री अच्युत पटवर्धन, जो कि राजनीति से अलग हैं, कहते हैं कि कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक यह कह सकता है कि विश्वविद्यालय की स्थिति पूर्णतया असन्तोषप्रद है और जिस प्रकार से विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं उस से यही पता लगता है कि उनको हानि होगी। इस विश्वविद्यालय का मामला ठीक करने के लिये कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस मामले में राजनीति को परे ही रखना चाहिये अन्यथा और भी संकट हो जायेंगे।

अतः मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यहां वे सब लोग इस विषय पर शान्ति से विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं माननीय शिक्षा मंत्री की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि विश्वविद्यालय में कुछ थोड़े से लोगों ने ही प्रभुतत्व जमा रखा है। यदि ऐसा होता तो छानबीन समिति या पुनरीक्षण समिति उन्हें निकाल क्यों न देती।

मैं आपका ध्यान डा० श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर के पत्र की ओर दिलाता हूं। उन्होंने विजिटर को लिखा था कि यहां के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के झगड़े निपटाने में ही मुझे हर रोज ८।९ घंटे का समय नष्ट करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में दो या तीन अर्ध राजनैतिक से दल हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। बड़े प्राध्यापकों में से भी एक दो को छोड़कर शेष सभी झगड़े बाजी में फंसे हुए हैं और अपने कर्त्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं।

जब खराबी इस प्रकार गहरी हो तब तो निश्चय ही बड़े ध्यान से इसका उपचार करना होगा। इस समस्या का हल सख्ती से नहीं हो सकता।

बनारस विश्वविद्यालय में तो हालात बिगड़े हैं। इसी प्रकार देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी हालात खराब हो सकते हैं। इस कारण हम सब के ऊपर पर्याप्त जिम्मेदारी आ जाती है। हम इस मामले को ठीक करें ताकि अन्य विश्वविद्यालय भी स्वतः अनुभव कर के अपनी गलतियां ठीक कर लें।

मैं नहीं कहता कि इस तरीके से समस्या का हल हो जायेगा। मैं तो यह चाहता हूं कि वहां ऐसा उप-कुलपति नियुक्त किया जाये जो इस प्रकार की शत्रुतायें उत्पन्न ही न होने दे। यदि ठीक तरीके से काम न हुआ तो कानून से कुछ न बनेगा।

हमें विद्यार्थियों को भी बता देना चाहिये कि यह सभा किसी प्रकार के प्रदर्शनों आदि को सहन न करेगी। कुछ सदस्य जा कर विद्यार्थियों को समझायें कि सरकार उनकी सहायता करेगी किन्तु उन्हें यों ही राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये। यह सब कुछ तभी हो सकता है जब समस्या के हल का तरीका ठीक हो।

दूसरी बात यह है कि उस स्थान के लिये तीन सदस्य नियुक्त किये जाने हैं और अध्यक्ष उनको नियुक्त करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सन्देह न करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं कि इन सदस्यों की नियुक्ति सभा के सदस्यों को ही करने दी जाये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हमें इस बात पर बड़ा दुख हुआ है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने इस मामले में भी राजनैतिक दलों को घसीटा है हालांकि समस्त दल इस मामले में अपना कर्तव्य पालन करने को तैयार हैं। उन्होंने अन्य राजनैतिक दलों का उल्लेख किया। यह ठीक नहीं है। इस मामले पर राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।

खैर अब तक हमें यह पता नहीं लग सका है कि अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। ९ मई तथा ११ अगस्त के बीच में कौन सी ऐसी असाधारण बात हो गई थी जिससे अध्यादेश निकालना पड़ा। यह मामला सख्ती से हल नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के पश्चात् फिर विश्व-विद्यालय कोर्ट में लोगों के नाम निर्दिष्ट किये गये। जब सरकार जानती थी कि वहां गुटबन्दी है तब इस प्रकार की कार्यवाही करने की इतनी जल्दी क्या आवश्यकता थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

इस अधिनियम के अधीन कोर्ट को विजिटर की सलाहकार समिति का रूप दे दिया गया है। हालांकि अभी स्थिति वही थी अभी झगड़ेबाज़ी भी उतनी ही थी किन्तु सरकार ने कोर्ट नियुक्त करने में बड़ी तत्परता दिखाई ।

हमें वर्तमान उप-कुलपति की कार्य क्षमता तथा उनकी अर्हताओं पर कोई सन्देह नहीं है किन्तु सरकार को लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुये उन्हें यह बता देना चाहिये कि वे परे रहें।

वर्तमान व्यवस्था के आधार पर उप-कुलपति तथा कार्यपालिका के सदस्य इत्यादि कोर्ट में नाम निर्देशित किये जाते हैं। उपकुलपतियों के पत्रों से पता चलता है कि वहां इन्हीं लोगों में बड़े झगड़े चलते हैं और गुटबन्दी बड़ी ज्यादा है। अतैव कोर्ट में इसी प्रकार के तत्व को लेकर किस प्रकार शान्ति की आशा की जा सकती है ? यहां तो फिर उसी प्रकार के षड़यन्त्र चलेंगे और वही बातें होंगी ।

चुनाव समिति के प्रश्न से भी विवाद उठे हैं। पहले कार्यपालिका को चुनाव समिति के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। किन्तु हम कहते थे कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे फिर वही झगड़े होने का खतरा था।

अब रहा कोर्ट में तीन सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न। दो सदस्य लोक-सभा के होंगे। इस समय अध्यक्ष उनका नाम निर्देशन करेंगे किन्तु जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है कि उनका चुनाव सभा के सदस्यों द्वारा ही होना चाहिये। इसी के साथ मैं तो यह सुझाव भी दूंगा कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये और कम से कम ८ सदस्य लोक-सभा तथा ४ सदस्य राज्य-सभा से इसमें नियुक्त किये जायें। इसी प्रकार से राज्य विधान-सभा से भी लोग लिये जायें।

अब बात यह है कि सरकार ने जब सब काम खत्म कर लिया तब वह सभा के समक्ष आ पहुंची। वास्तव में चाहिये यह था कि सरकार सभा से इस सम्बन्ध में परामर्श करती।

मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि अब छानबीन समिति को केवल पुनरीक्षण समिति बना दिया गया है। इससे अध्यापकों को यह खतरा तो नहीं होगा कि उन्हें दण्ड मिलेगा। उनमें विश्वास पैदा होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भी अब इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से सोचेंगे।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : श्रीमान् प्रतीत होता है कि इस विश्वविद्यालय में बड़ी भारी गड़बड़ है अतः इसका उपचार भी उसी प्रकार के ठीक ढंग से होना चाहिये।

मैं यह नहीं मानता कि वहां एक ही गुट इस गड़बड़ का ज़िम्मेदार है। वास्तव में किसी प्रकार की गहन निराशा ने लोगों के दिलों को घेर रखा है। श्री अशोक मेहता ने ठीक ही इस बात का विश्लेषण किया है।

वास्तव में यदि आप लोगों को दबाना चाहेंगे तो उससे हालात और भी खराब होंगे।

मुझे छानबीन समिति या पुनरीक्षण समिति पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वास्तव में यहां काम एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली को स्वीकार करने से ही होगा। हमें विद्यार्थियों के मन पर

†मूल अंग्रेजी में

आघात नहीं पहुंचाना । अब भी जब कि हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं वहां के गुट मदस्यों में प्रचार करते हैं । यह बुरी बात है । इसी से प्रकट होता है कि खराबी बहुत गहरी है । किन्तु इसका इलाज ऐसा हो जो अच्छी तरह से बीमारी को दूर कर दे ।

जहां तक उपकुलपति का सम्बन्ध है हम उनकी आलोचना नहीं करते किन्तु बेहतर यही है कि वातावरण को शान्त करने के लिये वे स्वतः पद छोड़ दें ताकि सारी समस्या का हल बिना किसी अड़चन के हो जाये ।

मुझे इस बात पर भी बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सब लोगों ने इस प्रश्न पर राजनीति से विलग हो कर विचार किया है । वास्तव में हमारे विद्यार्थियों को राजनीति की दलदल में फंसना ही नहीं चाहिये । इससे उनका किसी प्रकार का भी लाभ न होकर केवल मात्र हानि ही हानि होती है । इसी प्रकार से अध्यापकों को अपने आप को राजनीति से ऊपर रखना चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी प्रकार की किसी विचारधारा का दमन किया जा रहा हो बल्कि यह इसलिये हितकारक है कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना दृढ़ होगी ।

मैं श्री अशोक मेहता के इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि हमारे में से कतिपय सदस्य विश्वविद्यालय में जायें तथा विद्यार्थियों को उनके अपने हानि लाभ समझायें ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय महानता का द्योतक रहा है किन्तु आज इसको इस दशा में देखकर हमें बड़ा भारी दुख हो रहा है ।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि उपकुलपति को स्वतः ही चले जाना चाहिये । इस प्रकार की कार्यवाही से तो लोगों का साहस और भी बढ़ेगा और वे समझने लगेंगे कि जिसे वे चाहें उसे निकाल दें । यहां तो स्वतः आचार्य नरेन्द्र देव जैसे महान् लोग भी तंग आ गये थे । इस कारण मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं ? जो उपकुलपति आजकल हैं वे बड़े योग्य व्यक्ति हैं । यहां भी किसी ने उन पर संदिग्ध दृष्टि से नहीं देखा । फिर क्यों वे चले जायें ।

कतिपय सदस्यों ने इसी बात पर आपत्ति की है कि अध्यादेश जारी क्यों किया गया किन्तु मैं कहती हूं कि अध्यादेश दो वर्ष पूर्व जारी हो जाना चाहिये था । सरकार ने देर की । वास्तव में माननीय मंत्री ने बताया है कि पहले सरकार इसी ख्याल में थी कि हालात ठीक हो जायेंगे ।

मैं सरकार की इस कार्यवाही से अत्यन्त प्रसन्न हूं । प्रवर समिति ने इस विधेयक को और भी पूर्ण रूप दे दिया है ।

मैं तो समझती हूं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का उत्तरदायित्व भी अध्यापकों पर ही होना चाहिये । वास्तव में सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान उनकी पढ़ाई से इधर उधर न करायें । राजनीति से तो विद्यार्थियों को कोसों दूर रखना चाहिये ।

मैं यह मानती हूं कि नरमी का बर्ताव भी आवश्यक है किन्तु प्रश्न यह है कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार से हो । जब तक अध्यापक ही विद्यार्थियों को सीधा रास्ता नहीं दिखायेंगे तब तक संसद् सदस्यों की शिक्षा प्रभावहीन रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

मैं प्रार्थना करती हूं कि जब पुनरीक्षण समिति अपना काम करे तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये । उसके बाद यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर दिया जाये । इस समय उपकुलपति को परे करना बड़ी भारी ग़लती होगी ।

जहां तक कोर्ट के लिये सदस्यों को भेजने का प्रश्न है उसमें निर्वाचनों आदि को आधार बनाना ही नहीं चाहिये । यह बात इन से ऊपर ही रखनी चाहिये । यदि हम अब इस मामले में निर्वाचन के चक्करों में पड़े तो उससे फायदा न होगा । अतः अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का नामनिर्देशन ही ठीक है । खैर यदि लोग निर्वाचन ही चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु मैं नामनिर्देशन को निर्वाचन पर अधिमान्यता देती हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमद नगर) : मैं जांच समिति के प्रतिवेदन का थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं । परन्तु मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता । मैं तो प्रतिवेदन का उल्लेख इस लिये करना चाहता हूं क्योंकि उसमें रोग का पूरा विश्लेषण करके उसके उपचार सम्बन्धी सुझाव भी दिये गये हैं । इसमें मामले को दो दृष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न किया गया है । एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है और दूसरा सरकारी दृष्टिकोण है जिसे आप नौकरशाही दृष्टिकोण कह सकते हैं । यद्यपि इस समिति में बहुत ही ज़िम्मेदार और प्रमुख व्यक्ति थे, परन्तु मेरा मत यह है कि उन्होंने इस मामले को गलत दृष्टिकोण से सुलझाने की कोशिश की है ।

आज, बनारस ही नहीं सारे देश का वातावरण खराब हो रहा है और जो कुछ हम इस दिशा में खर्च कर रहे हैं वह व्यर्थ जा रहा है । हम इस विश्वविद्यालय को ५० लाख रुपये दे रहे हैं और गत पांच छः वर्षों से हालात खराब हो रहे हैं । राधाकृष्णन् समिति का भी यह मत था कि इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही है । साथ ही मेरा मत यह है कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इस मामले का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में असमर्थ रहा है । मानता हूं कि लड़कों का दोष है परन्तु बड़ों को भी तो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता । मैं विद्यार्थियों के कृत्य का समर्थन नहीं करता, परन्तु हालात के अनुसार प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही उनमें रोष फैल जाना स्वाभाविक ही था । केवल उन्हें कोसते रहने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा कि उनकी बात भी समझने का यत्न किया जाये । इतना परिश्रम भी किया गया जांच हुई और प्रतिवेदन भी लिखा गया किन्तु स्थिति की यथार्थता को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि एक सद्भावना मंडल को वहां भेजा जाना चाहिये निश्चय ही इस उपाय से स्थिति में सुधार होगा । अध्यादेशों से किसी समुचित परिणाम की आशा नहीं की जा सकती ।

मैं विद्यार्थियों के व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकता । परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी तो देखना है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है । यदि किसी अन्य देश में ऐसी बात होती कि किसी विश्वविद्यालय ५० लाख का खर्चा करके भी वहां के हालात ऐसे हों तो इसके लिये विद्यार्थियों को नहीं विभाग को ही जिम्मेदार समझा जाता । यही कहा जाता कि इनकी ही किसी

†मूल अंग्रेज़ी में

भूल से स्थिति खराब हुई होगी । इस देश में बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं परन्तु किसी में इतना नैतिक साहस नहीं कि इन नवयुवकों को जाकर समझा सकें कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं । क्या कभी ऐसी भी कोई व्यवस्था की गयी है, कि उपकुलपति छात्रों को बुला कर उनकी कठिनाइयों को समझने का यत्न करें ? यदि ऐसी व्यवस्था होती तो स्थिति इस सीमा तक न बिगड़ती । मेरा निवेदन है कि अब इस विधान को पारित करना सरकार अपने उसी पुराने नौकरशाही ढंग से उनको सजा देना चाहती है । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से कोई भी लाभ न होगा । मेरा मत यह है कि यदि उपकुलपति को हटाने से शांति होती है तो सरकार को उन्हें हटा देना चाहिये, इसी में छात्रों, विश्वविद्यालय और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का हित है । यह कानून केवल अस्थायी ही रहना चाहिये । तीसरे यह कि विश्वविद्यालय की कोर्ट में सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर उसमें लोकतंत्रीय प्रणाली से चुनावों की व्यवस्था की जानी चाहिये । मनोनीत करते हुए कई एक सख्तियां की गयी हैं । शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की दलबंदी की भावना नहीं आनी चाहिये ।

†**श्री रंगा** (तेनाली) : सरकार की आलोचना करना सरल बात है और शायद इससे कुछ लोग प्रसन्न भी हो जायें परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार का इस गड़बड़ के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं है । प्रत्युत इसके विपरीत उन्होंने इस दिशा में जो पग उठाये हैं उसके लिये वर्तमान मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया जाना चाहिये । हमारे मान्य राष्ट्रीय नेता श्री मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय के लिये काफी कुछ किया और अब इस विश्वविद्यालय की देख भाल करना हमारा कर्तव्य है । यह बात ठीक है कि, कई वर्षों से विश्वविद्यालय में त्रुटियां आ रही थीं और उन त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता थी । इस प्रयोजन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

कई बार सरकार को असाधारण स्थितियों का सामना भी करना होता है, इसीलिये तो संविधान में अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था है । अध्यादेश जारी करने के बाद उसे सदन के समक्ष रखना होता है, और उस बारे में अन्तरिम निर्णय करने का अधिकार उसी का होता है । हम इसे रद्द कर सकते हैं, परन्तु सरकार का तो मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता ।

उपकुलपति तथा अन्य कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं किसी पर भी दोष लगाना नहीं चाहता । सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनाधिक इसी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की बात कोई विशेष नहीं है । इस दिशा में कार्यवाही तो की ही जानी चाहिये थी और उसका आरम्भ हिन्दू विश्वविद्यालय से हो गया है । सरकार पर किसी प्रकार के मतभेद करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता । यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है अतैव इसके लिये विशेष कार्यवाही का किया जाना समुचित है । गत ३५ वर्ष से हम इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्वीकार करते चले आ रहे हैं । साथ ही इस प्रकार के वातावरण में उपकुलपति अथवा किसी और कर्मचारी का हटाया जाना भी गौरव की बात नहीं कही जा सकती । हमें उन्हें समय देना चाहिये और यदि उस समय में उनका व्यवहार सुधर जाय तो ठीक, अन्यथा उन्हें त्याग पत्र देने को कहा जा सकता है । यदि इन लोगों की सहायता की आवश्यकता समझी जाये, तो उनके लिये कोई अन्य सम्मानित व्यवस्था की जा सकती है । शायद कोई अन्य विश्वविद्यालय उनकी सेवाओं से लाभ उठाना पसन्द करें और सरकार उन्हें वहां भेजना स्वीकार कर ले । इस प्रकार की-कार्यवाही से शिक्षा विशारदों में यह भय उत्पन्न नहीं होगा कि उन्हें भी शिक्षा संस्थाओं से पदच्युत किया जा सकता है । इसके साथ ही मैं शिक्षा मंत्री से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि उन्हें इन लोगों को विभिन्न पदों पर कोर्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

में लेने की व्यवस्था करनी चाहिये । संसद् सदस्यों को कोर्ट में भेजने के लिये निर्वाचित किया जाना चाहिये--मनोनीत करने की प्रणाली संतोषजनक नहीं है । तीन सदस्यों का संसद् द्वारा चुने जाने का श्री अशोक मेहता का सुझाव तो उन्होंने मान ही लिया है । जब यह दस सदस्य बनारस जायेंगे, तो लोग यही समझेंगे कि यह दस व्यक्ति हमारी सर्वसत्तासम्पन्न संसद् द्वारा निर्वाचित हो कर आये हैं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उपकुलपति का मामला तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिये । प्रतिष्ठा को कायम रखने में हम उनके साथ हैं । मुझे आशा है कि सभी इस विश्वविद्यालय के हालात को सुधारने में उनका साथ देंगे ताकि यह उसी स्तर पर चल सके जैसा कि पं० मदन मोहन मालवीय के जीवन काल में चल रहा था ।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मुदालियर समिति ने तीन बातें कही थीं । एक यह है कि विश्वविद्यालयों का प्रशासन अध्यादेशों या अधिनियमों के बल पर ही नहीं हो सकता । जरूरी तो यह है कि अध्यापकों और छात्रों में अच्छे सम्बन्ध हों । हमारे पुराने इतिहास में नालन्दा विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के सहयोग का ही वातावरण था । भारत के समस्त भागों के लगभग १५०० छात्र यहां शिक्षा प्राप्त करते थे । हमें भी उन्हीं आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है । इसी तरीके से ही हम पुरातन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं ।

शायद सरकार और कुछ लोग यह समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भांति यह भी साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय है और शायद उसमें भी उच्च जाति के हिन्दू अर्थात् ब्राह्मण ही अपना एकाधिकार रखने का यत्न करते रहते हैं ।

दूसरी बात यह है कि समिति की जांच अनुसार यह आपातकालीन समय है । हो सकता है यह बात ठीक हो और यह बीमारी बहुत जोर पकड़ गयी हो, परन्तु यह बात भी तो ठीक ही है, कि इस स्थिति का छः सात वर्षों से पता चल रहा था, और कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आखिर इसका क्या कारण था ? हो सकता है यदि मौलाना आजाद इस दिशा में कार्यवाही करते तो सारे उत्तर प्रदेश में गैर हिन्दू होने के नाते उनके विरुद्ध आन्दोलन कर दिया जाता । क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में यह भी तो एक बड़ी बीमारी है और इन सब बातों को सोचकर ही चलना पड़ता है ।

मेरा मत तो यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह अध्यादेश के आधार पर बना है । फिर भी प्रवर समिति ने जो दो तीन मुख्य परिवर्तन किये हैं उससे विधेयक के मूल उपबन्धों का बल और मूल्य कम नहीं हुआ । मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि इन परिवर्तनों के कारण कार्यवाही करने में देरी नहीं की जायेगी । हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने झुकने की कमजोर नीति नहीं अपनाई । अपेक्षित कार्यवाही करने पर उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिये । शिक्षा मंत्री महोदय को यह एकीकृत विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिये, ताकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दोषों को दूर किया जा सके ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बनारस हिन्दू युनिवरसिटी मेरे वास्ते कोई नई चीज़ नहीं है । हिन्दू युनिवरसिटी को एक अर्से से मैं जानती हूं और हिन्दू युनिवरसिटी की तरफ़ कुछ हमारा झुकाव भी है । आज हिन्दू युनिवरसिटी की जो हालत हमने देखी और एक

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्से से हम सुनते हैं और देखते भी हैं और जो बातें हम सुनते हैं वे बहुत तक़लीफ़देह बातें हैं । लेकिन आज हमारी नौबत यह आई और बात इतनी बढ़ी कि हमारे सामने और सरकार के सामने सिवाय आर्डिनेंस लगाने के और कोई अन्य इलाज़ नहीं था । मेरी खुद की राय तो यह है कि कितनी भी मुसीबत क्यों न पड़े, इंसान को उसका सामना करना चाहिये लेकिन आर्डिनेंस नहीं लगाना चाहिये । आर्डिनेंस लगाना एक तक़लीफ़देह और कमज़ोरी की बात मालूम होती है । इसलिए आर्डिनेंस के तो मैं बहुत खिलाफ़ हूं लेकिन हां युनिवरसिटी की जो हालत है और मैं भी बराबर सुनती आती हूं, वह वाक़ई में बहुत अफ़सोसनाक है । वाइस चांसलर की मैं पुरानी बातें नहीं कहूंगी क्योंकि वे सब बातें हाउस में कही जा चुकी हैं कि किस तरह से एक एक वाइस चासलर वहां आये और निकले । उन सब से मैं वाकिफ़ हूं और ख़ासतौर से अमरनाथ झा के बारे में तो मैं बखूबी वाकिफ़ हूं । उन्होंने खुद मुझ से इस युनिवरसिटी के बारे में चर्चा की थी और उस युनिवरसिटी की हालत मुझे बताई थी और मैं समझती हूं कि सब उसको जानते हैं और उसका ज़िक्र करना बेकार है । लेकिन यह सब सामने आते हुए भी, उस युनिवरसिटी को देखकर और हमारे भारत में जितनी युनिवरसिटीज़ हैं उनकी हालत देख कर, विद्यार्थियों की दशा देख कर, टीचर्स और प्रोफ़ेसर्स की एनडिस्पिलन देख कर इंसान सोचने लगता है कि आखिर किया क्या जाय । एक दफ़ा तो हम उसकी शुद्धि और दुरुस्ती करें ही । केवल हिन्दू युनिवरसिटी का ज़िक्र इस समय नहीं है । हमारे सामने सारी युनिवरसिटीज़ का सवाल है । लखनऊ युनिवरसिटी में मैं ने खुद देखा है कि आये दिन ज़रा ज़रा सी बात पर लड़के हड़ताल कर देते हैं । एक दफ़ा तो लखनऊ युनिवरसिटी के लड़कों ने बसों को जलाना और सड़कों पर लगे बल्बों को तोड़ना शुरू कर दिया । मैं खुद उनके पास गई और उनसे कहा कि देखो भाई अगर तुम्हें गवर्नमेंट से नाराज़गी है और तुम्हें यह सरकार पसन्द नहीं है तो तुम लोग जाकर गवर्नमेंट से बातचीत करो लेकिन यह जो तुम बसें और बल्ब जला और तोड़ रहे हो तो यह तो तुम अपना नुक़सान कर रहे हो क्योंकि आखिर यह बसें और बल्ब तो तुम्हारे ही हैं । आज उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस तरह वे अपना ही नुक़सान कर रहे हैं और वे ऐसा समझते हैं कि अगर उन्होंने एक बस जला दी तो गोया उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर साहब की कोई खास बस जला दी । उनको यह इल्म नहीं है और समझ नहीं है कि हर चीज़ जो यहां की है उसमें उतना ही उनका हक़ है जितना कि मिनिस्ट्री का है । उनको इस चीज़ का ज्ञान कराना और सिखाना हमारा फ़र्ज है ।

यहां इस अवसर पर जितने व्याख्यान हुए हैं उनमें सब में पहला जो श्री अशोक मेहता का व्याख्यान हुआ और जो बात उन्होंने कही वह बिलकुल दुरुस्त कही और मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं । हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को यह सोचना है कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाये । हिन्दू युनिवरसिटी के बारे में जो ज़िक्र मैं बराबर सुनती आती हूं इसमें कोई शक नहीं है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । मैं समझ ही नहीं सकती थी कि इतनी नीचाई तक हमारी हालत हो गई है और जिन बातों और वाक़यात का उसमें ज़िक्र किया गया है अगर वे सब सही हों तो इसमें कोई शक़ नहीं है कि उसकी पूरी तरह से शुद्धि करनी है और ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि इंसान के बदन में अगर कोई फोड़ा फुंसी अथवा नासूर हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिये सख्त आपरेशन करना होता है, आपरेशन के अलावा और दूसरा कोई इलाज हो भी नहीं सकता है । मेरी राय में मिनिस्टर महोदय को बड़े गौर से इस पर विचार करना चाहिए ।

सब से बड़ी बात जो मैं समझती हूं वह यह है कि जितने भी पालिटीशियंस हैं, जितने भी कांग्रेस वाले हैं, जनसंघी हैं, पी० एस० पी० के हैं, सोशलिस्ट्स हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनको मेरी राय में युनिवरसिटीज़ और विद्यार्थियों से दूर रहना चाहिये और हमारे विद्यार्थियों की हमारे बच्चों और

[श्रीमती उमा नेहरू]

लड़कों की जिनको कि हमने वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, सियासी पार्टियों को उन बच्चों को उनकी तालीम हासिल करने की राह से इधर उधर भटकाना और हटाना नहीं चाहिये और आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसके कारण हमारे बच्चों की ज़िन्दगी बिलकुल तबाह हो रही है । इस सम्बन्ध में यहां पर जितनी स्पीचेज़ हुई और जिनको मैं ने सुना, मैंने देखा कि श्री अशोक मेहता की एक स्पीच ऐसी थी जिसमें उन्होंने इस सवाल का हल सुझाया और साधन बताया कि इस तरीक़े से अगर हम चलें तो सारी युनिवरसिटीज़ को हम कवर कर सकते हैं, उनके अलावा बाक़ी जो भी हमारे भाई बोले, मैं ने देखा कि कितनों की स्पीचेज़ में गुस्सा था और कितनों की स्पीचेज़ में शान्ति भी थी लेकिन जितनी भी स्पीचेज़ थीं उनका बैकग्राउन्ड पोलिटिकल था और जो कि बच्चों और स्टुडेंट्स के लिये एक नुक़सानदेह चीज़ होती है । इसलिये मैं उनसे यह कहूंगी कि वे युनिवरसिटी स्टुडेंट्स से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा हो ।

बनारस युनिवरसिटी के वाइस चांसलर का ज़िक्र मैं यहां बराबर सुनती हूं । मैं तो हैरान हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि कोई भी वाइस चांसलर क्यों न हो हमको चाहिये कि वाइस चांसलर की जो पोज़ीशन है, इज्जत है उसको हम क़ायम रखें । आज अगर हम वाइस चांसलर कोई घसियारा बना कर उसका ज़िक्र करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप क़ायदे, निज़ाम और डिसिप्लन को किस तरह से युनिवरसिटी में क़ायम रख सकेंगे ।

इतना कह कर मैं मिनिस्टर साहब को मुबारक़बाद कहती हूं कि उन्होंने हिम्मत के साथ इस सवाल का सामना किया और हमारे सामने यह बिल रखा लेकिन मैं साथ ही जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा उनसे कहूंगी कि हमारा इलाज केवल नश्तर चलाने का ही नहीं होना चाहिए । हमारा फ़र्ज है कि हिन्दू युनिवरसिटी के एफ़ेयर्स को ठीक करने के साथ साथ तमाम युनिवरसिटीज़ के हालात को ठीक करें । मैं युनिवरसिटी स्टुडेंट्स से बराबर मिलती रहती हूं और मैं उनके हालात से बेख़ूबी वाकिफ़ हूं । हमको अपने स्टुडेंट्स को ठीक तौर पर रखना है और उनको सही रास्ते से भटकने नहीं देना है । युनिवरसिटीज़ के तालिबिल्मों की तो हालत ख़राब ही है लेकिन हमारे स्कूलों में जो दस, दस और बारह, बारह वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं वे पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर बाहर सड़कों पर गालियां देते हुए निकलते हैं और अगर यही एजुकेशन होनी है तो इससे तो ज्यादा अच्छा है कि कोई एजुकेशन न हो । आजकल जो एजुकेशन में गड़बड़ी चल रही है और जो ख़राब हालत है वह बहुत अफ़सोसनाक है और वह हमारे तालिबिल्मों के लिये और राष्ट्र के लिये घातक और नुक़सानदेह है । बस और अधिक न कह कर मैं मंत्री महोदय ने जो बिल रखा है उसको सपोर्ट करती हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बनारस हिन्दू युनिवरसिटी से बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है । मैं उसका शुरू से स्टुडेंट रहा हूं । इसी युनिवरसिटी से मैंने ला किया और यहीं से एम० ए० किया । इस यूनिवरसिटी के बड़े बड़े महानुभावों को मैं देख चुका हूं । बड़े बड़े वाइस चांसलर्स यहां आये । उनको भी मैं देख चुका हूं । जब मैं उसका एक विद्यार्थी था तो उस वक्त हम लोग एक गाना गाया करते थे "सर्व विद्या की राजधानी" और आज जो गाना यहां पर हो रहा है उसके माने हैं "सब पार्टीज़ की राजधानी" । बनारस हिन्दू युनिवरसिटी सब विद्याओं की राजधानी थी आज वह हिन्दू युनिवरसिटी पार्टीज़ की राजधानी हो गई है । इस पार्टीबंदी के दलदल से हम को हिन्दू युनिवरसिटी को उबारना है । अगर हम हिन्दू युनिवरसिटी को नहीं उबारेंगे तो इस हिन्दू युनिवरसिटी का नाश हो जायेगा । सरकार ने जो ऐक्शन लिया है उसके वास्ते हम

उसको धन्यवाद देते हैं। श्री अशोक मेहता ने जो सुझाव रखे हैं वे सुझाव उत्तम हैं। उन सुझावों का इस हाउस के द्वारा समर्थन होना चाहिये।

बहुत से लोगों ने आटोनमी के बारे में बहुत बातें कही हैं। इससे आटोनमी का नाश नहीं होता। बल्कि आटोनमी इस सभा के हाथ में आती है। इस युनिवरसिटी का जितना खर्चा है उसमें सिर्फ़ २ लाख रुपये प्रान्तीय सरकार देती है, बाक़ी सारा रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है.....

श्री ब्रजराज सिंह : यह ग़लत है। २ करोड़ का खर्च है।

श्री रघुनाथ सिंह : ५५ लाख रुपया है। उसमें से २ लाख रुपया यू० पी० गवर्नमेंट देती है और ५३ लाख रुपया सेंटर देता है। नान रैकरिंग में यू० पी० का सिर्फ़ १ लाख रुपया है। आप ज़रा स्टेटमेंट को देखें तो आपको सब बात मालूम हो जायगी। उसमें यह सब कुछ छपा है। इस मुदालियर कमेटी रिपोर्ट के सिलसिले में ईस्टर्न यू० पी० का भी नाम लिया गया है। ईस्टर्न यू० पी० से हम लोग भी हैं। अगर ईस्टर्न यू० पी० का नाम न लिया जाता तो अच्छा होता।

हिन्दू यूनिवरसिटी सारे हिन्दुस्तान की संस्था है। देश में जितने सूबे हैं और जितने लोग हैं सब का इस में कंट्रीब्यूशन है। इस यूनिवरसिटी की स्थापना उन लोगों द्वारा हुई थी जिन्होंने कि कांग्रेस की स्थापना की थी जैसे श्रीमती बिसेंट और के० टी० नौलिंग इत्यादि। जिन महानुभावों ने इस देश में राजनीतिक आन्दोलन की शुरुआत की थी उन्होंने हिन्दू कालिज की स्थापना की। वह आज हिन्दू यूनिवरसिटी के रूप में है।

जब हिन्दुस्तान में राजनीतिक आन्दोलन की बात चली तो हिन्दू यूनिवरसिटी सब युनिवरसिटियों से आगे रही। वहां के सब से ज्यादा विद्यार्थी जेल गये। हिन्दू युनिवरसिटी ने अच्छे अच्छे स्कालर उत्पन्न किये। उन्होंने देश का नाम उज्वल किया। लेकिन आज आन्दोलन का समय नहीं है। आज विकास का समय है। उस वक्त हम को हिन्दुस्तान की आजादी लेनी थी, लिहाजा विद्यार्थियों के सहयोग की जरूरत थी। हिन्दुस्तान आगे बढ़ सके क्योंकि अगर हिन्दुस्तान हमारा था तो उन विद्यार्थियों का भी था। वे आन्दोलन में आये। उन्होंने गोली खायी, सब कुछ किया। लेकिन आज हमें आन्दोलन की जरूरत नहीं है। आज जरूरत यह है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान का विकास हो, आज भी अगर विद्यार्थी यही समझते हैं कि आन्दोलन ही हमारा एकमात्र साधन है तो यह चीज़ अनुचित है। आज तो हमें ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो रिसर्च में, ज्ञान में और विज्ञान में दूसरी युनिवरसिटियों के विद्यार्थियों से आगे हों। लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक ज्ञान विज्ञान का सम्बन्ध है उसका स्तर हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले दस पन्द्रह वर्षों से बहुत कम है। इस बीच शायद ही हम ने हिन्दू विश्वविद्यालय से ऐसा स्कालर पैदा किया हो जिसने नाम पैदा किया हो। जिससे हिन्दुस्तान की और हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी हो। किसी युनिवरसिटी की प्रतिष्ठा उसके ईंट पत्थर और इमारतों में नहीं है। युनिवरसिटी की प्रतिष्ठा तो इस में है कि उससे अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलें। लेकिन जब इस दृष्टि से देखते हैं तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में हम असफल ही रहे हैं।

हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये एक बिल आया है। इस प्रकार का बिल लाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। यह फोड़ा तो मालवीय जी के समय से आरम्भ हुआ। बढ़ता गया पकता गया पकता गया। अगर इस समय इस का आपरेशन न किया जाता तो यह बढ़ कर नासूर हो जाता। वह सारी यूनीवरसिटी को खा जाता। लिहाजा इस फोड़े का जो इतनी जल्दी

[श्री रघुनाथ सिंह]

आपरेशन हुआ यह अच्छा हुआ । अगर आपरेशन होने के बाद भी इस की ठीक से दवा न की गई तो सेप्टिक हो सकता है । इसलिये हमें इस फोड़े की रक्षा करनी है ताकि सेप्टिक न हो और हिन्दू यूनीवरसिटी की उन्नति हो ।

एक माननीय सदस्य : मालवीय जी ने उस की कुछ दवा भी बतलाई थी ?

श्री रघुनाथ सिंह : जब मालवीय जी की आलोचना होने लगी और उन पर आक्षेप होने लगे तो उन्हों ने वाइसचांसलरी को नमस्कार किया । यह काम राधाकृष्णन् जी के हाथ में दे दिया कि तुम चलाओ । अगर माननीय सदस्य यूनीवरसिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हम सुना सकते हैं लेकिन अपनी कालिख को अपने ही मुंह पर पोतने से क्या फायदा । आज जो मुदालियर कमेटी की यह हिन्दू यूनीवरसिटी के लिये रिपोर्ट आई है तो यह हम सब लोगों के लिये कलंक की बात है । इस से हिन्दू विश्वविद्यालय का जो गौरव था, उस का जो सम्मान था उस को धक्का लगा, उस में कालिमा लग गई । आज तो यह हाल है कि आप रेल में जाइये, बस में जाइये आप लोगों को यह कहते सुनेंगे कि यह बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी कैसी यूनीवरसिटी है । लोग अपने बच्चों को इस यूनिवरसिटी में पढ़ने भेजने के पहले सोचते हैं कि भेजें या न भेजें । पहले यह हाल था कि सारे देश के लोग यह सोचते थे कि हमारे विद्यार्थी अगर हिन्दू विश्वविद्यालय में जायेंगे तो अच्छी शिक्षा पायेंगे । विश्वविद्यालय का उच्च आदर्श था उस का उच्च उद्देश्य था । वहां से शिक्षा पा कर विद्यार्थी एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के सामने आते थे । जिस समय मालवीय तथा श्री राधाकृष्णन् जी जैसे वाइस चांसलर थे उस समय इस विश्वविद्यालय से ऐसे विद्यार्थी उत्पन्न हुए जिन्हों ने देश के वास्ते जान दी । गोली खायी । ऐसे स्टूडेंट हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा हिन्दू विश्वविद्यालय में ही थे ।

उस विश्वविद्यालय के उपचार की बात हो रही है । इस सिलसिले में अशोक मेहता जी ने कहा है कि इस में पार्लियामेंट के सदस्य नामिनेट होते हैं । उन का इलेक्शन होना चाहिये । मैं भी पार्लियामेंट से एक नामिनेटेड सदस्य हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर नामिनेशन की जगह पर इलेक्शन हो तो अच्छा है । किसी के लिये पार्लियामेंट का सदस्य होने के बाद नामिनेट हो कर जाना ठीक नहीं है । अगर इलेक्शन हो तो सभी लोगों को अवसर प्राप्त होता है । तो जो तीन चार सदस्य यहां से जाते हैं उन का नामिनेशन नहीं होना चाहिये । पार्लियामेंट के द्वारा उन का इलेक्शन होना चाहिये ।

इस के बाद अब आप यूनीवरसिटी की तालिका को देखें . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य एक मिनट में खत्म कर देंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : जी नहीं अभी मुझे समय लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कल जारी रखें ।

अखबारी कागज़ के लिये आयात अनुज्ञप्तियाँ तथा कागज के मूल्य

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर :** (क्विलोन) : मैं इस सम्बन्ध में केवल तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली यह कि अखबारी कागज की आयात अनुज्ञप्तियों का दुरुपयोग होता है ; दूसरे स्थानीय

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य

कागज की कीमतों का नियंत्रण आवश्यक है और तीसरे आयात किये हुए अखबारी कागज और समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

कागज बड़ी आवश्यक वस्तु है, परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । १९४१ से आज तक के आंकड़े यह बताते हैं कि यह उद्योग सब उद्योगों से ऊपर रहा है । दो चार बड़े व्यक्तियों और समवायों के हाथ में ही इस उद्योग को दिया हुआ है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती । माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में यह भी कहा है कि कागज की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हो रही ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नयी आयात नीति के अनुसार केवल यही लोग अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं जोकि उस का प्रयोग करते हैं । यदि अवस्था यह है तो फिर बाजारों में चोरी छिपे जो कागज बिक रहा है वह कहां से आ जाता है ? उस का मूल्य भी कहीं अधिक है । उस का बीचक इत्यादि भी कुछ नहीं होता, न ही उस पर बिक्री अथवा आयकर ही देना पड़ता है । बड़े बड़े अखबार वालों के पास काफी कागज बच जाता है । कौन उसे बाजार में लाता है और कैसे आता है, इस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, मेरा कहना यह है कि यह एक निश्चित सचाई है कि इस प्रकार बाजार में चोरी छिपे यह कागज मिलता है और उस का अच्छा खासा मूल्य भी देना पड़ता है । क्या सरकार इस को बन्द करने का कोई उपाय निकाल रही है ? मुझे पता चला है कि सरकार अपने विभागीय पत्रों के लिये अखबारी कागज भी निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पर खरीदती है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में ५५ नये पैसों की जगह १ रुपया २५ पै० मूल्य अदा किया गया है । जब सरकार को अपनी आवश्यकताओं के लिये भी कागज नहीं मिलता तो अन्य लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है । मंत्री महोदय कहते हैं कि मूल्य बढ़ नहीं रहा । मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है कि इस सारी स्थिति पर कड़ा नियंत्रण किया जाय । कागज के विभिन्न समवायों का मुनाफा १० से २५ प्रतिशत तक दिखाया गया है और इस सारे व्यापार पर ५, ६ व्यक्तियों का कब्जा है ।

तीसरी बात यह है कि सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये ताकि कीमतें कम हो जायें । परन्तु यह बड़ा कठिन कार्य है । जहां तक कागज की खपत का सम्बन्ध है यह बहुत बढ़ गई है । हमारे राष्ट्रीय विकास के प्रत्येक अंग के लिये कागज एक आवश्यक वस्तु बन चुका है । इसलिये सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये कि यह उद्योग फले फूले और कुछेक लोगों के हाथ में ही न रहे और वे ही सारा मुनाफा चट न करें । साथ ही लोगों की आवश्यकतायें भी पूरी होती रहें । कागज के मालिकों के प्रति सरकार का व्यवहार नर्म नहीं रहना चाहिये और देश की प्रगति के प्रत्येक कार्य में उचित दामों पर कागज उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री तंगामणि (मदुरै) : श्रीमान्, यह चर्चा ११ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ तथा २१ जो अखबारी कागज तथा साधारण कागज के सम्बन्ध में थे, पर उठाई गई है । मैं जानना चाहता हूं कि अखबारी कागज का १९५४ से १९५८ तक कितना आयात किया गया । एक अनुपूरक का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया था कि अखबार के मालिकों को जितना कागज दिया जाता था उस में १५ प्रतिशत की कमी कर दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका अखबारों पर क्या असर पड़ा है ।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि छोटे छोटे अखबार जो अनुज्ञप्तिक अवधि में १० टन अखबारी कागज का उपयोग करते हैं उन के लिये सरकार ने एक योजना

[श्री तंगामणि]

बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना कब तक लागू हो जायेगी और क्या सरकार इस संबंध में उन अखबारों का भी ख्याल रखेगी जो छोटे अखबार तो हैं परन्तु जिन की कागज़ की खपत दस टन से कुछ अधिक है ।

देसी कागज़ के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि जुलाई १२ के "दि कामर्स" में दिया है कि १६५० में मिलों की उत्पादन क्षमता ११८,००० टन थी जो १६५७ में बढ़ कर २५२,००० टन अर्थात् दुगनी हो गई तथा आशा है कि १६६०-६१ तक यह ३५०,००० टन हो जायेगी। अब दो नई मिलें और खुल रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इन के लग जाने पर क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ।

इन घरेलू खपत के लिये सरकार इन मिलों से ३० से ४० प्रतिशत के बीच खरीदती है तो क्या कागज़ का भाव भी सरकार ही निश्चत करती है । और यदि मूल्य सरकार ही निश्चित करती है तो क्या उन व्यक्तियों के लिये जो बच्चों की किताबें छापते हैं सरकार कम मूल्य पर कागज़ देने के सम्बन्ध में विचार करेगी ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्हों ने इस विषय को यहां पर उठाया क्योंकि कितने ही माननीय सदस्यों ने इस सत्र में तथा पिछले सत्र में इस के सम्बन्ध में उत्सुकता दिखाई थी ।

मेरे मित्र श्री वें० प० नायर ने जिस लेख का उद्धरण दिया है उस से कुछ ग़लतफ़हमी पैदा हो गई है। यदि आंकड़ों का पूरी तरह ठीक से न समझा जाये तो कभी कभी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस लेख के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही हुआ है।

मैं बताना चाहता हूं कि १६३६ में २१ कागज़ के समवाय थे जो सभी प्रकार का कागज अर्थात् अखबारी कागज़, कार्डबोर्ड, गत्ता आदि बनाते थे १६५७ में समवायों की संख्या १२० हो गई और पूंजी जो १६३६ में २·४३ करोड़ रुपये थी १६५७ में १८ करोड़ हो गई। इसीलिये इस पूंजी पर लाभ के आंकड़े बताये गये जिनको उद्योग का विकास न मान कर उद्योग में लाभ मान लिया गया ।

मेरे पास दो विवरण हैं, एक कुल प्रदत्त पूंजी की प्रतिशतता के रूप में लाभांश के बारे में है और दूसरा लगाई गई पूंजी से हुई आय के बारे में है। १६५० में प्रदत्त पूंजी की प्रतिशतता के रूप में औसत लाभांश ६·१ प्रतिशत है। यह प्रतिशतता १६५६ तक ऐसी ही रही तथा कभी कभी बढ़ कर १० तक भी पहुंच गई। मैं यह इसलिये बता रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने बताया कि इस उद्योग में बहुत लाभ उठाया जा रहा है। मैंने उत्तर में यह बताया था कि इस उद्योग के कुछ एककों ने अधिक लाभ उठाया है परन्तु यदि समस्त उद्योग पर ध्यान रखें तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस उद्योग ने बहुत लाभ उठाया है। सच यह है कि गत तीन चार अथवा पांच वर्षों में कुछ एककों ने हानी ही उठाई है। यदि कागज की तुलना अन्य वस्तुओं से की जाय तो सही स्थिति पता लग सकेगी। जूट में लाभांश ११·३, १०·१, १०·८ तथा १५·४ रहा है। वनस्पती तेलों में ११ तथा १२·३ तथा कपड़े में ८·७ तथा १०·२ रहा। मुझे पता लग जाता है कि प्रदत्त पूंजी की प्रतिशतता के रूप में लाभांश अधिक नहीं रहा है केवल बाग़ानों में १६५५ में लाभांशों की प्रतिशतता १५·४ हो गई थी ।

मैं ने यह आंकड़े इसलिये बताये हैं जिससे दूसरी पूंजी की वृद्धि पर ध्यान रख कर तथा इस पर ध्यान रख कर कि १९३९ में उत्पादन ३९,००० था जो अब १९५७ में २,२५,००० हो गया है, हमें समझना चाहिये कि इस उद्योग में अधिक लाभ नहीं उठाया गया है ।

यह भी कहा गया कि देसी कागज के मूल्य देशनांक बहुत बढ़ गये हैं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हम १९५२–५३ को आधार मान कर देशनांक १०० रखें तो १९५० में सभी वस्तुओं के भाव के देशनांक १०९·०८ था परन्तु कागज के थोक के भाव का देशनांक ८०·८ था, १९५२ में सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों का देशनांक १०२·३ था तथा कागज़ का ११०·९ था, । इससे पता लगता है कि इस वर्ष अन्य वस्तुओं से कागज़ के मूल्य कुछ अधिक थे। १९५५ में जब सभी वस्तुओं के थोक के भाव का देशनांक ९९·६ था, कागज का देशनांक ८३·६ था । वर्तमान वर्ष में सभी वस्तुओं के मूल्यों का देशनांक १०८·७ है तो कागज़ का १०५·८ है । इससे पता लगता है कि अन्य वस्तुओं के औसत मूल्यों से यह तीन अंक कम हैं । अगस्त, १९५८ में सभी वस्तुओं के थोक के भाव का देशनांक ११५·७ था तथा कागज़ का भी ११५·७ ही है । इससे पता लग जाता है कि श्री वें० प० नायर का यह कहना कि अन्य वस्तुओं की तुलना में कागज़ के मूल्य बढ़ गये हैं ठीक नहीं हैं ।

सच यह है कि गत आठ अथवा दस वर्षों में कागज़ के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्यों से कम रहे हैं ।

कुछ समवायों द्वारा अधिक लाभ उठाने के बारे में मैं माननीय सदस्यों तथा सभा को बताना चाहता हूं कि मैं ने २८ समवायों के लाभों को देखा तथा पाया कि केवल एक समवाय के अतिरिक्त, जो जंगल के बीच में स्थित है और जिसको पानी और कोयला बिना किसी कष्ट के पर्याप्त मिल जाता है तथा जिसमें लगे यन्त्र आधुनिकतम है, अन्य समवेदन का लाभ बहुत कम है । केवल इसी समवाय के लाभ बीस अथवा पच्चीस प्रतिशत हैं । इसलिये यह कहना कि इस उद्योग में बहुत लाभ उठाये जा रहे हैं ठीक नहीं है ।

श्री वें० प० नायर : माननीय मंत्री का कहना है कि लाभ बहुत कम हैं परन्तु मैं ने संतुलन पत्रों से आंकड़े एकत्र किये हैं और मुझे मालूम है कि ओरियन्ट पेपर मिल की प्रदत्त पूंजी १९५०–५१ में २·७६ करोड़ रुपये थी और लाभ ६१ लाख रुपये था । सिरपुर मिल की प्रदत्त पूंजी १·३४ करोड़ रुपये थी, लाभ २२·७२ लाख रुपये था । मैं समझता हूं कि यह लाभ थोड़े नहीं हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरे पास आंकड़े हैं और जिस एक समवाय के सम्बन्ध में मैं ने बताया वह ओरियन्ट पेपर मिल ही है । इसी समवाय को कुछ अधिक लाभ है । क्योंकि स्थिति अच्छी है, नवीनतम प्रकार के यन्त्र लगे हुये हैं । परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि सभी मिलों को अधिक लाभ हो रहे हैं । सिरपुर, जगादरी तथा श्री गोपाल मिल किसी के आंकड़े ऐसे नहीं हैं जिनको हम कह सकें कि लाभ अधिक लिया जा रहा है ।

मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि जब समस्त कागज़ उद्योग ने सरकार से ३·५ नये पैसे मूल्य अधिक करने अर्थात् ८० से ८३·५ नये पैसे करने की मांग की तभी इसी मिल ने तथा तीन अन्य मिलों ने हमें लिखा था कि उनकी हालत ठीक है इस लिये वह मूल्य नहीं बढ़ायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मनुभाई शाह]

श्री तंगामणि ने ठीक ही पूछा कि जब लाभ अधिक है तो कारखाने मूल्य बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं ने बताया ईंधन तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं इसलिये २–२½ नये पैसे बढ़ाने उचित ही हैं परन्तु फिर भी यह जानने के लिये कि कारखानों की मांग ठीक है अथवा नहीं हमने मामला प्रशुल्क आयोग को भेज दिया है और जो मूल्य बढ़ाये गये हैं वह अन्तरिम है।

जैसा कि सभा को मालूम है, १६४८ में प्रशुल्क बोर्ड ने कागज़ के मूल्यों पर पूरी तरह से विचार किया था। १६५२ तथा १६५५ में सरकार ने मूल्यों पर पुनः विचार किया तथा उत्पादन शुल्क अथवा उत्पादन मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो जाने के अनुसार ही मूल्य बढ़ाये गये थे, इससे अधिक नहीं बढ़ाये गये थे।

दूसरा प्रश्न अखबारी कागज के बारे में उन्होंने उठाया था। यह सच है कि आज कल अखबारी कागज तथा लिखने वाले कागज़ की बहुत कमी है। सामान्य दशा में हम लगभग ३ से ३·५ करोड़ रुपये के काग़ज़ का आयात करते थे परन्तु अब केवल ७०·८० लाख रुपये के कागज़ का आयात किया जाता है। मैं समझता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि जितना आयात हम करते थे उतना करने लगें। यह सच है कि आयात किये गये कागज़ के कुछ मूल्य बढ़ गये हैं परन्तु देश की ६० प्रतिशत आवश्यकतायें तो देसी कागज़ से पूरी होती हैं और उसके मूल्य अभी नहीं बढ़ाये गये हैं।

हमने अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादकों के सम्मेलन को लिखा था कि १५ प्रतिशत कम कागज़ ले। उन्होंने हमारी बात मान ली और हमने कमी कर दी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही पूछा कि कमी करने पर भी प्रतियों के वितरण में कोई कमी क्यों नहीं आई है अपितु ८ प्रतिशत प्रतियों का वितरण और बढ़ गया है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि जो १५ प्रतिशत कटौती की गई है वह आयात किये गये कागज़ पर है। हम ६ करोड़ रुपये अर्थात् ६० से ६५ हजार टन अखबारी कागज का आयात कर रहे थे और इस कटौती से हम ५ करोड़ रुपये का आयात करने लगे और विदेशी मुद्रा को बचाने लगे। हमने नया कारखाने के अखबारी कागज़ के वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। हमने इसी को अखबारों को अधिक देना आरम्भ कर दिया जिससे १५ प्रतिशत की कमी पूरी हो गई।

एक बात और है कि हमने जब १५ प्रतिशत कटौती करना आरम्भ किया। उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनको छः महीने का भांडार बनाये रखने की अनुमति दी जाये। हमने उनकी यह बात मान ली थी क्योंकि समाचार पत्र उद्योग बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। इसलिये छोटे बड़े सभी समाचार पत्रों को छः महीने का भांडार बनाये रखने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ समाचार पत्रों ने इस छः महीने के अपने भांडार में से भी कुछ समाप्त किया और इस कारण प्रतियों का वितरण बढ़ गया।

हम वर्तमान अनुज्ञप्तियों की अवधि तथा आगामी अनुज्ञप्ति की अवधि के लिये समाचार पत्रों के मालिकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम भांडार में से कागज लेने अथवा कटौती न करने की अनुमति नहीं देंगे। हम उन्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि यह हमारा उनका मित्रता का समझौता है कि वह इस छः महीने के भांडार में से कागज बिल्कुल नहीं निकालेंगे। इन बातों से पता लग जाता है कि ८ प्रतिशत वितरण क्यों बढ़ा ?

माननीय मित्र श्री तंगामणि ने छोटे समाचार पत्रों को १० टन देने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि इन सभी को वास्तविक उपभोक्ता की आपात अनुज्ञप्ति दी जाती है। अब हमने नई योजना बनाई है कि राज्य व्यापार निगम पूर्वी यूरोप के देशों से अखबारी कागज का निर्यात करेगा और सीधे ही छोटे प्रकाशकों को वह कागज मिल जायेगा जिससे छोटे प्रकाशकों को जो कठिनाई कागज मिलने में होती थी वह अब न हो। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र हमारी आयात नीति तथा समाचारपत्रों को कागज के वितरण के बारे में सन्तुष्ट हो गये होंगे।

यह सच है कि इस कटौती तथा अखबारी कागज की कमी के कारण कालिजों तथा स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के कागज में चोर बाजारी की जाती है।

हमने बड़ी गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार किया। और पाया कि प्रत्येक समाचार पत्र के मालिक अथवा छापने वाले १० प्रतिशत कागज बरबाद करते हैं। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस १० प्रतिशत का समाचार पत्रों के निर्माताओं से समझौता करके, लाभ उठाया जा सकता है। मैं ने अपने कुछ मित्रों से इस बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि बेकार जाने वाले कागज की सही प्रतिशतता बताना बड़ा कठिन है।

कागज की बड़ी कमी है और हम समाचारपत्रों के मालिकों से अपील कर रहे हैं कि वह हमारी मदद करें। बड़े बड़े समाचारपत्रों में ही देश के अखबारी कागज का ६० अथवा ७० प्रतिशत समाप्त होता है। उन्हें अपने पर नियंत्रण लगाना चाहिये। यह समाचारपत्र ही तो लोकतंत्र के स्तम्भ हैं इसलिये उन्हें आगे बढ़ना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस अपील पर वह सरकार का साथ देंगे और बेकार जाने वाले कागज को काम में लाने का प्रयत्न करेंगे। सरकार भी इसकी और जांच कराने का प्रयत्न करेगी। यह थोड़ी ही मात्रा है परन्तु इससे बड़ा दुख होता है कि इसकी वजह से कागज बाजार से ऊंचे मूल्य पर खरीदा जाये। मूल्य बढ़ जाने पर सरकार को आगे बढ़ना पड़ता है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यथासम्भव शीघ्र यह कमी भी दूर कर दी जायेगी। मैं आशा करता हूं कि जो स्पष्टीकरण मैं ने दिया है उससे जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को आरम्भ किया है, वह सन्तुष्ट हो जायेंगे। सरकार को स्थिति का पूरी तरह ज्ञान है और जो उपाय सम्भव है उनको काम में लाने का प्रयत्न कर रही है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २ सितम्बर १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८७५—१९०१
तारांकित प्रश्न संख्या		
७५०	जनेवा करार	१८७५–७६
७५१	भारी मशीनें बनाने का कारखाना	१८७६–७७
७५२	वायदा व्यापार	१८७७
७५४	दिल्ली रेसकोर्स	१८७८
७५६	ज़िरकोनियम कारखाना	१८७८–७९
७५७	दिल्ली के तिहाड़ गांव के लिये नया नक्शा	१८७९–८०
७५९	पाकिस्तान से सेवा में रिकार्डों की प्राप्ति	१८८०–८१
७६०	अल्प विकसित देश	१८८१—८४
७६२	केरल में रेयन पल्प फैक्टरी	१८८४–८५
७६४	दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति	१८८५—८७
७६५	उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१८८७–८८
७६७	त्रिपुरा के बेलोनियां तथा सबरूम परगनों में आंधी से नुकसान	१८८८–८९
७६८	प्रादेशिक संग्रहालय	१८८९
७७०	मनीपुर में नागाओं के आक्रमण	१८९०—९१
७७२	एस० एस० लाइट रेलवे	१८९२–९३
७७६	रूस में भारतीय विद्यार्थी	१८९३–९४
७७७	बहादुर गढ़ (पंजाब) की औद्योगिक बस्ती	१८९४
७७८	लकड़ी की नई किस्में	१८९४—९६
७७९	विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन	१८९७–९८
७८१	रमायन	१८९८–९९
७८२	गंदी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति	१८९९—१९०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९०१—०९
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४९	लौह अयस्क का निर्यात	१९०१
७५३	जूट का आयात	१९०१
७५५	निकोटिनिक-एसिड हाइड्रोजाईड और एमिनो-सालसिलिक एसिड	१९०१–०२
७५८	फालतू पटसन	१९०२
७६१	राज्य सरकारों के लिये खरीद दार	१९०२–०३

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७६६	सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्	१६०३
७६६	काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, नई दिल्ली	१६०४
७७१	तेज की हुई रेह का कारखाना	१६०४
७७३	आकाशवाणी, कटक .	१६०४
७७४	दस्तकारी की चीजों का निर्यात .	१६०५
७७५	कागज और गत्ता	१६०५
७८०	भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रचार	१६०५
७८३	पटसन के बोरों का निर्यात . .	१६०६
७८४	रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक बस्ती .	१६०६
७८५	कलकत्ता निगम के भंगियों के लिये मकान .	१६०६—०७
७८६	आकाशवाणी का विविध भारती कार्यक्रम .	१६०७
७८८	फोटोग्राफी के सामान के आयात के लिये लाइसेंस	१६०७—०८
७८६	इमारती सामान	१६०८
७६०	दिल्ली में कोयला गैस उत्पादन कारखाना	१६०८
७६१	पत्रकारों की छंटनी .	१६०६
७६२	इस्पात विधायन उद्योग	१६०६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२०७	फिल्में .	१६०६—१०
१२०८	जालेफा शरणार्थी बस्तियां	१६१०
१२०६	औद्योगिक उपक्रम	१६१०
१२१०	पटसन उद्योग	१६११
१२११	कुटीर उद्योग	१६११—१२
१२१२	पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण में अफीमची	१६१२
१२१३	राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर खर्च	१६१२—१३
१२१४	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१६१३
१२१५	भारत सेवक समाज .	१६१३
१२१६	खाल और चमड़ा कमाने के कारखाने	१६१३—१४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२१७	पंजाब में कुटीर उद्योग	१६१४
१२१८	समवाय	१६१४–१५
१२१९	सिलाई की मशीनों की फैक्टरिया	१६१५
१२२०	साइकल बनाने की फैक्ट्रियां	१६१५–१६
१२२१	सतर्कता कर्मचारी	१६१६
१२२२	पंजाब मे दस्तकारियां	१६१६
१२२३	मोटरगाड़ियों का उत्पादन	१६१६–१७
१२२४	दिल्ली में उद्योग	१६१७
१२२५	तिब्बत के साथ व्यापार की समाप्ति	१६१७–१८
१२२६	बन्दरों का निर्यात	१६१८
१२२७	कोयला कारखानों में बचाव की कार्यवाही	१६१८–१९
१२२८	श्रम अधिकारी	१६१९
१२२९	मैंगनीज की कच्ची धातु का निर्यात	१६१९
१२३०	भारतीय जूतों का निर्यात	१६१९
१२३१	गोआ के साथ व्यापार	१६२०
१२३२	चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१६२०
१२३३	सिलाई की मशीनें	१६२०–२१
१२३४	विदेश सेवा और सूचना सेवा का एकीकरण	१६२१
१२३५	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१६२२
१२३६	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१६२२–२३
१२३७	प्रवीण व्यक्ति	१६२३–२४
१२३८	तांबे का सम्भरण	१६२४
१२३९	सिनेमा की फिल्में और ध्वनि आलेखन यंत्र	१६२४–२५
१२४०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कदाचारण	१६२५–२६
१२४१	समवाय विधि प्रशासन	१६२६–२७
१२४२	सर्क्युलर रोड पर सरकारी क्वार्टरों का गिराया जाना	१६२७
१२४३	उड़ीसा में ग्रामदान आन्दोलन	१६२७
१२४४	चीन में राजनयिक प्रतिनिधियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध	१६२८
१२४५	सरकारी मुद्रणालय	१६२८
१२४६	अन्नाटो (जाफरा के बीज) का निर्यात	१६२८–२९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२४७	शिक्षित बेरोजगार	१९२९
१२४८	फिल्म 'परदेसी' .	१९३०
१२४९	राज्य को योजनाओं का पुनः प्रावस्थाभाजान किया जाना	१९३०
१२५०	गन्दी बस्तियों को सफाई	१९३०
१२५१	विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां	१९३१
१२५२	सोवियत रूस और चीन के साथ पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा .	१९३१
१२५३	पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी में डाकू	१९३१–३२
१२५४	दिल्ली भूदान यज्ञ अधिनियम	१९३२
१२५५	हरी चाय .	१९३२
१२५६	कच्ची फिल्मों का वितरण	१९३२–३३
१२५७	राजस्थान सीमा पर लोगों की गिरफ्तारी	१९३३
१२५८	ग्वार गम	१९३३
१२५९	काम दिलाऊ दफ्तर .	१९३४
१२६०	ढ़ाका में भारतीय उच्च आयोग .	१९३४
१२६१	मोटर के टायर का निर्माण .	१९३४–३५
१२६२	जापान के साथ लौह-अयस्क समझौता	१९३५
१२६३	तपेदिक ग्रस्त खनिज श्रमिकों का उपचार	१९३५–३६
१२६४	विदेशी चलचित्र निर्माता .	१९३६
१२६५	लन्दन में भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारी	१९३६–३७
१२६६	हथकरघे .	१९३७
१२६७	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	१९३७
१२६८	कांच की चद्दरें .	१९३७–३८
१२६९	सोवियत रूस के साथ व्यापार	१९३८
स्थगन प्रस्ताव		१९३९–४२

अध्यक्ष ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) हावड़ा की एक इंजीनियरिंग फर्म, मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के प्रवीण कर्मचारियों को अलग कर देने के बारे में, जिस की सूचना श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और सर्वश्री स० म० बनर्जी, तंगामणि और प्रभात कार ने २८ अगस्त, १९५८ को दी थी ।

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—क्रमशः

(२) पांडिचेरी विधान सभा के बहुसंख्यक दल द्वारा परिषदों के रूप में मनोनीत किये जाने के लिये जिन नामों की सिफारिश की थी उन्हें चीफ कमिश्नर द्वारा स्वीकार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जिन की सूचना सर्वश्री वें० प० नायर, और तंगामणि ने दी थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६४३, १६३६–४०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद की नवीनतम स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १६५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) एस० ओ० संख्या १३३६, दिनांक १२ जुलाई, १६५८।

(दो) एस० ओ० संख्या १५६४, दिनांक ६ अगस्त, १६५८।

(३) एकल संक्रमणीय मत द्वारा समितियों के लिये निर्वाचन करने के विनियमों के विनियम, २, ७, १३, १५, १६ और २१ में अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधनों की एक-एक प्रति।

(४) देश में माल के डिब्बे बनाने और उन के ढांचे तैयार करने वाले कारखानों को इस्पात के देने की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६४३

सचिव ने वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक सभा को ११ अगस्त, १६५८ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १६५८।

(२) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष, विधेयक, १६५८।

विधेयक पुरःस्थापित १६४३–४४

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १६५८।

विधेयक पारित १६४४–५५

सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक, १६५८ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्डवार विचार जारी रहा। तत्पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

विषय पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . १९५६—७०

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने बनारस हिन्दू विश्वावद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . १९७०—७५

श्री वें० प० नायर ने अखबारी कागज के लिये आयात की अनुज्ञप्तियों के दुरुपयोग तथा कागज के मूल्य के बारे में ११ अगस्त, १९५८ के क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या ५ और २१ के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई । उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मंगलवार, २ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित किया जाना—

(१) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में;

(२) समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक १९५८; और

(३) मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक, १९५८ ।

———